लोक-सभा वाद-विवाद

मंगलवार,
६ दिसम्बर, १९५५

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated On 11.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

I SL

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . . . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५. ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६ . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ . ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५—शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूनेस्को

*५३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रेस, रेडियो, फिल्म और टेलीवीजन से बच्चों के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिये क्या युनेस्को के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का कोई सुझाव आया है ;

(ख) क्या इस विषय पर एक मंत्रणा समिति नियुक्त की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति को कौन से कार्य सौंपे जायेंगे और वह अपनी रिपोर्ट किस तारीख तक दे देगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह विषय विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यूनेस्को ने जो यह काम हाथ में लिया है उस की रूपरेखा क्या है ?

डा० एम० एम० दास : यूनेस्को ने जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सुझाव दिया है, अभी उस के बारे में निर्णय नहीं हुआ; वह सुझाव के रूप में ही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं इस सुझाव की रूपरेखा जानना चाहता हूं, न कि यह कि यह संगठन स्थापित कब किया जायगा ।

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के कामों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संगठन (१) बच्चों की रक्षा के लिये विधान, (२) व्यावहारिक कार्य करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यवाही, और (३) इस विषय पर की गई गवेषणा के परिणामों के सम्बन्ध में जानकारी पहुंचाने वाले केन्द्र का काम करेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष की सरकार के पास क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखापढ़ी आई है, और यदि आई है तो इस सम्बन्ध में क्या कोई विचार सरकार के सम्मुख है, और है तो क्या ?

डा० एम० एम० दास : यूनेस्को ने इस सुझाव के बारे में भारत सरकार को लिखा और यह भी कहा कि सदस्य-देशों में भी ऐसे ही राष्ट्रीय संगठन होने चाहियें नहीं तो यूनेस्को का केन्द्रीय संगठन प्रभाव-

शाली नहीं हो सकेगा । यूनेस्को ने भारत सरकार से पूछा था कि क्या भारत में ऐसा कोई संगठन पहले से ही है, और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार का विचार ऐसा संगठन बनाने का है जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सम्बद्ध होगा ।

पंजाब में चुम्बक की तहें

*५३९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने भारत सरकार के भूतत्वीय परिमाप विभाग को निमंत्रण दिया था कि वह हाल ही में अम्बाला शहर में दिखाई पड़े चुम्बक की तहों के निक्षेपों का सर्वेक्षण करे ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : एक समाचार था कि पंजाब विधान-सभा में वहां के विकास मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उन्हों ने भारत सरकार के भूतत्वीय परिमाप विभाग को इन चुम्बकीय तहो का सर्वेक्षण करने के लिये कहा है । क्या यह सारी बात निराधार है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ दिन पूर्व एक समाचार छपा था और यह सरकार के सामने रखा गया था, परन्तु पंजाब सरकार ने यह विषय भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग को नहीं सौंपा है । इस विभाग ने स्वतंत्र रूप से जांच की है जिस से पता चलता है कि ऐसी तहों के होने की सम्भावना नहीं के बराबर है, क्योंकि गंगा के कछारी मैदानों में चुम्बकीय तहों की सम्भावना बिल्कुल नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : पंजाब विधान-सभा में जिन स्थानों की चर्चा की गई थी, जहां कि ये तहें मिली हैं, क्या उन के अतिरिक्त भारत में और कहीं ऐसी तहें हैं और उन का उपयोग किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य की सुविधा के लिये, मैं उस प्रतिवेदन का एक भाग पढ़ कर सुनाता हूं जो इस सम्बन्ध में सरकार को दिया गया है :

> "ठोस मिट्टी और रेतीली जगहों पर छेद करने में बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है और अनुपयुक्त या भद्दे ढंग से छेद करने के कारण बरमा बहुधा छेद में फंस जाता है ऐसा बहुधा होता है कि नाली (पाइप) किसी छेद में फंस जाती है और उसे तोड़ना पड़ता है । कृषि इंजीनियर और नलकूप विभाग के मुख्य अधिकारी श्री बी० एस० कुमार के कथनानुसार इस दशा में छेद करने वाला पाइप छेद में इतने ज़ोर से फंस गया कि उसे तोड़ना पड़ा और बाद में देखा गया कि पाइप में चुम्बकीय शक्ति आ गई ।" वहां पर चुम्बक की तह कोई नहीं मिली ।

युवक कल्याण गोष्ठी, शिमला

*५४०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवक संगठनों के प्रतिनिधियों का परामर्शदात्री सम्मेलन बुलाने के बारे में, जिस की सिफारिश शिमला में हुई युवक कल्याण गोष्ठी ने की थी, क्या सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) प्रस्तावित सम्मेलन कब होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या युवक संगठनों के सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित कर दिये गये हैं ; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप सरकार का और क्या अगली कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, जी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं जी, केवल प्रारम्भिक निरीक्षण किया गया है और पूरी जानकारी अभी इकट्ठी नहीं की गई है ।

(घ) सरकार विश्वविद्यालय अनुसार कार्य कर रही है । युवकों के साम्प्रदायिक, आर्थिक या राजनीतिक संगठनों को मान्यता देने की बजाय इस कार्य को सब प्रकार के युवकों के लिये प्रदेशों में कार्यक्रमानुसार फैलाने का विचार है ।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने अभी बहुत से अंशों का जवाब नहीं में दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या सरकार उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, और यदि नहीं बढ़ रही है, तो उस का क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : जो गोष्ठी नवम्बर १९५१ में हुई थी उस ने कई सिफारिशें की थीं । अभी तक सरकार ने केवल एक सिफारिश को स्वीकार किया है । वह शिक्षा मंत्रालय में एक युवक कल्याण संबंधी विभाग खोले जाने आदि के विषय में है । हम ने शिक्षा मंत्रालय में यह विभाग पहले ही खोल दिया है और वह विभाग कार्य कर रहा है ।

श्री श्रीनारायण दास : शिक्षा मंत्रालय में जो यह विभाग खोला गया है उस की शक्ति क्या है अर्थात् उस में कितने आदमी काम कर रहे हैं और उन की उम्रें क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस विषय में सरकार को परामर्श देने के लिये एक प्रसिद्ध शिक्षावेत्ता श्री सोन्धी को अवैतनिक परामर्श-दाता के रूप में नियुक्त किया गया है, और एक विभाग खोला गया है किन्तु उस विभाग की पूरी संख्या अथवा उस में कार्य कर रहे कर्मचारियों के विषय में मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जहां तक मैं उत्तर को समझ सका हूं—वह हिन्दी में था—यह कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । क्या विश्वविद्यालय के बाहर के युवकों के लिये भी इस कार्य को करने का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान । परन्तु इस को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है । विश्वविद्यालय के बाहर के युवकों में भी इस कार्य को करने का प्रस्ताव है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पिछले सालों में यूथ वेलफ़ेयर के लिये कोई धनराशि मुक़र्रर की थी, यदि हां, तो उस में से अब तक कितना काम हुआ है और कितनी धन राशि रखी गई थी ?

डा० एम० एम० दास : इस समय ब्यौरा देना मेरे लिये सम्भव नहीं है, किन्तु सरकार कई योजनायें चला रही है जिन के नाम मैं माननीय सदस्य को पढ़ कर सुना सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यह एक भिन्न प्रश्न है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वह सभा-पटल पर योजनाओं का एक विवरण रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

बैंक पंचाट आयोग

*५४४ **श्री डाभी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक पंचाट आयोग की बैंकिंग उद्योग में 'चोटी के वेतनों' के विनियमन सम्बन्धी सिफारिश पर कोई विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). यह विषय रिज़र्व बैंक के परामर्श से अभी परीक्षणाधीन है ।

श्री डाभी : सरकार कब तक इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

श्री ए० सी० गुह : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि विषय बड़ा ही जटिल है और एक ही क्षेत्र में होने वाली आय अधिकतम सीमा नधारित करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि दूसरे उद्योगों और व्यवसायों में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक वेतन पाते रहे हैं । इस में कुछ समय लग सकता है । मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता कि सरकार के लिये कोई अन्तिम निर्णय करना कब तक संभव हो सकेगा ।

श्री डाभी : क्या मैं समझ लूं कि सरकार अन्य सब उद्योगों के भी सभी पहलुओं पर विचार कर रही है ?

श्री ए० सी० गुह : इस विषय विशेष पर दूसरे क्षेत्रों से सम्पर्क किये बिना विचार नहीं किया जा सकता है, और कदाचित् माननीय सदस्य को मालूम है कि कराधान जांच आयोग ने इस विषय में बड़ी व्यापक सिफारिशें की हैं और वे भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन सिफारिशों को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो निकट भविष्य में उन को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । हम रिज़र्व बैंक के परामर्श से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं अतः हम इस विषय का गम्भीरता से मनन कर रहे हैं ।

आस्ट्रेलिया द्वारा सहायता

*५४५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आस्ट्रेलियाई सहायता से प्रारम्भ की जा रहीं परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) उन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत)) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आकाशवाणी को लगभग ६४ लाख रुपयों के मूल्य के उपकरणों का संभरण और भारतीय रेलों के लिये लगभग १.२७ करोड़ रुपये के मूल्य के एक हजार माल डिब्बे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार हमारे देश के लिये आवश्यक किसी अन्य उपकरण के बारे में, आस्ट्रेलिया की सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है ?

श्री बी० आर० भगत : अभी जो स्थिति है वह यह है कि हमें उपर्युक्त दो बातों के लिये सहायता मिल रही है । मेरा ख्याल है कि इस समय ऐसा कोई और मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने कोलम्बो योजना परिषद में किये गये इस आशय के निर्णय को कि इस योजना को १९५७ या १९५८ तक बढ़ाया जायेगा, स्वीकार किया है ? क्या उसने कई वर्षों तक विस्तार किये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ?

श्री बी० आर० भगत : योजना के विस्तार को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक देश ने स्वीकार किया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था को अनुसंधानशाला संबंधी उपकरणों के संभरण के बारे में आस्ट्रेलिया की सरकार के लिये कोई प्रस्ताव था ?

श्री बी० आर० भगत : इन दो-तीन वर्षों में हमें जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं : हैदराबाद में तुंगभद्रा और रामगुंडम् परियोजना के लिये उपकरण, डीज़ल रेल कारें, अखिल भारतीय आकाशवाणी के लिये उपकरण और माल डिब्बे । इन के अतिरिक्त हमें कोई और चीज़ प्राप्त नहीं हुई है और न किसी के लिये अभी प्रस्ताव ही है ।

हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली

***५४६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्बन्धी हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली की विशेषज्ञ समिति ने एककों और विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त आलोचनाओं की छानबीन कर लेने के उपरान्त सेना सम्बन्धी साधारण पदों की सूचियों को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित हिन्दी आदेश शब्दों की संख्या क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) समिति ने अब तक तीन सूचियाँ प्रस्तुत की हैं जिन में कुल मिला कर ११०० पद हैं । अभी बहुत से पदों पर विचार किया जाना है । समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त तीन सूचियों के बारे में अब तक प्राप्त आलोचनायें और सुझाव विचाराधीन हैं । इन सूचियों को अन्तिम रूप दिये जाने में अभी कुछ समय लगेगा ।

(ख) समिति द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूची में क़वायद के लगभग १६० आदेश शब्द हैं और इन पर अभी विचार किया जा रहा है : किन्तु क़वायद सम्बन्धी ७७ आदेश शब्द अस्थायी रूप से चुन लिये गये हैं और अविलम्ब प्रयोग के लिये प्रकाशित कर दिये गये हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन यूनिटों तथा व्यक्तियों से क्या टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ?

श्री त्यागी : टिप्पणियों की संख्या हजारों में है और उन सब की सूची बना ली गई है । मुझे खेद है कि मैं इसी समय उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : 'अटेंशन' और "स्टैण्ड एट ईज़" के लिये क्या शब्द रखे गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । यह सब ब्योरे की बातें हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन आदेश शब्दों का निर्णय करते समय क्या उन शब्दों का भी ध्यान रखा जा रहा है जिन का प्रयोग आजाद हिन्द फौज के जमाने में किया जाता था, और यदि यह सत्य है तो जो ७७ शब्द आप ने बताये हैं उन में से कितने शब्द ऐसे हैं जिन का प्रयोग आज़ाद हिन्द फ़ौज में किया जाता था ?

श्री त्यागी : आज़ाद हिन्द फ़ौज में जितने हिन्दी के शब्द इस्तेमाल हुआ करते

थे और तमाम हिन्दुस्तान में जहां जहां हिन्दी या दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल होते थे उन को इकट्ठा कर के और उन शब्दों के जो दूसरी जगहों से तजवीज़ हो कर आये हैं उन पर एक कमेटी ने ग़ौर किया उस के बाद यह ७७ शब्द छांट लिये गये हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या वृन्द-ड्रिल एवं सैनिक ड्रिलों में समादेश एवं समावधान के हिन्दुस्तान सेवा दल, हिन्दुस्तान स्काउट्स और आज़ाद हिन्द फ़ौज द्वारा बनाये गये हिन्दी शब्द भी इस सूची में समाविष्ट कर लिये गये हैं ?

श्री त्यागी : यद्यपि उन्हें समाविष्ट तो नहीं किया गया है, क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, परन्तु चुनाव उन्हीं में से किया गया है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*५४८. **श्री झूलन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट लिमिटेड के लेखे लोक लेखा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार रखा जा रहा है, अर्थात् विमानों, रेलवे के डिब्बों और बसों के ढांचों, बाडियों के सम्बन्ध में अलग अलग रखा जा रहा है, जिस से कि विभिन्न शाखाओं की कार्यकारी कुशलता की तुलना करने में आसानी हो सके ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जी हां, जहां तक व्यवहार्य होता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या इस से तीनों शाखाओं में से किसी एक को होने वाले लाभ अथवा हानि का पता चलता है ?

श्री त्यागी : अभी हाल तक लेखा एक ही साथ रखा जाता था और एक वर्ष में ११ लाख, दूसरे वर्ष में नौ लाख और वीसरे वर्ष में तीन लाख तक लाभ हुआ है । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में अन्तर रहा है परन्तु इस लाभ को सभी शाखाओं के संचयी लाभ के अभिलेख में रखा गया है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं सम्पूर्ण हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट लिमिटेड का संचयी लाभ नहीं जानना चाहता हूं वरन् प्रत्येक शाखा के अलग अलग लाभ अथवा हानि का लेखा जानना चाहता हूं । क्या यह पता चला है कि कौन सी शाखा घाटे पर चल रही है

श्री त्यागी : इसी वर्ष लोक लेखा समिति की यह सिफारिश आई थी कि तीनों शाखाओं के लाभ हानि लेखों को अलग रखा जाये और इसीलिये आदेश अभी हाल में ही जारी किये गये हैं, अब तक लेखा एक ही साथ रखा जाता था ।

नान-रेगुलर कमीशण्ड अफ़सर

*५४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ से १९५५ तक केन्द्रीय सरकार ने कितने अलग किये गये नान-रेगुलर कमीशण्ड अफसरों को फिर से नियुक्त कर लिया है ?

रक्षा-संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है तीनों सशस्त्र सेनाओं में कुल मिला कर ४,५६३ नान-रेगुलर कमीशंड अफसर थे । क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनों को परमानेन्ट कमीशन दिये जा चुके हैं और कितनों को डिस्चार्ज किया जा चुका है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : इस की इत्तला जमा की जा रही है ?

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मैं मंत्री महोदय के उत्तर से समझ सका हूं, जो सूचना जमा की जा रहीं है वह इस बात की है कि कितनों को सिविलियन विभागों में लिया गया है, किन्तु इस के आंकड़े तो मंत्री महोदय

के पास होंगे कि कितनों को परमानेंट कमीशन दिया जा चुका है और कितनों को डिस्चार्ज किया जा चुका है ।

डा० काटजू : हर तरह की इत्तला जमा की जा रही है ।

बुनियादी शिक्षा

*५५१. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में लागू की गई बुनियादी शिक्षा प्रणाली में अलग अलग राज्यों में बहुत अधिक अन्तर है ; और

(ख) क्या सभी राज्यों में कोई एकरूप पाठ्य-क्रम निर्धारित करने का प्रयास किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) सभी राज्यों के पथ-प्रदर्शन के लिये भारत सरकार द्वारा बुनियादी पाठशालाओं का एक पाठ्य-संग्रह प्रकाशित किया गया था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सभी राज्यों का पथ-प्रदर्शन करने के लिये बुनियादी शिक्षा पर समान रूप से आग्रह किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ये पाठशालायें अपने कार्यों से किस सीमा तक अपना व्यय वहन करने में सफल हुई हैं ?

डा० एम० एम० दास : छात्रों द्वारा बनायी गयी वस्तुयें निस्सन्देह इन संस्थाओं के संधारण में अधिकांश रूप से अंशदान करती हैं, परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि ये संस्थायें आत्म निर्भर हैं ।

श्री बंसी लाल : इन बुनियादी पाठशालाओं में जो अध्यापक रखे जायेंगे उनके प्रशिक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० एम० एम० दास : इन अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण देने के लिये हमने राज्य सरकारों को बड़ी-बड़ी धनराशियां दी हैं, और अब इन अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

श्री बंसी लाल : बुनियादी पाठशालाओं के लिये अब तक कितने अध्यापक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ?

डा० एम० एम० दास : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या साधारण पाठशालाओं की अपेक्षा बुनियादी पाठशालाओं का व्यय अधिक होता है ?

डा० एम० एम० दास : बुनियादी पाठशाला की स्थापना पर होने वाला प्रारम्भिक व्यय साधारण पाठशालाओं के स्थापना-व्यय से अवश्य अधिक होता है ।

शिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन

*५५३. श्री विभति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९५५ में दिल्ली में हुए सचिवों और शिक्षा निदेशकों के सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे, और किस सीमा तक उन को कार्यान्वित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । (देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ६८)

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है पृष्ठ २ पर ६ वर्ष से ११ वर्ष तक लड़कों के लिये टार्गेट ७५ फी सदी से ६० फी सदी कर दिया गया है, ११ वर्ष से १४ वर्ष तक के लड़कों के लिये जो टार्गेट था वह ३० फी सदी से २५ फी सदी कर दिया गया है, १४ वर्ष से १७ वर्ष तक के लड़कों के लिये २० फी सदी से १५ फी सदी कर दिया

गया है । हमारे संविधान में है कि देश में शिक्षा जल्दी से जल्दी बढ़ाई जाय और अनिवार्य की जाय, लेकिन इस स्टेटमेन्ट को देखने से पता चलता है कि शिक्षा बढ़ाई नहीं जायेगी बल्कि घटाई जायेगी । तो क्या सरकार ने जो स्टेटमेन्ट खर्चे का दिया है उसको रिवाइज़ कर के वह प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावेगी ?

डा० एम० एम० दास : मूलतः अगली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो योजनायें प्रारम्भ की जानी थीं उनका प्राक्कलित व्यय १०८० करोड़ रुपये था परन्तु योजना आयोग ने मंत्रालय को यह सूचित किया कि उसके लिय केवल शिक्षा पर इतनी बड़ी राशि—१०८० करोड़ रुपया व्यय करना सम्भव नहीं है । इसीलिये राज्यों के शिक्षा निदेशकों और शिक्षा सचिवों का यह सम्मेलन दिल्ली में यह विचार करने के लिये बुलाया गया था कि व्यय को किस प्रकार कम किया जा सकता है । इसी लिये लक्ष्यों को घटाना पड़ा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कितना घटाना पड़ा है ?

डा० एम० एम० दास : वह पहले ही बता चुके हैं ।

श्री विभूति मिश्र : प्राइमरी शिक्षा में हाई स्कूल तक जो लड़के पढ़ते हैं, हर साल उनकी किताबें बदल जाती हैं और गांव के ग़रीब लड़के इस कारण से पढ़ नहीं पाते हैं । क्या सरकार इस तरफ़ भी ध्यान देगी कि उनकी किताबें हर साल न बदली जायें ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इन सब प्रश्नों का उत्तर राज्य सरकारों को देना है ।

श्री रघुनाथ सिंह : योजना आयोग ने कितनी धन राशि कम कर दी है, और क्यों ?

डा० एम० एम० दास : मैं जो बता रहा हूं उसमें यदि त्रुटि हो तो उसे सुधारा जा सकता है । मंत्रालय को यह परामर्श दिया गया है कि वह अपने प्राक्कलनों को ६०० करोड़ रुपये या उसके आसपास तक ले जायें ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

*५५४. **श्री राधा रमण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है जिन्होंने अक्तूबर १९५५ में दिल्ली में द्वितीय अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह में भाग लिया था ;

(ख) समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ;

(ग) जिन विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग नहीं लिया था क्या उन्होंने इसके लिये कुछ कारण बताये थे; और वे कारण क्या हैं ; और

(घ) समारोह के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी थी और वास्तविक व्यय कितना हुआ था ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २५ ।

(ख) १०७९ ।

(ग) जिन सात विश्वविद्यालयों ने भाग नहीं लिया था उनमें से केवल मद्रास, इलाहाबाद और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों ने भाग न लेने के कारण बताये थे ।

(घ) दो लाख सत्तर हज़ार रुपये मंजूर किये गये थे, परन्तु अभी लेखा अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है ।

श्री राधा रमण : क्या यह सच है कि इस समारोह में गैर-छात्र भाग नहीं ले सकते थे और उस समय जितने भी प्रदर्शन किये गये उनमें केवल वे ही व्यक्ति जा सकते थे जिनके पास टिकट थे और संसद् सदस्यों तक को किसी भी उत्सव में निमंत्रित नहीं किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : मुझे यह ज्ञात नहीं कि संसद् सदस्यों को निमंत्रित किया गया था अथवा नहीं । जनता को टिकट बेचे गये थे और जो भी व्यक्ति इन प्रदर्शनों को देखना चाहते थे वह टिकट खरीद कर देख सकते थे ।

श्री राधा रमण : टिकटों की बिक्री से कितनी धन राशि वसूल हुई और क्या वह प्रधान मन्त्री के सहायता कोष में दी जाने को थी ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, वह प्रधान मन्त्री के सहायता कोष में दी जाने को है । इस समय मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, परन्तु जहां तक मुझे याद है, यह धन राशि दस हज़ार रुपये से कम है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस समारोह में इस प्रकार की कोई बौद्धिक चर्चा भी हुई थी कि जिससे कि शिक्षा अथवा खेल कूद अथवा अनुशासन के गिरते जा रहे स्तर के कारणों का पता लगाया जा सके ?

श्री कामत : अथवा प्रशासन के ?

डा० एम० एम० दास : मुझे पता नहीं है । मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री विमला प्रसाद चालिहा : उन तीन विश्वविद्यालयों ने भाग न लेने के क्या कारण बताये थे ?

डा० एम० एम० दास : मद्रास विश्व-विद्यालय ने हमें सूचना दी थी कि शैक्षिक सत्र के चालू होने के कारण विश्व-विद्यालय की सिंडिकेट ने अपने छात्रों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी । वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने कहा था कि बहुत नया विश्वविद्यालय होने के कारण वह छात्रों का दल भेजने में असमर्थ था । इलाहाबाद विश्व-विद्यालय ने अपने यहां आन्तरिक गड़बड़ी होने के कारण भाग लेने के प्रस्ताव को वापस ले लिया था ।

नहर कटिया में तेल के कुएं

*५५९. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा :** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहर कटिया में तेल के कुएं खोदने का काम इस वर्ष (१९५५-५६) में पूरा कर लिया जायगा ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो क्या तेल का उत्पादन चालू वर्ष (१९५५-५६) में आरम्भ हो जायगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]

श्री विश्वनाथ राय : उस क्षेत्र में तेल के कुओं की पर्याप्त संख्या को ध्यान में रखते हुये क्या वहां कोई तेल शोधन कारखाने भी स्थापित किये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं । तेल शोधन कारखानों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अभी तक तेल शोधन-कारखानों के सम्बन्ध में तेल का अनुपात निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को इस प्रकार का कोई अनुमान है कि उस क्षेत्र में तेल का वार्षिक उत्पादन कुल कितना होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं उस दिन यह बता चुका हूं कि इन कुओं से प्रत्येक दिन का तेल का उत्पादन लगभग १६ सौ पीपे था । इतना तेल इस बात पर विचार के लिए भी अत्यन्त अपर्याप्त है कि उस क्षेत्र में कोई तेल शोधन कारखाना स्थापित किया जाय, परन्तु हम उस क्षेत्र में तेल कार्यक्रम के भावी विकास की प्रतीक्षा में हैं ।

सांख्यिकीय और आर्थिक मंत्रणा सेवा

*५६०. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री २५ अगस्त १९५५ के दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक सांख्यिकीय और आर्थिक मंत्रणा सेवा के स्थापित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) यह मामला अब भी विचाराधीन है ।

श्री बी० डी० शास्त्री : स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन कमीशन ने जो इंडियन सर्विसेज़ क्रियेट करने की सिफारिश की है क्या उसके साथ इस बारे में भी विचार किया जायेगा ?

श्री दातार : सरकार सांख्यिकीय और आर्थिक सेवा सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर ही विचार कर रही है ।

नगरीय परिवार-कल्याण परियोजनायें

*५६१. **श्री गिडवाणी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सभी राज्यों में नगरीय परिवार-कल्याण परियोजनाओं की स्थापना करने का निश्चय किया है ;

(ख) इन परियोजनाओं का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) ये सहकारी समितियां होंगी और निम्न मध्यम वर्ग की स्त्रियों को फैक्टरियों या उनके घरों में काम देने के लिये स्थानीय उद्योगों का कार्य अपने हाथ में लेंगी ।

(ग) इस समय कुल लागत को बताना संभव नहीं है ।

श्री गिडवाणी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी परियोजना अब तक चालू की जा चुकी है ?

डा० एम० एम० दास : हां, दिल्ली में दियासलाई के कारखाने की एक परियोजना चालू की जा चुकी है ।

श्री गिडवाणी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति स्थायी रूप से की गई है अथवा उनकी सदस्यता कुछ निश्चित अवधि के लिये है ?

डा० एम० एम० दास : यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध दियासलाई के कारखाने से हो, तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि उसको एक पंजीबद्ध संस्था चलाती है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका आशय यह है कि क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य कुछ निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किये गये हैं अथवा स्थायी रूप से जीवन भर के लिये ?

डा० एम० एम० दास : इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या ग्रामीण जनता के उद्धार के लिये भी कोई योजना बनाई गई है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, यह योजना केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है । दूसरे शब्दों में यह परिवार कल्याण परियोजना केवल नगरीय क्षेत्रों के लिये ही है ।

"अमरुतारा सन्तान"

*५६२. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री २७ जुलाई, १९५५ को दिये गये अतारांकित

प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़िया पुस्तक 'अमरुतारा सन्तान' का अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किये जाने के विषय में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चय क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) (क) और (ख) यह विषय अभी तक साहित्य अकादमी के विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुवाद का कार्य किसे सौंपा गया है और क्या इस कार्य की समाप्ति के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

डा० एम० एम० दास : इस पुस्तक के केवल एक अध्याय का ही अनुवाद किया गया था और अनुवाद की उत्तमता की जांच के लिये उसे डा० हरेकृष्ण महताब के पास भेजा गया था। अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। डा० मेहताब ने हमें बताया है कि वह अनुवाद की मूल से तुलना करने के लिये अधिक समय चाहते हैं।

श्री संगण्णा : क्या उस पुस्तक का अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में भी अनुवाद किया गया है ;

डा० एम० एम० दास : केवल हिन्दी में।

अंदमाण और निकोबार द्वीपों में शिक्षा

***५६३. डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जिसे भारत सरकार ने अंदमान और निकोबार द्वीपों के शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार के लिये योजनाओं का सुझाव देने के लिये नियुक्त किया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) उसको कार्यान्वित करने पर कितनी लागत आयेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सिफारिशों का संक्षेप प्रतिवेदन के पृष्ठ १०८ से ११९ पर दिया हुआ है। इसकी एक प्रति लोक-सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस समय उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। कुछ अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने की लागत को अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : उस द्वीप में प्राविधिक संस्थाओं के स्थापित किये जाने के विषय में समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : समिति ने लगभग ४७ सिफारिशें की हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने पुस्तकालय में उपलब्ध प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय उन द्वीपों में शिक्षा का माध्यम क्या है और सरकार वहां और कौन कौन सी अन्य भाषायें प्रचलित करना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास : समिति ने सिफारिश की है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी अंदमान और निकोबार द्वीपों की प्रादेशिक भाषा होगी ।

श्री भागवत झा आजाद : अण्डमान और निकोबार द्वीपों की संस्थाओं को भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध करने के विषय में समिति की जो सिफारिश है उसक सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

डा० एम० एम० दास : मैंने निवेदन किया कि सरकार ने कुछ सिफारिशों के विषय में विनिश्चय कर लिया है, किन्तु अन्य अभी विचाराधीन हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को अण्डमान के स्कूलों से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि अजमेर बोर्ड से सम्बन्ध होने से उनके विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयां होती हैं ।

डा० एम० एम० दास : मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये ।

ब्रेल प्रेस, देहरादून

***५६५. श्री साधन गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रेल प्रेस, देहरादून द्वारा अब तक किये गये प्रकाशनों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन भाषाओं के नाम जिन में वे प्रकाशन निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २१ ।

(ख) हिन्दी, अंगरेज़ी, तैलगू, मराठी और गुजराती ।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह २१ प्रकाशन कितने समय में निकाले गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : पिछले वर्ष के मध्य तक केवल हिन्दी में ही प्रकाशन किया जाता था । किन्तु पिछले एक वर्ष से वह दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशन कर रहे हैं ।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि और किन किन भाषाओं में प्रकाशन करने का विचार है ?

डा० एम० एम० दास : इसका अभी निर्णय करना है ।

श्री साधन गुप्त : : क्या मैं जान सकता हूं इन प्रकाशनों का वितरण कैसे किया जाता है ? क्या वे बिक्री द्वारा वितरित किये जाते हैं अथवा वितरण का कोई तरीका भी है ?

डा० एम० एम० दास : वे बिकते हैं । वे बहुत ही सस्ते बिकते हैं । उनका मूल्य बहुत ही कम रखा गया है —लागत मूल्य का एक तिहाई ।

सम्पदा शुल्क

***५६६. श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में १९५४–५५ में सम्पदा शुल्क के रूप में कितनी राशि इकट्ठी की गई है ; और

(ख) आन्ध्र में सम्पदा शुल्क अधिनियम को देर से लागु किये जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) आन्ध्र में १९५४–५५ में ३२,९९६ रुपये सम्पदा शुल्क के रूप में इकट्ठे किये गये ।

(ख) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ जो अक्तूबर, १९५३ से प्रवर्तन में आया है

जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त सारे भारतवर्ष में लागू किया गया था। तदनुसार, यह उसी दिनांक से आन्ध्र राज्य में भी लागू है, अतः देरी से लागू किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : इस सम्पदा शुल्क को एकत्रित करने के लिये कौनसा संगठन नियुक्त किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : आय-कर अधिकारी जिनको सहायक कंट्रोलर, कंट्रोलर आदि कहा जाता है, इस कार्य को करते हैं।

श्री नाना दास : इस प्रकार के मामलों की संख्या क्या है और कितनी अधिकतम राशि इकट्ठी की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास एकत्रित की गई अधिकतम राशि की सूचना नहीं है। जहां तक मामलों की संख्या का सम्बन्ध है १९५४–५५ में ३१ अक्तूबर, १९५५ तक इन मामलों की संख्या ६० थी। १ अप्रैल, १९५५ और ३१ अक्तूबर, १९५५ के मध्य दो मामलों को निबटाया गया है; इस प्रकार अभी ५८ मामले निबटाये जाने हैं।

श्री झुनझुनवाला : क्या सरकार ने सम्पदा शुल्क को इकट्ठे करने पर हुये व्यय का कोई विवरण रखा है ?

श्री एम० सी० शाह : व्यय के कोई पृथक् आंकड़े नहीं हैं; जैसा कि मैंने कहा, यह आय-कर अधिकारियों, कंट्रोलरों और सहायक कंट्रोलरों आदि के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। जहां कहीं भी अधिक कार्य होता है, जैसे बम्बई में, वहां हमने विशेष मण्डल बना दिये हैं। यदि माननीय सदस्य को व्यय के आंकड़े चाहियें, तो मुझे उसके लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री वंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल देश में की गई वसूली में आन्ध्र में की गई वसूली की प्रतिशतता क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास प्रतिशतता तो नहीं है। १९५४–५५ में १,२३,७२,४५८ रुपये की मांग थी और एकत्रित की गई राशि ३५,१४,४१८ रुपयें थी। आन्ध्र में एकत्रित की गई राशि ३२,९९६ रुपये थी। यदि माननीय सदस्य इस राशि को कुल राशि से भाग दे कर सौ से गुणा कर दें तो उन्हें प्रतिशतता मालूम हो जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कुटीर उद्योग प्रदर्शनी

*५६७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५६ में भारत में होने वाले यूनेस्को के ९वें सत्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय कुटीर उद्योग प्रदर्शनी आयोजित करने का कोई निश्चय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : नहीं, श्रीमान्। प्रदर्शनी आदि जैसे उचित कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस विषय में कोई प्रगति हुई है अथवा क्या यह प्रस्ताव अभी खटाई में ही पड़ा हुआ है ?

डा० एम० एम० दास : निश्चय जानिये यह खटाई में नहीं पड़ा हुआ है। यह तो सामान्य प्रथा ही है कि जब कभी किसी देश में यूनेस्को का सम्मेलन होता है तो उस देश में उत्तम प्रकार के सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम किये जाते हैं। जिन दिनों दिल्ली में सम्मेलन होगा उन दिनों प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिये हमारे पास आठ अन्य प्रस्ताव भी हैं।

सरदार हुक्म सिंह : जब कहीं भी यूनेस्को का सम्मेलन होता है, तो क्या प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये अन्य देशों को निमंत्रण देने का कार्य अतिथेय देश पर ही छोड़ दिया जाता है अथवा यूनेस्को स्वयं भी इस प्रदर्शनी में आने वाले देशों का चुनाव करने में भाग लेता है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक इन प्रदर्शनियों का आयोजन करने का सम्बन्ध है, उन्हें आयोजित करने के लिये आतिथेय देश को ही प्रबन्ध करना पड़ता है । उसके अतिरिक्त, अन्य देश भी जो यूनेस्को के सदस्य हैं, यदि चाहें और यदि उन्हें सुविधायें मिल सकें तो वे उस देश में प्रदर्शनियां आयोजित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इन आमन्त्रितों का चुनाव कौन करता है ?

डा० एम० एम० दास : इस चुनाव से यूनेस्को का कोई सम्बन्ध नहीं है । जहां तक आतिथेय देश का सम्बन्ध है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर होता है किन्तु अन्य देशों के बारे में यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या इस सम्मेलन के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं ।

पौंड पावना

*५६८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के पौंड पावना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : २५ नवम्बर, १९५५ को भारत के पौंड पावने की कुल राशि लगभग ७१९·६९ करोड़ रुपये थी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सभासचिव महोदय आंकड़ों को पुनः अंगरेजी में दोहरायेंगे ?

श्री बी० आर० भगत ७१६·६९ करोड़ रुपये ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतवर्ष दोनों देशों के मध्य हुये करार के अनुसार मुक्त किये गये पौंड पावने का किस सीमा तक उपयोग कर सका है ?

श्री बी० आर० भगत : हमने केवल १·५ करोड़ पौंड का प्रयोग किया है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या आगामी पंचवर्षीय योजना की पौंड स्टर्लिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, क्या ब्रिटिश सरकार के साथ और पौंड पावना के मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई नई बातचीत करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री बी० आर० भगत : नई बातचीत करने की सर्वथा कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने मुक्त किये गये पौंड पावने का उपयोग क़रार के द्वारा निर्धारित सीमा तक नहीं किया है । क़रार के अनुसार हम आगामी ६ वर्ष तक प्रति वर्ष ३·५ करोड़ अथवा ३५० लाख पौंड का उपयोग कर सकते थे । किन्तु हमने केवल १५० लाख पौंड का उपयोग किया है । ऐसा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति खाद्य स्थिति में सुधार तथा औद्योगिक विकास आदि के कारण हो सका है । अतः और राशि के मुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो हमारे स्टर्लिंग बैलेंसिस लंदन में रहते हैं, उन पर क्या कोई इंट्रेस्ट भी मिलता है, यदि मिलता है तो किस हिसाब से ?

श्री बी० आर० भगत : इंट्रेस्ट तो नहीं मिलता है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि इंगलैण्ड द्वारा स्थापित किये जाने वाले दुर्गापुर के लोहे के कारखाने की लागत इस निधि से दी जायेगी ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक पृथक् प्रश्न है ।

श्री ए० एम० थामस : प्रस्तावित घाटे की अर्थ-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये, क्या इस निधि को मुक्त किये जाने के लिये कोई नई बातचीत की गई है ?

श्री बी० आर० भगत : नई बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पहले क़रारों में निश्चित की गई सीमा तक की इस राशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्योंकि सरकार पौंड पावने से मुक्त की गई धन राशि का उपयोग नहीं कर सकी है । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उस निधि को विदेशों में किसी उद्योग में विनियोजित करने के लिये कार्यवाही करने का विचार करेगी ?

श्री बी० आर० भगत : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम हमेशा अपने विदेशी विनिमय मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं । यद्यपि हमारे पास पर्याप्त पौंड पावना बकाया है, तथापि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस समस्त धन-राशि का उपयोग कर लिये जाने की आशा है ।

तम्बाकू

*५७० **श्री डाभी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के मौजूदा उत्पाद-शुल्क तटकर की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन हैं तथा उनके निर्देश-पद क्या हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है तथा उसके सदस्यों के नामों तथा निर्देश-पदों के बारे में शीघ्र ही घोषणा की जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह समिति तम्बाकू उगाने वालों को उनके उपयोग के लिये उगाये गये तम्बाकू को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री ए० सी० गुह : यह तो पहले से ही है । तम्बाकू उगाने वाले को तम्बाकू की एक विशेष मात्रा उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिये आवंटित की गई है । यह मात्रा, भूमि के क्षेत्रफल और उस क्षेत्र के निवासियों की आदतों और प्रथाओं के अनुसार विभिन्न होती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस समय जो छूट दी जाती है वह नगण्य है, और क्या इसलिये अग्रेतर छूट देने के प्रश्न पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा ?

श्री ए० सी० गुह : प्रश्न के प्रथम भाग को मैं स्वीकार नहीं करता । छूट की मात्रा प्रत्येक क्षेत्र के लिये भिन्न भिन्न होती है । मेरा ख्याल है कि किन्हीं क्षेत्रों में वह ९० पौंड तक है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

*५७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेना छात्र दल सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा नवम्बर, १९५४ में की गई सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय सेना छात्र दल के अग्रेतर विस्तार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार के लिये कितनी निधि दी गई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (नेशनल केडट

कोर) के विकास के लिये एक प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया जा चुका है और यह प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री त्यागी : समिति के सुझाव के अनुसार अब राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन० सी० सी०) के बालिका विभाग के विकास पर अब की अपेक्षा अधिक जोर दिये जाने की प्रस्थापना है । जहां तक व्यावहारिक दृष्टि से संभव है, प्रत्येक राज्य को इन यूनिटों में से कम से कम एक यूनिट देने का प्रयास किया जायगा—ई० एम० ई०, चिकित्सकीय, इंजीनियरिंग, वायु, नौसेना, आदि । सभी राज्यों में संतुलित विकास करने के लिये प्रयास किया जायेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय के लिये कुल कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

श्री त्यागी : इस बात का निर्धारण योजना आयोग को करना है । अभी तक वह किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका है ।

सशस्त्र सेनाओं में पदाधिकारियों का रिटायर किया जाना

*५७२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक सशस्त्र सेनाओं के कितने वरिष्ठ पदाधिकारियों को समय से पहले पेंशन पर रिटायर कर दिया गया है ; और

(ख) समय से पहले उन्हें रिटायर करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) दो ।

(ख) एक अफ़सर को अनुशासन भंग करने के अपराध में रिटायर किया गया और दूसरे को एक राज्य सरकार में पद ग्रहण करने की इजाजत दी गई ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस समय जो विभिन्न प्रकार के कमीशन्ड आफ़िसर्स के लिये रिटायरमेंट के नियम हैं व इस प्रकार के हैं कि अनुभवी और योग्य लोग भी पूरी सेवा करने के पहले ही रिटायर कर दिये जाते हैं ? क्या इस पर भी विचार किया जा सकता है कि उनके अनुभव और योग्यता से अधिक लाभ उठाया जाय ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू): यह मामला ज़ेर गौर है । मुश्किल यह है कि नीचे के जो अफसर हैं वह तादाद में बहुत ज्यादा हैं और ऊंचे अफसर बहुत कम हैं । इस वजह से ऊंचे अफसरों को ज्यादा रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से नीचे वाले की तरक्की ब्लाक हो जायेगी । मगर कुल मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : जो अफ़सर की अनुशासन भंग करने के कारण या अपराध पर अलग कर दिये जाते हैं उनके सिवाय और भी ऐसे अफ़सर हैं जो कि समय से पहले रिटायर कर दिये जाते हैं । क्या उनकी योग्यता और अनुभव से लाभ उठाने के लिये उनको और पदों पर नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ?

डा० काटजू : उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के पदों पर रखने की कोशिश की जाती है । यह कोशिश भी की जाती है कि उनको और पदों पर रखा जाय । मगर यह मामला बहुत दूर तक हमारे हाथ में नहीं है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या युद्ध सामग्री संगठन के जेष्ठयतम भारतीय अधीक्षक और प्रविधिक विकास स्थापना के निदेशक को समय से पूर्व

सेवा निवृत्त होने पर बाध्य किया गया है और क्या ब्रिटिश कार्य प्रबन्धकों को हाल ही में तरक्की दे कर अधीक्षक बनाया गया है ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं ।

अन्य देशों को भारतीय सहायता

श्री डी० सी० शर्मा :
श्री एस० एल० सक्सेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में भारत द्वारा अन्य देशों की सहायतार्थ कितनी धन राशि दिये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा केवल नेपाल को आर्थिक सहायता दी जा रही है और १९५५–५६ में १·६६ करोड़ रुपये की धन-राशि के दिये जाने की आशा की जाती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किस उद्देश्य के लिये नेपाल को यह आर्थिक सहायता दी जाने को है ?

श्री बी० आर० भगत : यह आर्थिक सहायता विकास कार्यों के लिये दी जा रही है तथा उनमें से कुछ योजनायें यह हैं––हवाई अड्डों का निर्माण, और उनकी देखरेख, छोटी सिंचाई योजनायें, त्रिसूली परियोजना, उर्वरकों का संभरण और छोटी मदें आदि ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि नेपाल के हवाई अड्डों के विकास के लिये कितनी धन-राशि अलग रखी गई है ?

श्री बी० आर० भगत : हवाई अड्डे की देखरेख के लिय बीस लाख रुपये और हवाई अड्डे पर एक स्थायी धावन मार्ग के निर्माण के लिये २५.२८ लाख रुपये ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं क क्या अभी हाल में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा को कोई सहायता दी गई है, और यदि हां, तो इस सहायता का स्वरूप और मात्रा क्या है ।

श्री बी० आर० भगत : वह एक पृथक् प्रश्न है । वह ब्रह्मा को दिया गया एक ऋण है ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्देशिया को प्राविधिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे यह जानकारी देने में हर्ष होता है कि जून, १९५५ तक हमने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों को प्रशिक्षण सुविधायें दी हैं : नैपाल १९० प्रशिक्षणार्थी, श्रीलंका ४६, मलाया २, फिलिपीन २१, ब्रह्मा १२, हिन्देशिया १५, पाकिस्तान २९, थाईलैण्ड ८, वियतनाम २ । नैपाल और श्रीलंका को कुछ विशेषज्ञ भी दिये गये हैं ।

श्री तिमय्या : नपाल सरकार को यह ऋण किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : वे सहायता के रूप में दिये गये हैं ऋण के रूप में नहीं । उक्त सहायता कोलम्बो योजनान्तर्गत दी गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : पाकिस्तान को किस प्रकार की प्राविधिक सहायता दी जाने वाली है ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न का सम्बन्ध आर्थिक सहायता से है । संयोगवश मैंने प्राविधिक सहायता की ओर निर्देश किया था । यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछें, तो मैं उन्हें ब्योरा दे सकता हूं ।

भारतीय वायुसेना की टुकड़ियों की नेपाल यात्रा

***५७४. श्री विभूति मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५५ में, भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी

ने नैपाली हवाई अड्डों पर उपलब्ध उड्डयन सम्बन्धी सुविधा का स्थानीय रूप से अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त टुकड़ी ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) हवाई अड्डों के सुधार और उन पर कुछ सुविधाओं के दिये जाने के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं, किन्तु सभी ब्यौरों का बताना लोक हित में नहीं होगा ।

श्री विभूति मिश्र : नैपाल में जो फिल-हाल एयरफ़ील्ड हैं क्या उनके अलावा भी नवीन एयरफ़ील्ड बनाने के लिये सिफ़ारिश की जा रही है या जो हैं उन्हीं को रखा जायगा ?

सरदार मजीठिया : नये एयरफ़ील्ड बनाने की कोई सिफ़ारिश नहीं है । जो पहले से ही हैं उनकी बहतरी के लिये सिफ़ारिश है ।

श्री विभूति मिश्र : सेमड़ा बासा में जो एयरफ़ील्ड है वह बरसात में चल नहीं सकता । क्या सरकार उसको अविलम्ब इम्प्रूव करेगी ?

सरदार मजीठिया : उसके मुताल्लिक तो नैपाल गवर्नमेंट से पूछना चाहिये ।

श्री कामत : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सुधारों के फलस्वरूप, इन हवाई अड्डों को अन्तरांष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा, जिसका भारत एक सदस्य है, विहित सुरक्षा आवश्यकताओं के स्तर तक लाया जा सकता है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं । यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह हवाई अड्डे नैपाल की सरकार द्वारा आन्तरिक रूप से चलाये जाते हैं तथा भारत की असैनिक एयर लाइन्स द्वारा सहायता दी जाती है ।

श्री कामत : क्या यह सच नहीं है कि सुरक्षा आवश्यकतायें सभी हवाई अड्डों के लिये , चाहे व आन्तरिक हों या अन्तरांष्ट्रीय, विहित की गई हैं ? क्या इसका यह अर्थ है कि इन पर सुरक्षा आवश्यकतायें बिलकुल नहीं हैं ?

सभापति महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अगला प्रश्न ।

उड़ीसा की खानों के लिये निदेशालय

*५७७. **श्री संगण्णा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** : मंत्री २० सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के लिये एक भिन्न निदेशालय स्थापित किये जाने की योजना उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के मुख्य बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार से भारत सरकार को कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये उसकी जो प्रस्थापनायें हैं उनमें खानों के लिये निदेशालय स्थापित किये जाने की योजना समाविष्ट है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खानों के लिये एक निदेशालय की स्थापना खानों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक पग है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूं यह मुझे एक पृथक प्रस्ताव ज्ञात होता है जिसे उड़ीसा सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया

है और इस पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस का भारत सरकार की या किसी भी राज्य सरकार की राष्ट्रीयकरण योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये।

बहरों की शिक्षा

*५७८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री के० पी० सिन्हा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहरों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी सामान्य दशा में सुधार करने के सम्बन्ध में सितम्बर, १९५५ में मसूरी में हुई गोष्ठी की मुख्य शिफारिशें क्या हैं

(ख) क्या सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है ;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों के सहयोग से मिनिस्ट्रियल अथवा सचिवालय स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई योजना या कार्यक्रम बनाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]

(ख) सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है ।

(ग) बहरे बच्चों के लिये माडल स्कूल और प्रोढ़ बहरों के लिये तकनी की प्रशिक्षण केन्द्र को जिन्हें खोलने की गोष्ठी ने सिफारिश की है दूसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ।

(घ) नहीं।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सिफारिशें शिक्षा मंत्रालय में कब प्राप्त हुईं ?

डा० एम० एम० दास : गोष्ठी १९ से २४ सितम्बर १९५५ तक हुई थी। उसके बाद, उन्होंने हमें अपना प्रतिवेदन भेजा। अभी मुश्किल से एक महीना हुआ है।

श्री श्रीनारायण दास : जो वक्तव्य सभा के पटल पर रखा गया है उससे मालूम होता है कि ऐसी बहुत सी सिफारिशें हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित है । तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कोई सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है ताकि इन सिफारिशों को जल्दी काम में लाया जाये ?

डा० एम० एम० दास : इस गोष्ठी ने कुल ४७ सिफारिशें की हैं और भारत सरकार ने उनमें से दो सिफारिशें स्वीकार कर चुकी है इनकी कार्यान्विति का काम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। जहां तक इस बात का संबंध है, हम इसके बारे में योजना आयोग के उत्तर की प्रतिक्षा कर रहे हैं। अन्य सिफारिशों पर केवल भारत सरकार विचार करती है : राज्य सरकारों के साथ नहीं ।

श्री पी० एल० बारुपाल : क्या सरकार ने इस प्रकार के शिक्षा केन्द्र नेत्रहीनों के लिये खोलने की भी कोई योजना बनाई है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां नेत्र हीनों के लिये भी भारत सरकार के सामने एक योजना है और उसके कुछ भाग कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

श्रीमती रेनु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहरों के शिक्षा देने के लिये हमारे यहां कुछ बहुत अच्छी संस्थायें हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार, जिसने आज तक

इन संस्थाओं को बहुत ही थोड़ी सहायता दी है इन संस्थाओं के लिये कुछ विस्तार योजनायें स्वीकार करने तथा वित्तिय सहायता देने का है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक राज्यों में स्थित इन संस्थाओं का सम्बन्ध है, उन्हें वित्तीय सहायता देने की अभी सरकार की कोई योजना नहीं है परन्तु विद्यार्थियों और अध्यापकों को हम छात्रवृतियां तथा अधिछात्रवृतियां देने का प्रबन्ध कर रहे हैं ।

सेना कर्मचारियों के लिये परिवार-आवास

***५७९. सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री १२ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत सेना कर्मचारियों को परिवार आवास की आवश्यकता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : तीनों सेवाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर, विवाहित कर्मचारियों की प्रतिशतता लगभग ५७ आती है । यद्यपि सारे पदाधिकारियों को परिवार आवास का अधिकार है, तीनों सेवाओं में उन सैनिकों आदि की संख्या जिन्हें यह अधिकार प्राप्त है कुल संख्या की १४ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक है । जिन लोगों को आजकल यह अधिकार प्राप्त है उनकी संख्या के आधार पर लगभग ५२ प्रतिशत रहने के स्थान की कमी है । आगामी पंच वर्षीय योजना में रहने के लिये मकानों के लिये निर्माण के लिये उचित प्राथमिकता दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हम यह आशा करें कि द्वितीय पंच वर्षाय योजना के अन्त तक हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति के लिए मकान मिल जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : देश के विभाजन के समय हमारी क्या स्थिति थी, अर्थात, १९४७ में परिवार जनों के रहने के लिये हमें कुल जितने मकानों की आवश्यकता थी, उस संख्या के कितने प्रतिशत मकान हमारे पास थे ?

सरदार मजीठिया : पूर्व प्राप्त जानकारी के बिना, इन मकानों की संख्या लगभग ३० प्रतिशत होगी ?

श्री नाना दास : जिन परिवारों को रहने के लिये मकान नहीं मिलते, उन्हें कितना मकान किराया दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि जम्मू और काश्मीर के मोर्चे पर हमारे बहुत से अफसरों और सैनिकों ने स्वयं अपने हाथों से कार्य करके बहुत से निवासगृह बनाये हैं, यदि हां, तो क्या इस तरह के उदाहरण को प्रोत्साहित करने के लिये और जगहों पर भी वैसे कदम उठाये जा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : हमारे आदमियों ने जम्मू और काश्मीर में स्वयं अपने स्वतः प्रयत्नों से कुछ रहने के मकान बनाये हैं ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : ये सब अस्थायी झोंपड़ियां हैं ।

दियासलाई पर उत्पादन शुल्क

***५८०. श्री डाभी :** क्या वित्त मंत्री १८ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने अब मध्यम आकार के तथा कुटीर उद्योग के पैमाने के दियासलाई के कारखानों का, उत्पादन

शुल्क के आस्थगित भुगतान की रियायत के रूप में सहायता देने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चय क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). हां । सरकार ने निश्चय किया है कि स्थानीय सहकारी संस्था अधिनियम के अधीन रजिस्टर हुये दियासलाई के कारखानों को, कुछ परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन, शुल्क के आस्थगित भुगतान की रियायत दी जा सकती है ।

श्री बंसल : क्या सरकार को विदित है कि छोटे पैमाने के और मध्यम आकार के कुटीर उद्योग के पैमाने के दियासलाई के कारखानों के इन उत्पादों का विवरण बहुत ही दोषयुक्त है; यदि हां, तो क्या सरकार इन कारखानों को अपने उत्पादों का अच्छा विपणन करने के लिये कुछ सहायता देगी ?

श्री ए० सी० गुह : यह प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा जा सकता है । वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि सरकार कुटीर उद्योगों पर से उत्पादन शुल्क पूर्णतया समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं नहीं समझता कि आजकल कोई ऐसा प्रस्ताव है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सहकारी दियासलाई के कारखाने, वे चाहे किसी आकार के हों, शुल्क से मुक्त हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मेरा यही ख्याल है । वर्तमान स्थिति यही है ।

हिन्दी शिक्षण समिति

***५८१. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षण समिति ने जो प्रादेशिक समितियां बनाई थीं क्या उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य सिफारीशें क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित है ?

डा० एम० एम० दास : हां, समय-सीमा थी । अन्तिम ता ीख ३१ अक्टूबर थी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इन सदस्यों को कुछ मानदेय दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : सदस्यों को मानदेय के रूप में कोई मानदेय नहीं दिया जाता परन्तु इन चार प्रादेशिक समितियों में से प्रत्येक के प्रभारी मंत्री को कलर्क, लेखन सामग्री आदि के लिये १५० रुपये प्रति मास दिये जाते हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं इस समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूँ ?

डा० एम० एम० दास : पूर्वी क्षेत्र (ज़ोन) के मंत्री श्री आर० डी० दिनकर, संसद सदस्य हैं, दक्षिण क्षेत्र (ज़ोन) के मंत्री श्री टी० एस० ए० चेट्टियार, संसद सदस्य है, पश्चिमी क्षेत्र (ज़ोन) के सचिव डा० राज बलि पंडया हैं, और उत्तरी क्षेत्र (ज़ोन) के सचिव श्री एम० सत्यनारायण संसद सदस्य हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ३१ अक्तूबर, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने का क्या समिति ने कोई कारण बताया है ?

डा० एम० एम० दास: हमें अभी तक उनसे कोई सूचना नहीं मिली है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि समिति ने न तो प्रतिवेदन ही प्रस्तुत किया है और न ही विलम्ब का कोई कारण बताया है, क्या सरकार समिति का विगठन करने पर विचार करेगी ?

डा० एम० एम० दास : हमें बहुत शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है।

भारतीय विमान बल

***५८२. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विमान बल को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : यह बताने की लोक हित में नहीं है कि विमान बल को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मोटे तौर पर मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या हमारे देश के हवाई बेड़े में वृद्धि करने का कोई प्रयत्न किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : यह मामला सदैव ही विचाराधीन रहता है, ताकि हमारा विमान बल हमारे साधनों के अनुकूल यथा-संभव शक्तिशाली हो ।

श्री डी० सी शर्मा : द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के सम्बन्ध में क्या रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिये साधारण रूप में और विमान बल के लिये विशेष रूप से कोई योजनायें बनाई ?

डा० काटजू : द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि 'पोलैंड जेट लड़ाकू विमानों, के प्रयोग से भारतीय विमान बल में वृद्धि की जायेगी और इनके पुर्जे आदि ग्रेट ब्रिटेन से आयेंगे ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र घुमा फिरा कर मुझसे केवल इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि उत्तर देना लोक हित में नहीं है ।

श्री यू० सी० पटनायक : रक्षित विमान बल, विमान रक्षा रक्षित सेना और सहायक विमान बल बनाने में , जिसके लिये तीन वर्ष पूर्व संसद् में बड़े उत्साह के साथ एक अधिनियम पारित किया गया था सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० काटजू : मैं प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री यू० सी० पटनायक : मेरा प्रश्न यह था कि रक्षित विमान बल, विमान रक्षा रक्षित सेना और सहायक विमान बल बनाने में, जिसके लिये तीन वर्ष पूर्व जब कि उनके स्थान पर उनके पूर्वाधिकारी थे संसद् में बड़े उत्साह के साथ एक अधिनियम पारित किया गया था, सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० काटजू : अपने वित्तीय साधनों के अनुकूल तथा अन्य सीमाओं के अधीन हम यथासंभव कार्यवाही करेंगे ?

भारतीय नौसेना का बेड़ा

***५८३. श्री विभूति मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में, भारतीय नौसेना के बेड़े के जहाज, प्रशिक्षण अभ्यास के लिये किन किन देशों में गये ; और

(ख) ये यात्रायें किस सीमा तक सफल सिद्ध हुई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) **ग्रीष्म अभ्यास** : मिस्र, साइप्रस, तुर्की, फ्रांस, इटली, लिबिया, इथोपिया, माल्टा, इंडोनेशिया, मलाया तथा श्रीलंका ।

बसन्त अभ्यास: फारस, ईराक़, बहरीन, मस्काट तथा अदन ।

(ख) भारत तथा इन देशों के बीच मैत्री बनाने में तो यात्रायें बहुत सफल सिद्ध हुई हो है, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा हमारी नौसेना को अमूल्य प्रशिक्षण भी मिला है ।

श्री विभूति मिश्र : इस एक्सरसाइज़ (अभ्यास) में सरकार का कितना खर्चा हुआ और इसमें कितना समय लगा ?

सरदार मजीठिया : इस एक्सरसाइज़ (अभ्यास) में कोई फालतू खर्चा नहीं होता क्योंकि यह एक्सरसाइज़ (अभ्यास) तो नार्मल रुटीन में सामान्य कार्य के रूप में होती है ।

श्री विभूति मिश्र : जब जब हर साल यह एक्सरसाइज़ (अभ्यास) होती है तो क्या इसमें दूसरे दूसरे आदमी रखे जाते हैं ताकि उनकी भी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) हो सके ?

सरदार मजीठिया : इस में तो सिर्फ नेवी (नौसेना) के आदमी ही होते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या निकट भविष्य में नौसेना की भारतीय इकाइयों (यूनिट्स) तथा पाकिस्तानी इकाइयों के साथ इसी प्रकार के अभ्यास किये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

सरदार मजीठिया : पाकिस्तान के साथ अभ्यास के सम्बन्ध में, इस समय मेरे पास कुछ सामग्री नहीं है, परन्तु यदि वे हमसे इस सम्बन्ध में बातें करें तो दोनों के लाभ के कारण साथ साथ अभ्यासों से हमें बड़ी प्रसन्नता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हो गई है । अब हम उन प्रश्नों को लेते हैं जिनके अधिकार दूसरों को दिये गये हैं ।

खाद्य-पार्सलों का विमान द्वारा गिराया जाना

*५४७. **श्री भक्त दर्शन (श्री एम० एल० अग्रवाल** की ओर से) : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कपूरथला जिले के कानदान वाली गांव में भारतीय वायुबल के एक विमान द्वारा ऊपर से गिराये गये एक उपहार पार्सल से दो लड़के मारे गये थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जो कुछ समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है इसके अतिरिक्त सरकार को इस दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और जांच करने के बाद यह तै किया गया है कि उसके बारे में कोई सूचना नहीं है ?

सरदार मजीठिया : न तो एअर हेड-क्वार्टर्स में कोई ऐसी खबर है, न आर्मी हेडक्वार्टर्स में कोई ऐसी खबर है, और न स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी खबर है ।

श्री भक्त दर्शन : जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो क्या मंत्रालय ने यह उचित नहीं समझा कि चाहे शिकायत मिली हो या न मिली हो, इसकी जांच की जाये और पता लगाया जाये ?

सरदार मजीठिया : जब ऐसी शिकायत ही नहीं है तो जांच क्या की जाये । पेपर्स में तो खबरें निकलती रहती हैं, कोई सच होती है और कोई सच नहीं होती । उन सब की छो पड़ताल नहीं होती ।

प्र

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालिज

*५४१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालिज की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं, अभी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भर्ती सम्बन्धी नियम

*५४२. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवाओं में भर्ती की अधिवास सम्बन्धी अर्हतायें निर्धारित करने वाले राज्य के नियमों तथा आदेशों का संशोधन करने के विचार से संविधान के अनुच्छेद १६(३) के अधीन आवश्यक विधान लोक-सभा में कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों तथा अन्य सभी उचित तथ्यों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद १६(३) के अधीन विधान बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है । इस समय यह बताना कि यह विधान संसद् में कब प्रस्तुत होगा संभव नहीं है ।

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग

*५४३. **श्री एन० राचय्या :**
श्री रामचन्द्र रेड्डी :
श्री एन० एम० लिंगम :
श्री के० सी० सोधिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी सब सिफारिशें स्वीकृत हो चुकी हैं ; और

(ग) आयोग ने कुल कितनी धन-राशि व्यय की ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ५ लाख रुपये ।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

*५५०. **श्री हेडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाले विधान को पारित कर लिया है ;

(ख) क्या संघ सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश अथवा मंत्रणा दी है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) १८ राज्य सरकारों ने ।

(ख) कोई भी निदेश देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम-उच्चतर शिक्षा समिति

*५५२. **श्री के० पी० सिन्हा :**
श्री दिगंबर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उच्चतर शिक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : सरकार ने ग्राम उच्चतर शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करने का निर्णय कर लिया है । ग्राम संस्थाओं के विकास के लिये, मंत्रालय में एक अलग विभाग भी स्थापित कर दिया गया है।

भारत में विदेशी प्रशिक्षणार्थी पदाधिकारी

*५५५. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने विदेशी प्रशिक्षणार्थी पदाधिकारी, विशेषतया असैनिक सेवा में, इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : भारत में ७६ विदेशी पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । सभा पटल पर रखे गये विवरण में ब्यौरा दिया गया है । इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कोलम्बो योजना के अधीन की गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]

सूखे झींगों का निर्यात

*५५६. **श्री पन्नूस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर में बर्मा सरकार के व्यापार मंत्री के भारत आने के समय, भारत सरकार ने उनसे बर्मा को सूखे झींगों का निर्यात करने के प्रश्न पर बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुये ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). बर्मा से आये प्रतिनिधि-मंडल से, मुख्यत: उस देश को ऋण देने के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी । सूखे झींगों के निर्यात समेत, व्यापार सम्बन्धी मामलों पर भी चर्चा की गई थी जिससे भारत बर्मा व्यापार की संभावना बढ़ सके । परन्तु भारत सरकार ने झींगा समेत, किसी भी वस्तु के निर्यात के सम्बन्ध में, ऋण में शर्तें रखना आवश्यक नहीं समझा ।

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी

*५५७. **श्री धूसीया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के पदाधिकारियों तथा सैनिकों के वेतनों में कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) उनके युद्ध-पूर्व तथा युद्धोत्तर वेतनों में कितने प्रतिशत अन्तर है ; और

(घ) यह कमी किन कारणों से की गई थी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). १९४७ में, पदाधिकारियों तथा सैनिकों के लिये एक नई वेतन संहिता लागू की गई थी । नई वेतन संहिता द्वारा निर्धारित वेतन की दरें, निश्चित रूप से गत युद्ध से पूर्व के शान्तिकाल की वेतन दरों से ऊंची हैं । पदाधिकारियों के पद से नीचे के कर्मचारियों के वेतन दर भी युद्ध काल में दिये जाने वाले दरों की तुलना में ऊंचे ही हैं । परन्तु पदाधिकारियों के वर्तमान दर युद्ध-काल की दरों से नीचे हैं ।

(ग) सभा-पटल पर विवरण रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ७१]

(घ) युद्ध काल में जो वेतन दर ब्रिटिश पदाधिकारियों के लिये थे, वे सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले भारतीय पदाधिकारियों पर भी लागू होते थे । यह रियायत केवल युद्ध काल के लिये ही थी तथा युद्ध के पश्चात् इसको चालू रखना उचित नहीं था । १९४७ में लागू की गई नई वेतन संहिता, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उच्च सैनिक सेवाओं के लिये निश्चित वेतन दरों से सम्बन्धित थे ।

जाली मुद्रा

*५५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पुलिस ने कई करोड़ रुपये के जाली नोट चलाने के लिये जिम्मेदार एक अन्तर्राष्ट्रीय दल का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). प्रत्यक्षतः प्रश्न का निर्देश समाचार पत्रों में प्रकाशित घटना के एक समाचार की ओर है जिसमें जालसाजी के एक कुप्रयास को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है । बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, १ नवम्बर, १९५५ को , एक पूर्व गुप्त सूचना के आधार पर रचाये गये जाल की सहायता से पटना में तीन व्यक्ति पकड़े गये थे । घर की तलाशी से, १७ रुपये के संदिग्ध जाली नोट प्राप्त हुये थे । समाचार पत्र की इस सूचना का कोई आधार मालूम नहीं होता कि व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह अथवा अन्तर राज्य गिरोह के हैं तथा करोड़ों रुपयों के नोटों से सम्बन्धित हैं ।

तेल की खोज और शोधन

*५६४. **श्री अमजद अली** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज और शोधन के लिये रुमानिया ने भारत को इस कार्य में अनुभवी प्रतिनिधि देने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) क्या उसने तेल निकालने के लिये भूमि में छेद करने वाले उपकरण देने का भी प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्रवाहियां की गई हैं;

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी हाँ ।

(ग) यह बिषय सरकार के विचाराधीन है ।

इंजीनियरिंग में स्नकोत्तर प्रशिक्षण

*५६५. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में इंजीनियरी और औद्योगिक संस्थाओं में स्कूलोत्तर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये ६४५ बरिष्ठ और २२७ कनिष्ठ वृत्तिकाओं के सम्बन्ध में क्या उम्मीदवारों का चुनाव हो गया है; और

(ख) इन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक संस्थाओं का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ५६९ वरिष्ठ और २०८ कनिष्ठ वृत्तिकायें देने के लिए चुनाव किया जा चुका है । शेष के लिए चुनाव किया जा रहा है ।

(ख) औद्योगिक संस्थाओं का चुनाव उनमें प्रशिक्षक सुविधाओं के स्वरूप और क्षेत्र उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय अभिरुचि और विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

स्टेशन स्टाफ पदाधिकारी (एस० एस० ओ०) का कार्यालय, कलकत्ता

*५७५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता फोर्ट क्षेत्र के एस० एस० ओ० कार्यालय में हाल में कोई गबन का मामला हुआ है ;

(ख) यदि हां, गबन की रकम क्या थी; और

(ग) जांच का स्वरूप क्या था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) रु० ७९,५०६-१२-२ ।

(ग) हानि की जांच के लिए एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया था। यह बताया गया है कि अन्तर्ग्रस्त पदाधिकारी ने स्वेच्छा से यह स्वीकार कर लिया है कि उसने इस राशि का निजी कामों में उपयोग किया। अभियुक्त पर अब सेना-न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाहियां की जा रही हैं।

स्वतः भरी जाने वाली रायफलें

*५७६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सशस्त्र सेनाओं में स्वतः भरी जाने वाली रायफलों का प्रयोग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). सशस्त्र सेनाओं में स्वतः भरी जाने वाली रायफलों का प्रयोग आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारी

३०८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि शिलौंग समाहर्तृ कार्यालय में कुछ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को इस बात पर नोटिस दिए गए हैं कि वह इस बात का कारण बतायें कि हिन्दी की एक परीक्षा में असफल रहने के कारण क्यों न उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायें ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : चौदह कर्मचारियों को वैभागिक परीक्षा नियमों के अनुसार नोटिस दिए गए थे क्योंकि वे वैभागिक परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे। लेकिन पुनः परीक्षा के पश्चात् उन सभी कर्मचारियों को हिन्दी की परिक्षा में बैठने का एक और अवसर दे दिया गया है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप :

३०९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीपों के निकट, १९५२ से अब तक कितनी विदेशी नाव अथवा जहाज अनधिकृत रूप से घूमते हुए पकडे गये हैं;

(ख) इनमें से कितने जहाजों पर भारत सरकार ने ब्जा कर लिया तथा कितनों को वापिस कर दिया;

(ग) भारतीय सीमा में इस प्रकार अनधिकृत रूप में घुस आने के क्या प्रयोजन थे; और

(घ) भारत सरकार अथवा उनके अपने देशों की सरकारों ने उस अपराध के लिये उनके चालकों तथा दूसरे व्यक्तियों को क्या दण्ड दिये ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) चार मोटर नावें और तीन छोटी नावें (सैम्पैन)।

(ख) सब नावें सरकार द्वारा जब्त कर ली गई।

(ग) निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता लेकिन जाहिर है कि उनका उद्देश्य कीमती सीपों को गैर कानूनी तरीके से खोजना था।

(घ) अन्दमान प्रशासन द्वारा बिना आज्ञा प्रवेश करने वाले विदेशियों को दी गई सजा का विवरण इस प्रकार है:—

१—ऐस० ऐम० ऐफ० ३३—कप्तान और ११ मल्लाहों को ६ महीने की कड़ी कैद की सजा।

२—ऐस० एम० ऐफ० १३०—मालिक और ८ मल्लाहों को ६ महीने की कड़ी सजा।

३—हैनरी न० १/०४७०—कप्तान और ३३ मल्लाहों को ६ महीने की कड़ी कैद की सजा।

४—ऐस० ऐम० ऐफ० ६३—कप्तान और ९ मल्लाहों को फिशरीज रेग्यूलेशन के अन्तर्गत ४ महीने की कड़ी सजा और कप्तान तथा ९ मल्लाहों को फारेनर्स एक्ट १९४६ के अन्तर्गत १ साल की कड़ी सजा दी गई जो दोनों साथ साथ चलेंगी। उनकी सरकारों द्वारा उनको दी गई सजा के बार में, हमें मालूम नहीं है।

सैनिक न्यायालय द्वारा परीक्षण

सरदार हुक्म सिंह :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५५ में प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध साधारण और जिला सेना न्यायालयों द्वारा परीक्षण के मामलों की संख्या क्या है;

(ख) वह अपराध क्या हैं जिनके कारण उन पर मुकदमा चलाया गया; और

(ग) विभाजन के बाद क्या किसी विशेष अपराध, दोष या उपापराध में वृद्धि हुई है?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू): (क) क्रमशः ४८ और ६७।

(ख) मुख्यतः बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने; अवज्ञा और अच्छी व्यवस्था और सैनिक अनुशासन के प्रतिकूल दूसरे कार्यों; और चोरी, जालसाजी, सरकारी सम्पत्ति के गबन और कुप्रयोग के कारण उनपर मुकदमे चलाये गए।

(ग) जी नहीं।

सशस्त्र सेनाओं में विस्थापित व्यक्ति

सरदार हुक्म सिंह :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सशस्त्र सेवा कर्मचारियों में विस्थापित व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं; और

(ख) उनकी संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सभा में यह जानकारी देना जन हित में नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही सम्भव होगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा

३१२. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री एम० एल० अग्रवाल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम दास :
डार० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में प्रत्येक राज्य के लिए सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के सम्बन्ध में कितनी रकम की स्वीकृति दी; और

(ख) अब तक वास्तव में कितनी रकम का उपयोग हुआ है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५४–५५ और १९५५–५६ में स्वीकृत अनुदानों की राशियां बताई गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]**

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे बाद में बता दिया जाएगा।

राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना

३१३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना के संधारण पर प्रतिवर्ष कितना व्यय आता है ;

(ख) उसमें कुल कितने पदाधिकारी तथा कर्मचारी काम करते हैं ;

(ग) क्या पेटेंटों से सरकार को कुछ आय होती है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) इस समय वार्षिक आवर्त व्यय लगभग २० लाख रुपये है ।

(ख) ३५८.

(ग) और (घ) प्रयोगशला द्वारा विकसित प्रक्रमों के विदोहन के लिए दिये जाने वाले लाइसंसों पर प्रिमियम के रूप में अबतक ४२५० रुपये प्राप्त हुए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग

३१४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कौन-कौन से अत्योच्च टैकनीकल तथा विशेष पदों की पूर्ति की गई ;

(ख) इस प्रकार से पूर्ति किये गये रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या अब भी कोई ऐसे पद रिक्त हैं; और

(घ) यदि हां तो कितने ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (घ) १ अप्रैल, १९५३ से ३१ मार्च, १९५४ तक संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा इंजीनियर और टैक्नीकल पदों की पूर्ति की सूचना संघ लोक-सेवा आयोग की चौथी रिपोर्ट के पैरा २६ और अपेन्डिक्स ७ में दी गई है जो २७ सितम्बर १९५५ को सभा-पटल पर रख दी गई थी। इसी अवधि में उन पदों की संख्या और उनके नाम, जिनके लिये आयोग को योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसी रिपोर्ट के पैरा २७ और अपेन्डिक्स १० में दिये हुए हैं।

१ अप्रैल १९५४ से ३१ मार्च १९५५ तक की ऐसी ही सूचना संघ लोक-सेवा आयोग की पांचवीं रिपोर्ट में दी हुई है जो आयोग से प्राप्त हो चुकी है और जितनी जल्दी सम्भव

हो सकेगा सभा-पटल पर वह रिपोर्ट रख दी जाएगी ।

आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अथवा आई० पी० एस० पदाधिकारी

३१५. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अथवा आई० पी० /आई पी० एस० पदाधिकारियों ने १९५३ और १९५४ में अपने सरकारी पदों से त्याग-पत्र दे कर गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में नौकरी कर ली है ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने अधिकारियों ने सेवा निवृत्त होकर औद्योगिक संस्थाओं में नौकरियां कर ली हैं।?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) आई० सी० एस०/आई० ए० ऐस० अथवा आई० पी०/ आई० पी० ऐस० के किसी भी पदाधिकरी ने सन् १९५३ और १९५४ में सरकारी पदों से त्याग पत्र दे कर गैर सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में नौकरी नहीं की है ।

(ख) ऊपर दी गई अवधि में निवृत्ति के बाद १० अधिकारियों को औद्योगिक संस्थाओं में नौकरी करने की आज्ञा दी गई थी ।

आधुनिक शस्त्रास्त्र का उत्पादन

३१६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए आधुनिक शस्त्रास्त्र के उत्पादन के सम्बन्ध में क्या सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री तागी) : (क) अगले ५ से १० वर्षों के लिए सशस्त्र सेनाओं की आयोजित आवश्यकताओं के आधार पर हमारे युद्ध-सामग्री कारखानों के लिए उत्पादन की एक योजना तैयार की जा रही है । ये योजनाए निश्चित रूप से दूसरी पंच वर्षीय योजना का एक भाग नहीं है लेकिन इन परियोजनाओं के लिए रक्षा मंत्रालय की निधि सम्बन्धी आवश्यकताएं योजना आयोग को बता दी गई हैं ।

(ख) अन्तिम लक्ष्य देश में रक्षा उपकरण के उत्पादन के विषय में आत्मनिर्भर होना है लेकिन पांच वर्ष के समय में रक्षा उत्पादन की कुछ महत्वपूर्ण मदें स्थापित नहीं की जा सकतीं इसलिए यह लक्ष्य अगले पांच वर्षों में पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सकता ।

तुर्की को पुस्तकों की भेंट

३१७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में सरकार ने कुछ भारतीय पुस्तकें तुर्की को भेंट की हैं; और

(ख) यदि हां, उनकी संख्या क्या है और उनका सम्बन्ध किन विषयों से है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में अवैध प्रवेश

३१८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त से ३० नवम्बर, १९५५ तक के समय में भारत-पाकिस्तान सीमा पर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, यात्रा सम्बन्धी मान्य दस्तावेजों के बिना, भारत में अवैध प्रवेश किये जाने की घटनाओं का यदि पता लगा है तो उनकी संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

तस्कर व्यापार

३१९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त से ३० नवम्बर, १९५५ तक की अवधि में क्या पूर्व और पश्चिम पंजाब की सीमाओं पर चोरी छिपे माल लाने, ले जाने की कोई घटना हुई हैं;

(ख) यदि हां, चोरी छिपे माल लाने, ले जाने वाले कितने व्यक्तियों का पता लगा और कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया;

(ग) चोरी छिपे माल लाने, ले जाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी व्यक्तियों की पृथक रूप से संख्या क्या है;

(घ) क्या उनमें से किसी के पास किसी देश का पार पत्र (पासपोर्ट) था और यदि हां तो उनकी संख्या क्या है; और

(ङ) इसी अवधि में निरोधक चौकियों पर जो सामान पकड़ा गया उसका कुल मूल्य क्या है?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां। केवल १ अगस्त से १५ नवम्बर, १९५५ तक के समय के आंकड़े प्राप्य हैं।

(ख) इस अवधि में (१ अगस्त से १५ नवम्बर, १९५५ तक) जिन चोरी छिपे माल लाने ले जाने वालों का पता लगा उनकी संख्या १४४ है। इनमें से ८६ मामलों में वैभाजिक दण्ड दिया गया है; एक मामले में, जो सामान पकड़ा गया था वह किसी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही के बिना, छोड़ दिया गया; और शेष ५७ मामलों का न्याय-निर्णयन अभी किया जाना है चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति को परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया इसलिए किसी न्यायालय में कोई दण्ड नहीं दिया गया।

(ग) इन १४४ व्यक्तियों में से जिनकी चर्चा (ख) में है, ५३ भारतीय और ९१ पाकिस्तानी थे।

(घ) १४४ व्यक्तियों में से ९७ व्यक्तियों के पास पारपत्र (पासपोर्ट) था। इनमें ३१ भारतीय और ६६ पाकिस्तानी थे।

(ङ) इस अवधि में निरोधक चौकियों पर जो सामान पकड़ा गया उसका कुल मूल्य ४४,५७५ रु० था।

सैन्य सेवा निकाय

३२०. **श्री गोपाल राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध की अवधि के लिए सेना में सैन्य सेवा निकाय के सम्बन्ध में जो लांस नायक लिपिक (जी० डी०) भर्ती किए गए थे उन्हें तदुपरान्त सेना में नियमित नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, उनकी संख्या और उनकी सेवा के विनियम क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से बहुत से व्यक्तियों को १२ वर्ष की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले ही रक्षित पदों पर प्रत्यावृत कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है इस कार्यवाही के कारण क्या थे, और इस प्रत्यावर्तन से उनकी सेवा और उपलब्धियों और निवृत्ति वेतन पर कहां तक प्रभाव होता है?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी नहीं, सैन्य सेवा निकाय में लांस नायक के पद पर कोई लिपिक (जी० डी०) भर्ती नहीं किया गया।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सैनिक चांदमारी के मैदान

*३२१. { चौधरी मुहम्मद शफी :
श्री वी० जी० देश पांडे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) १९५५ में सरकार ने सेना के लिये चांद मारी के मैदानों के सम्बन्ध में जिन गांवों को अर्जित किया उन की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) सम्बन्धित क्षेत्र कुल कितना है और इसकी कुल जन संख्या क्या है ;

(ग) वैकेलिपक स्थान और प्रतिकर क्या दिया गया है ;

(घ) जिन मामलों का निर्णय हो चुका है और जो अभी लम्बित हैं उनकी संख्या क्या है ; और

(ङ) विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई नहीं ।

(ख से ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय सचिवालय

३२२. **श्री गिडवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आठ वर्षों से केन्द्रीय सचिवालय में लिपिकों का स्थायीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, उनके स्थायीकरण-आदेश कब जारी किए जायेंगे ; और

(ग) कितने लिपिकों के स्थायीकरण की आश्य है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख), भारत सरकार के सचिवालय और उस से सम्बन्धित विभागों में, जिनमें सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय भी है, १९४७ में संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली गई परीक्षा परिणामों के आधार पर, ५६८ व्यक्तियों को निम्न श्रेणी में स्थायी रिक्त पदों पर पक्का कर दिया गया था अथवा नामनिर्देशित कर दिया गया था । उसके बाद आयोग द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई, १९४७ से पूर्व आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के आधार पर १६५ व्यक्तियों को भी, जिन्हें स्थायी रिक्ताएं न होने के कारण पद पर पक्का नहीं किया गया था, निम्न श्रेणी में नामनिर्देशित कर दिया गया । इस के अतिरिक्त ३१ दिसम्बर, १९४७ तक सचिवालय और सम्बन्धित विभागों में भर्ती हुए अनुसूचित जातियों के २१७ लिपिकों को, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से अर्हताप्राप्त थे, रियायत के तौर पर अद्यतन स्थायी रिक्त पदों पर पक्का कर दिया गया है या नाम निर्देशित कर दिया गया है । इन के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में लिपिक पदों पर अस्थायी नियुक्तियां बहुत सी की गई हैं । इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में स्थायीकरण पर विचार किया जा रहा है । स्थायीकरण की सूचियां तेजी से तैयार की जा रही हैं ।

(ग) लिपिक सेवा में, प्रारम्भ में, श्रेणी १ (उच्च विभाग लिपिक) में १४५० और श्रेणी (निम्न विभाग लिपिक) में ३१०० व्यक्तियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा । इन में वे व्यक्ति भी हैं जो पहले ही लिपिक के पद पर स्थायी हैं ।

राष्ट्रीय नाट्यशाला

३२३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय नाट्यशाला के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : प्रस्तावित राष्ट्रीय नाट्य-

शाला की व्यापकता और आवश्यकताओं पर सिफारीशें करने के दृष्टिकोण से प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में दो वास्तुशास्त्रियों को पश्चिमी देशों में सब से अधिक महत्वपूर्ण नाट्यशालाओं और संगीत नाट्शालाओं के अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया था।

हिन्दुस्तान एयर क्राफट लिमिटेड

३२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गलौर की हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी में रेल के कितने डिब्बों का निर्माण हुआ है; और

(ख) पहली च वर्षीय योजना की अवधि में लक्ष्य क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) १ जनवरी से २२ नवम्बर, १९५५ तक १४५ डिब्बे ।

(ख) पहली पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिये कोई विशेष लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था ।

जनवरी १९५१ से नवम्बर १९५५ तक वास्तविक उत्पादन ६५४ रहा है जब कि आयोजित उत्पादन ६८२ था।

धर्म प्रचारक

३२५. **श्री पुन्नूस** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान और निकोबार-द्वीप में वदेशिक धर्म प्रचारकों की भारत के विरूद्ध कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री हातार) : (क) और (ख) जी हां, एक वैदेशिक धर्म प्रचारक के सम्बन्ध में समाचार मिला था । उसे बता दिया गया था कि उसे जिस प्रयोजन के लिये ीप में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, वह अब वहां वतमान नहीं है और इस कारण उस का वहां ठहरना आवश्यक नहीं है, तदनुसार वह अप्रेल १९५५ में द्वीप से ला गया था ।

खनिज तेल

३२६. **सरदार इकबल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ तथा १९५५ में अब तक देश के जिन प्रदेशों में खनिज तेलों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है उन के नाम क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी ी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**

उड़ीसा के लिये इजीनियरिंग कालिज

३२७. **श्री सारंगधर दास** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में एक इंजीनियरी कालिज स्थापित करने के सम्बन्ध में एक ोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनावर्तक और आवर्तक ख़र्च का प्राक्कलन क्या है; और

(ग) इस संस्था में इंजीनियरी की जिन शाखाओं में शिक्षा दी जा गी उन के नाम क्या हं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क), (ख) (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है इस में आवश्यक जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन

२२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन अब तक किन भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित, जी० बी० पंत) राज्य पुनगठन आयोग का प्रतिवेदन अब तक केवल अंग्रेजी में छापा गया है । इसका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है और हिन्दी वृतान्तर शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा ।

प्रतिवेदन के काशन के समय तिवेदन का सारांश सभी महत्वपूर्ण प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया था भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रणा दी है कि वे अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में प्रतिवेदन का अनुवाद करा लें ।

संघ लोक सेवा आयोग

३२९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री संघ लोक सेवा आयोग के निर्देश के बिना श्रेणी १ और २ सेवाओं की भर्ती के बारे में १२ सितम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से १९५५ तक मंत्रालयों ने ऐसे कितने व्यक्तियों को सीधे ही नियुक्त किया जिन्हें अब संघ लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है; और

(ख) वह अब जिन पदों पर नियुक्त हैं उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) सम्भवत : संकेत उन व्यक्तियों की ओर है जिन्हें उस समय काम को चलाते रहने के लिये मंत्रालयों ने श्रेणी १ और श्रेणी २ के पदों पर अस्थायी रूप से उस समय तक के लिये नियुक्त किया था और जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उचित विज्ञापन निकालने के बाद, चुनाव न कर लिया जाये, और जिन्हें उन्हीं पदों के लिये आयोग ने भी चुन लिया था । इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी और जितनी जल्दी संभव होगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अतिवयस्क पदाधिकारी

३३०. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी १, २ तथा ३ के ऐसे पदाधिकारीयों की पृथक् पृथक् संख्या क्या है जिन्हें (१) अतिवयस्कता के पश्चात पुनः नियुक्त किया गया अथवा (२) १९५४-५५ में जिनकी सेवा की अवधि बढ़ाई गई ; और

(ख) निवृत्ति के पश्चात् उनकी सेवा की अवधि बढ़ाने के लिये सरकार ने किन बातों को अपने सामने रखा था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में जानकारी दी गई है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ख) अतिवयस्कता के पश्चात् सेवा की अवधि बढ़ाने के समय मुख्य विचार जन हित का और उपयुक्त प्रतिविधिक कर्मचारियों की कमी का भी होता है ।

सेवा सम्बन्धी अपीलें

३३१. **डा० सत्वादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के पास उस समय सरकारी कर्मचारियों की अपनी सेवाओं

सम्बन्धित लम्बित अपीलों की संख्या क्या है; और

(ख) निर्णय के लिये सब से अधिक समय से लम्बित अपील को प्राप्त हुए कितना समय हो गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) पांच।

(ख) नौ महीने ।

काण्डला स्थित विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

३३२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री २३ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काण्डला पत्तन की विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के लिये दस लाख रुपये के मूल्य के विदेश से मंगवाये गए सामान के सम्बन्ध में जो जांच की गई थी उसके बारे में पुलिस की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या उस समय के पश्चात् किसी घोषित पदाधिकारी को निलम्बित किया गया है; और

(ग) यदि हां, उनकी संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार को अभी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं ;

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४५५९–०४

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
५३८	यूनेस्को	४५५९–६१
५३९	पंजाब में चुम्बक की तहें	४५६१–६२
५४०	युवक कल्याण गोष्ठी, शिमला	४५६२–६४
५४४	बैंक पंचाट आयोग	४५६५–६६
५४५	आस्ट्रेलिया द्वारा सहायता	४५६६–६७
५४६	हिन्दी की परिभाषिक शब्दावली	४५६७–६९
५४८	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड	४५६९–७०
५४९	नान-रेगुलर कमीशण्ड अफसर	४५७०–७१
५५१	बुनियादी शिक्षा	४५७१–७२
५५३	शिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन	४५७२–७४
५५४	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	४५७४–७५
५५९	नहरकटिया में तेल के कुएं	४५७६
५६०	सांख्यकीय और आर्थिक मंत्रणा सेवा	४५७७
५६१	नगरीय परिवार कल्याण परियोजनाएं	४५७७–७८
५६२	"अमरूतारा सन्तान"	४५७८–७९
५६३	अन्दमान और निकोबार द्वीपों में शिक्षा	४५७९–८१
५६५	ब्रेल प्रेस, देहरादून	४५८१–८२
५६६	सम्पदा शुल्क	४५८२–८४
५६७	अन्तर्राष्ट्रीय कुटीर उद्योग प्रदर्शनी	४५८४–८५
५६८	पौंड पावना	४५८५–८७
५७०	तम्बाकू	४५८७–८८
५७१	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	४५८८–८९
५७२	सशस्त्र सेनाओं में पदाधिकारियों का रिटायर किया जाना	४५८९–९०
५७३	अन्य देशों को भारतीय सहायता	४५९१–९२
५७४	भारतीय वायुसेना की टुकड़ियों की नेपाल यात्रा	४५९२–०४
५७७	उड़ीसा की खानों के लिये निदेशालय	४५९४–९५
५७८	बहरों की शिक्षा	४५९५–९७
५७९	सेना कर्मचारियों के लिये परिवार आवास	४५९७–९८
५८०	दियासलाई पर उत्पादन शुल्क	४५९८–९९
५८१	हिन्दी शिक्षण समिति	४६००–०१
५८२	भारतीय विमान दल	४६०१–०२
५८३	भारतीय नौ-सेन का बेड़ा	४६०२–०४
५८४	खाद्य पार्सलों का विमान द्वारा गिराया जाना	४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४६०५–२८

ता० प्र० संख्या विषय स्तम्भ

५४१ राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालिज ४६०५

५४२ भरती सम्बन्धी नियम ४६०५

५४३ पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग ४६०६

५५० अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ४६०६–०७

५५२ ग्राम उच्चतर शिक्षा समिति ४६०७

५५५ भारत में विदेशी प्रशिक्षणार्थी पदाधिकारी ४६०७

५५६ सूखे क्षेत्रों का निर्यात ४६०७–०८

५५७ सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी ४६०८–०९

५५८ जाली मुद्रा ४६०९

५६४ तेल की खोज और शोधन ४६१०

५६९ इंजीनियरी में स्कूलोत्तर प्रशिक्षण ४६१०–११

५७५ स्टेशन स्टाफ पदाधिकारी (एस० एस० ओ) का कार्यालय, कलकत्ता ४६११

५७६ स्वतः भरी जाने वाली राइफल ४६११–२२

३०८ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारी ४६१२

३०९ अन्दमान और निकोबार द्वीप ४६१२–१३

३१० सैनिक कार्यालय द्वारा परीक्षण ४६१३–१४

३११ सशस्त्र सेनाओं में विस्थापित व्यक्ति ४६१४

३१२ माध्यमिक शिक्षा ४६१५

३१३ राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना ४६१५–१६

३१४ संघलोक सेवा आयोग ४६१६–१७

३१५ आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अथवा आई० पी०/आई० पी० एस० पदाधिकारी ४६१७

३१६ आधुनिक शस्त्रास्त्र का उत्पादन ४६१७–१८

३१७ तुर्की को पुस्तकों की भेंट ४६१८

३१८ भारत में अवैध-प्रवेश [४६१८–१९

३१९ तस्कर व्यापार ४६१९–२०

३२० सैन्य सेवा निकाय ४६२०

३२१ सैनिक चांदमारी के मैदान ४६२१

३२२ केन्द्रीय सचिवालय ४६२१–२२

३२३ राष्ट्रीय नाट्यशाला ४६२२–२३

३२४ हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ४६२३

३२५ धर्म प्रचारक ४६२३–२४

३२६ खनिज तेल ४६२४

३२७ उड़ीसा के लिये इंजीनियरी कालिज ४६२४–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
३२८	राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन	४६२५
३२९	संघ लोक सेवा आयोग	४६२५–२६
३३०	अतिवयस्क पदाधिकारी	४६२६
३३१	सेवा सम्बन्धी आदेश	४६२६–२७
३३२	कांडला स्थित विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती	४६२७–२८

लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
६ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)
लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक	६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव	६२१५
खंड १ से ४	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८९–९२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९, ६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा . ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक . . . ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव . ७०१८

खंड २ और १ . . . ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन . ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . . ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका . ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा

मंगलवार, ६ दिसम्बर १९५५

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम करार के अन्तर्नियम और व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बो० आर० भगत) : मैं वित्त मंत्री की ओर से पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यपालिका निदेशकों द्वारा सरकारों को प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम करार के अन्तर्नियमों और व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस० ४२९/५५]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसचना

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४४१, दिनांक ९ नवम्बर, १९५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३३१०, दिनांक २८ अक्टूबर, १९५४ को रद्द करती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या-एस०-४३०/५५]**

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

डा० पी० एस० देशमुख : मैं औद्योगिक (विकास तथा विनिमयन) संशोधन विधेयक, १९५३ पर हुई चर्चा के समय ५ मई, १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में खाद्य और कृषि मंत्रालय के आदेश संख्या एफ० २९/११/५५-एस० वी०, दिनांक १२ अक्टूबर, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७७]**

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं औद्योगिक वित्त-निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उपधारा

[श्री ए० सी० गुह]

(३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या १९/५५ दिनांक १७ नवम्बर, १९५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिसके द्वारा अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त-निगम के सामान्य विनियमों में कुछ और संशोधन किये गये हैं। [पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस०-४३२/५५]।

नियम समिति

प्रथम प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम ३०६ के उपनियम (१) के अन्तर्गत नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : सभा अब नागरिकता विधेयक के खण्ड आठ से दस पर खण्डवार विचार करेगी। खण्डवार विचार के लिये जो पांच घंटे रखे गये थे उनमें से तीन घंटे बारह मिनट का तो उपयोग किया जा चुका है और अब एक घंटा अड़तालीस मिनट बचे हैं। एक घंटा तृतीय वाचन के लिये रखा गया है।

इसके उपरान्त सभा बीमा (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी, जिसके लिये पांच घंटे रखे गये हैं। कार्य मंत्रणा समिति की कल की बैठक की सिफारिश के अनुसार सभा आज शाम को ६ बजे तक बैठेगी।

श्री कामत (होशंगाबाद) : आज के कार्य का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज के क्रम-पत्र में बीमा (संशोधन) विधेयक का स्थान तीसरा है, जब कि कल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक कार्यक्रम में था। आज हम बीमा (संशोधन) विधेयक के लिये तैयार नहीं हैं। एक साथ कई विधेयकों के लिये तैयारी करना हमारे लिये संभव नहीं है। इसलिये आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक पर विचार किया जाय और बीमा (संशोधन) विधेयक पर कल विचार हो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसमें सार तो है, परन्तु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य करना संभव नहीं होता है। अभी तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं माननीय संसद्-कार्य मंत्री को बुलाकर उनसे माननीय सदस्य का सुझाव पढ़ने को कहूंगा

परन्तु साथ ही यह भी समझना चाहिये कि इसमें मेरे सामने एक कठिनाई भी है। माननीय सदस्य आज जिस विधेयक पर विचार कराना चाहते हैं वह आज के कार्य-पत्र में शामिल नहीं है, और इसे आज विचार के लिये लेना अनियमितता होगी और यह माननीय सदस्य की तैयारी संबंधी कठिनाई से कहीं अधिक गंभीर प्रकार की अनियमितता

होगी । मैं इसे आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकता । जहां तक यह बताने का प्रश्न है कि इसे कब, कल, परसों, या किस दिन के कार्यक्रम में रखा जायेगा, उसका उत्तर माननीय संसद्-कार्य मंत्री ही देंगे ।

जहां तक आज के कार्यक्रम का संबंध है नागरिकता विधेयक शाम को लगभग तीन बजे तक चलेगा और बीमा संशोधन विधेयक उसके बाद ही लिया जायेगा । उस पर विचार के लिये भी पांच घंटे दिये गये हैं इसलिये जो भी हो, माननीय सदस्यों को कल के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने का समय मिल जायेगा ।

श्री कामत : मैं आपसे अपनी दो कठिनाइयां हल करने का अनुरोध करना चाहता हूं । एक तो यह कि क्या हमें इस आशय का आश्वासन दिया जा सकता है कि भविष्य में सदस्यों को कम से कम ४८ घंटे पूर्व सूचना दिये बिना सभा के कार्य क्रम में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायगा । दूसरा यह कि, यदि संशोधन आज ही प्रस्तुत कर दिये गये तो क्या उनके लिये पूर्व सूचना का प्रतिबंध हटा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कह सकता हुं कि मेरी इच्छा है कि मैं सदैव ही ऐसा आश्वासन दे सकूं ।

श्री कामत : बहुत अच्छी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु एसे अवसर आते हैं जब परिवर्तन करना ही पड़ता है । मैं केवल यही कह सकता हूं कि जिन मामलों में परिवर्तन एकाएकी ही किया गया होगा, उनके संबंध में मैं पूर्व सूचना का प्रतिबंध हटाने के प्रश्न पर विचार कर सकता हूं । परन्तु जहां तक एक कार्यक्रम विशेष का ही अनुसरण करने और ४८ घंटों की पूर्वसूचना देने का प्रश्न है, मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं प्रयास करूंगा परन्तु एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मुझे इस आश्वासन से हट जाना पड़े । परन्तु जहां तक संभव होगा, मैं उस के अनुसार ही कार्य करूंगा ।

श्री कामत : मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप यह अनुभव करेंगे कि यदि इस प्रकार चीजें हम पर लादी गयीं तो चर्चा में प्रभावशाली ढंग से भाग लना हमारे लिये कितना कठिन हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं ।

नागरिकता विधेयक

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं खंड १० पर संशोधन संख्या ६७ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णागिरि) : मैं खंड १० पर संशोधन संख्या ९६ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : मैं खंड १० पर संशोधन संख्या ९७ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कल खण्ड १० में अपने संशोधनों का समर्थन करते समय मैं ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि वह यह सुझाव क्यों स्वीकार नहीं कर लेती कि नागरिकता से वंचित करने का कार्य एक प्रशासनिक प्रक्रिया न हो कर न्यायिक प्रक्रिया हुआ करे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस संबंध में सरकार ने केवल यही एक समझने में आने योग्य तर्क प्रस्तुत किया है कि उस ने जो पूर्व दृष्टान्त देखे हैं, उनमें अमरीका को छोड़कर कहीं भी ऐसी बात नहीं मिली है जिसके आधार पर नागरिकता से वंचित करने के लिये न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षित हो । यदि स्थिति यही है तो हमें ब्रिटेन अथवा दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षा अमरीका के उदाहरण का ही अनुसरण करना चाहिये । हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम पहल तो इस

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

विधेयक में निर्धरित शर्त्तों पर अन्य देशों के लोगों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करें और बाद में उनसे यह कह दें कि केवल प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा ही उन्हें इस नागरिकता से वंचित किया जा सकता है । सरकार ने इस विधेयक में जो एकमात्र परित्राण रखा है वह खण्ड १०, उपखण्ड (३) में है और उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि केन्द्रीय सरकार इस धारा के अन्तर्गत तब तक किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं करेगी जब तक कि उसे इस बात पर संतोषप्रद ढंग से विश्वास न हो जाय कि उस व्यक्ति का भारतीय नागरिक बने रहना सार्वजनिक लाभ में नहीं है । यह बात कार्यपालिका के स्वविवेक की बात बनी हुई है और यह परित्राण नितांत अव्यावहारिक है । हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्यपालिका द्वारा किस प्रकार 'सार्वजनिक हित' वाक्यांश का दुरुपयोग किया गया है और उसके स्थान पर संभवतः गृहकार्य-मंत्री के कौशल से 'सार्वजनिक लाभ' का जो वाक्यांश रखा गया है वह भी अधिक प्रभावशाली नहीं सिद्ध हो पायेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि नागरिकता से वंचित करने के हमारे विधान में न्यायिक परित्राण रहना आवश्यक है ।

मैं ने एक और संशोधन भी प्रस्तुत किया है जो मेरे माननीय मित्र श्री कामत द्वारा प्रस्तुत संशोधन से बहुत मिलता जुलता है । उस संशोधन द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजीयन द्वारा नागरिक बनने वालों के लिये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना आवश्यक नहीं होना चाहिये । मैं इस बात से सहमत हूं कि संविधान हमारे देश की सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्नता का द्योतक है । परन्तु मैं श्री कामत के समान उसके स्थान पर 'गणतंत्र' अथवा 'भारत' शब्द रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस विचार पर आग्रह करना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा संविधान तो बदले भी जा सकते हैं, और वास्तव में राज्य, अथवा 'गणतंत्र' के प्रति निष्ठा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ।

मैं इस बात पर विशेष आग्रह इसलिये और भी करना चाहता हूं जिससे कि सरकार यह समझ सके कि हम किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने वाले हैं । वे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व-शान्ति मानवीय प्रगति और इसी प्रकार के आन्दोलनों के क्षेत्र में विशेष ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होंगे, उनका चरित्र आदर्शवादिता, ईमानदारी उल्लेखनीय होगी और जो अपने देश तथा अन्य देशों की प्रगति के लिये महान् कार्य कर चुके होंगे । हम ऐसे लोगों को इस प्रकार अपमानित करना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि हम जब भी किसी को अपने देश के नागरिक के रूप में अस्वीकार करें तब हमें उसे सम्मानपूर्ण, शिष्टतापूर्ण शर्त्तों पर स्वीकार करना चाहिये । उन्हें सभी वांछणीय सुविधायें दी जानी चाहियें । मैं आग्रह करता हूं कि नागरिकता से वंचित करने के लिये न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिये, प्रशासनिक नहीं । यदि सरकार किसी वैकल्पिक सूत्र का सुझाव दे सके, तो हम निश्चय ही एक साथ बैठ कर वैसा सूत्र निकालने का प्रयास करने को प्रस्तुत हैं जो हमारी मांगों को भी संतुष्ट कर सके और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले परित्राणों की व्यवस्था कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन उपबंधों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । दो बजे तक हमें खण्डों पर विचार समाप्त कर देना चाहिये । एक घंटा शेष रह जाता है उसका उपयोग तृतीय वाचन के लिये किया जाना चाहिये । मैं ने किसी भी माननीय सदस्य के भाषण में यह कह कर कि यह बात तो कही जा चुकी है अन्तर्बाधा डालना उचित नहीं समझा ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अग्रेतर खण्डों के अलावा खण्ड ५ पर अभी विचार करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे छोड़ दिया गया है और खण्ड ३ को भी रोक लिया गया है ।

श्री दातार : खण्ड ३ पर केवल मतदान हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि माननीय सदस्य अनुपस्थित रहने के कारण यह नहीं जान पाते कि किस सदस्य ने क्या कहा है । अतः एक ही बात कई सदस्य कह जाते हैं ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : मुझे भी पुनरुक्ति करनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पुनरुक्ति करने की अनुमति किसी भी सदस्य को नहीं है जब तक कि वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात न हो और लोगों को समझाने के लिये कई बार बताना आवश्यक न हो ।

श्री धुलेकर : खण्ड ९ और १० का उल्लेख अनेक सदस्य कर चुके हैं । पाकिस्तान के संबंध में मुझे यह कहना है कि बिना किसी अपराध के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहां से निकाल दिया गया है । इस प्रकार खण्ड ९ और १० में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता सम्बन्धी अधिकारों के समाप्त कर दिये जाने के संबंध में हैं । देश के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान कुछ समय तो चुप रहा और बाद को कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करके समय समय पर लोगों को वहां से निकालना आरम्भ कर दिया । स्पष्ट है कि केवल हिन्दू ही वहां से निकाले गये हैं । ऐसे व्यक्तियों के वहां काफी समय से रहने के कारण नागरिकता के अधिकार यहां नहीं मिल सकते हैं । ऐसी दशा में पुनर्वास मंत्री का यह कहना कि उन्हें वहीं बने रहना चाहिये कुछ अजीब सी बात जान पड़ती है जबकि कई लाख लोगों को फिर वहां से निकाला जा रहा है । अतः उन बेचारे हिन्दुओं को पाकिस्तान से निकाले जाने पर उन्हें यहां विदेशी नहीं समझा जाना चाहिये ।

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव पर उचित ध्यान दें क्योंकि यह बड़ा गंभीर मामला है । लगभग एक करोड़ व्यक्ति अभी भी वहां और हैं । उन्हें भी धीरे धीरे निकाल बाहर किया जायेगा । इस कारण उन्हें यथाशीघ्र नागरिकता के अधिकार मिलने चाहियें ।

श्री दातार : कई बातें कही गई हैं जिनका उत्तर मैं संक्षेप में दूंगा । मेरे मित्र श्री स्वामी ने खण्ड ८ में संशोधन संख्या ९० रखा है जिसमें यह कहा गया है कि कोई बच्चा वयस्कता प्राप्त होने पर नहीं वरन् पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर कार्यवाही कर सकता है । मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों में बच्चे के लिये पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत कठिन होगा । अतः सामान्य अवधि वयस्कता प्राप्त करने की होनी चाहिये । उसे कार्यवाही किस प्रकार की जानी चाहिये और उसकी जटिलताओं को अर्थात् नागरिकता विधियों को समझना होगा । अतः जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, हो सकता है कि जो कठिनाइयां मैंने बताई हैं उनको देखते हुये इसे स्वीकार न किया जाये ।

मेरे मित्र श्री एन्थनी ने खण्ड ९ में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है । वे संशोधन संख्या ११७, १४४ और १४५ हैं । उनकी इच्छा यह है कि जिन व्यक्तियों ने न केवल संविधान बनने से पूर्व वरन् संविधान बनने के पश्चात् इस अधिनियम के कार्यान्वित किये जाने के समय तक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है उन्हें खण्ड ९ से मुक्त कर दिया जाना चाहिये । जहां तक खण्ड ९ का सम्बन्ध है, यह नागरिकता को

[श्री दातार]

समाप्त करने के बारे में है। मैं यह दिखाने के लिये उन परिस्थितियों को बताना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि जब उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली है तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिये ।

जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, १९५० के बाद भी काफी लोग पाकिस्तान गये हैं और स्वेच्छा से उन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली है। यदि हम माननीय सदस्य के इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो कठिनाई यह होगी कि हमें लाखों व्यक्तियों की भारत की नागरिकता को जारी रखना पड़ेगा और ऐसा करना उचित नहीं होगा। वे या तो भारत के नागरिक हैं अथवा नहीं हैं, इस कारण दुहरी नागरिकता को चलते रहने देना उचित नहीं होगा विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि संख्या इतनी अधिक हो।

इसका एक दूसरा पक्ष भी है। विभिन्न देशों से बहुधा हमें शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। उदाहरण के लिये लंका को लीजिये। यदि लंका स्थित कोई भारती वहां की राष्ट्रीयता ग्रहण करना चाहे तो उसे वह तभी प्राप्त हो सकेगी जब कि वह अपनी भारत की राष्ट्रीयता को त्याग दे। दूसरे शब्दों में, उसके द्वारा भारत को राष्ट्रीयता त्याग देने पर ही लंका की राष्ट्रीयता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये।

बहुधा हमें यह शिकायत सुनने को मिलती है कि भारतीय, चाहे वे कहीं भी हों, राष्ट्र-मण्डलीय देशों के अथवा अन्य किसी देश के नागरिक होते हुये भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की आशा लगाये रखते हैं, भले ही यह शिकायत निराधार और गलत हो पर तो भी यह एक शिकायत है। इस का कारण यही है कि वे जिस देश विशेष की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं उसके वातावरण से सन्तुष्ट न होकर वे पुनः भारत वापस आना चाहते हैं या यहां की नागरिकता प्राप्त करने की आशा लगाये रहते हैं। यह आपत्ति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो—सही हो या गलत हो—हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ऐसे सभी मामलों में विशेष कर संविधान के प्रारम्भ होने के पश्चात् से यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त कर ली है तो इस एच्छिक अर्जन से अन्य इच्छा का उपयोग अन्तर्निहित होता है। शब्द "स्वेच्छापूर्वक" का स्पष्ट अर्थ समझ लिया जाना चाहिये। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो मेरा निवेदन यह है कि यह नहीं समझा जाना चाहिये कि वह भारत की नागरिकता चालू रख रहा है।

मेरे माननीय मित्र ने यह एक महत्व-पूर्ण बात उठाई है कि युद्ध काल में कुछ व्यक्तियों ने विशेषकर आंग्ल भारतीयों ने बिना जाने इंग्लिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। यह बड़ी युक्तियुक्त बात है। हमने इसे स्वीकार कर लिया है और खण्ड ९ में एक विशेष परन्तुक इस सम्बन्ध में रखा है। मैं सभा मे निवेदन करता हूं कि खण्ड ८ और खण्ड ९ में कोई असंगतता नहीं है। जहां तक खण्ड ८ का सम्बन्ध है, उसमें ये शब्द "कोई नागरिक भी" ध्यान में रखे जाने चाहिए क्योंकि जन्म या उद्भव से वह नागरिकता प्राप्त कर लेगा और यह खंड ९ की शब्दावलि से भिन्न है। अतः मेरा निवेदन है कि उनकी शब्दावलि बिल्कुल भिन्न है इस कारण जहां तक ८ और ९ का सम्बन्ध है उनके उपबन्ध ज्यों के त्यों रहने दिए जायें।

जहाँ तक खण्ड १० का सम्बन्ध है, विचार प्रक्रम पर ही इस पर पूर्ण रूप स चर्चा कर ली गई थी। विभिन्न बातें कही गई थीं। जिनमें से अधिकांश का उत्तर मैंने दे दिया था।

एक माननीय सदस्य ने संशोधन संख्या २२ रखा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी नागरिक द्वारा, जिसने पंजीयन अथवा देशोयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो, कोई उपाधि स्वीकार कर लिये जाने पर उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि कुछ मामलों में कुछ भारतीय राष्ट्रजनों को किसी अच्छे कार्य के उपलक्ष में उपाधि मिल सकती है, अतः यह नहीं होना चाहिये कि प्रत्येक मांमले में कोई विदेशी उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य रूप से गलत ही हो। अतः भारत के सभी नागरिकों को हमें एक समान समझना चाहिये। संविधान का अनुच्छेद १८ (२) में यह उपबन्ध है कि उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं और यथासंभव सरकार की अनुमति के बिना विदेशों से उपाधियां प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।

इस प्रकार जहां तक इस बात का संबंध ह भारत के सभी नागरिक साधारण नागरिक और भारत के अन्य नागरिक, एक ही स्तर पर रहते हैं। यह कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि बहुत साधारण सी बात है और इसे हमें नागरिकता से वंचित किये जाने का कारण नहीं समझना चाहिये। अतः इस संशोधन को स्वीकार करना मेरे लिये संभव नहीं है।

मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि क्या नागरिकता से वंचित करना न्यायोचित परिस्थितियों में होना चाहिये या क्या सभी मामलों में यह आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सभापति हो और क्या उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में अपील की जा सकती है। इन सभी के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट की जा चुकी है। अमरीका के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में ऐसे मामलों को छोड़ दिया गया है और राज्य शासनयंत्र को इसका भार सौंप दिया गया है। हमने अनेक परित्राणों की व्यवस्था की है जिनके अनुसार सरकार को निरंकुश रूप से कोई कार्यवाही करना संभव नहीं होगा। एक प्रकार से यह चीज खंड १० की भावना के असंगत होगी।

श्री कामत (होशंगाबाद) : आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है जहां समिति का सभापति फेडरल कोर्ट या किसी प्राविंशल कोर्ट का न्यायाधीश होता है ?

श्री दातार : मैंने उसे देखा है। केवल आस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां यह कहा गया ह कि उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये।

श्री कामत : दक्षिण अफ्रीका में भी।

श्री दातार : जिला न्यायालय भी हो सकता है।

श्री कामत : अमरीका में भी यही होता ह।

श्री दातार : आस्ट्रेलिया के संबंध में भी मेरे माननीय मित्र ने निर्देश किया है, किन्तु जहां तक इस बात का संबंध है, हमारे यहां की स्थिति एकदम भिन्न है और हमने यह कहकर स्थिति को स्पश्ट कर दिया है कि सभापति को दस वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिये। न्यायिक अनुभव का तात्पर्य तृतीय श्रेणी के दंडाधीश की हैसियत से काम करने का नहीं है।

श्री कामत : उपन्यायाधीश हो सकता है।

श्री दातार : हम जिला न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसे मामलों के लिये जिला न्यायाधीश नियुक्त किये जाते हैं, यद्यपि इस संबंध में मैं सरकार को बाध्य नहीं करना चाहता। सामान्यतः आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को नियुक्ति जिला मुंसिफ या दंडाधीश के पद पर होती है वह जिलाधीश या जिला या सत्रन्यायाधीश

[श्री दातार]

तक बन सकता है । अतः जहां तक न्यायिक अनुभव का संबंध है, पर्याप्त और परिपक्व अनुभव प्राप्त करने के लिये दस वर्ष का समय बहुत काफी है । यह उपबंध जिस रूप में इस समय है, वह पर्याप्त सन्तोषजनक है और उससे कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है जिससे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई अन्याय हो सके या कोई कठिनाई उनके सम्मुख आ सके ।

इन्हीं कारणों से मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के कारण सबको बताये जाने चाहिये ।

श्री कामत : मैंने तो यह कहा था कि केवल उपपत्तियां सभी को बताई जानी चाहियें ।

श्री दातार : इसके लिये किसी अन्य सदस्य का एक संशोधन है । किसी अन्य माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है कि नागरिकता से वंचित किये जाने के कारण सबको बताये जाने चाहियें । पेरे माननीय मित्र श्री कामत यह चाहते हैं कि उपपत्तियां सबको बताई जानी चाहियें । इस प्रश्न का उत्तर अनेक माननीय मित्रों द्वारा दिया जा चुका है । जहां तक भारत का संबंध है, कुछ मामलों में अधिकाधिक सुरक्षा कारण हो सकती है । साधारणतः आप देखेंगे कि हर चीज उचित ढंग से की जायेगी विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि कोई न्यायिक पदाधिकारी जांच समिति का अध्यक्ष हो ।

श्री कामत : हमेशा नहीं ।

श्री दातार : जैसा कि श्री गाडगील तथा अन्य माननीय मित्रों द्वारा निदश किया गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती जिन में सभी उपपत्तियों को प्रकाशित करना भारत की सुरक्षा के हित में नहीं होगा । अतः ऐसे मामलों में सदा सरकार पर अविश्वास करना ठीक नहीं होगा । कुछ न कुछ चीजें सरकार पर भी छोड़ दी जानी चाहिये ।

श्री कामत : सदैव नहीं; किन्तु कभी कभी ।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान, क्या मैं आप से स्पष्टीकरण के हेतु कुछ पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये फिर आप स्पष्टीकरण के हेतु पूछ सकते हैं ।

श्री दातार : यह सुझाव रखा गया है कि "अश्रद्धा" शब्द हटा दिया जाये । मैं यह बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि 'अश्रद्धा' शब्द पीड़ित पक्ष के हित में अवश्य रहना चाहिये । 'अश्रद्धा' अथवा 'अभक्ति' दोनों शब्द अपराध की उस गंभीरता को बताते हैं जो कि मनुष्य इस सम्बन्ध में कर सकता है । अतः मैं 'अश्रद्धा' शब्द के हटाये जाने के संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा ।

जहां तक खण्ड १० के उपखण्ड (घ) का जो २ वर्ष के दण्ड की व्यवस्था करता है, सम्बन्ध है यह सुझाव रखा गया है कि उसमें 'नैतिक पतन' जैसेशब्द और जोड़ें जाने चाहियें । इस प्रकार का खण्ड सभी नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता अधिनियमों में विद्यमान है ।

श्री कामत : कनाडा के अतिरिक्त ।

श्री दातार : पुर्तगाल के सम्बन्ध में, जहां जाने वाले हमारे कुछ नागरिकों को १० वर्ष के दीर्घकाल के लिये कारावास दण्ड दिया गया था कुछ बात कही गई थी । पुर्तगाल के विषय में यह बात अवश्य सत्य है, किन्तु जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध

है हम बहुत सावधान रहेंगे। सामान्य दशा में जब कि अपराध प्रविधिक होता है तो एक वर्ष का दण्ड पर्याप्त होता है। साधारणतया यह अवधि एक वर्ष से कम की ही होती है किन्तु संयुक्त समिति ने यह विचार किया है कि इसे बढ़ा कर दो वर्ष कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि दो वर्ष का दण्ड किसी प्रविधिक अपराध का दण्ड नहीं हो सकता है अतः दण्ड की यह अवधि ही यह सिद्ध करती है कि जिस अपराध के लिये किसी व्यक्ति विशेष को दंड दिया गया है वह अवश्य ही कोई गम्भीर अपराध होगा, संभवतः वह अपराध "नैतिक पतन" से सम्बन्ध रखता हो। इस लिये हमने उसी शब्दावली को जो कि अधिकांश अधिनियमों में होती है, स्वीकार किया है ; परन्तु संयुक्त समिति ने दण्डावधि को अवश्य एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष कर दिया है। अतः मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी किया गया है उससे सदस्यों को सन्तुष्ट होना चाहिये।

श्री बंसीलाल (जयपुर) : क्या मैं माननीय उपमंत्री से एक स्पष्टीकरण करने के लिये कह सकता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये। मैं माननीय सदस्यों को सलाह दूंगा कि वह जिस विषय में स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं उन को वह नोट कर ल, किन्तु जब माननीय मंत्री बोल रह हों तो बीच में बाधा न दें। जब वह अपने भाषण को समाप्त कर लें तब माननीय सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री दातार : जहां तक दो वर्ष की अवधि का सम्बन्ध है मान लीजिये कि कोई व्यक्ति जो भारतवर्ष का नागरिक बन चुका हो यदि बाद में कोई अपराधी निकलता है, और इस बात की सम्भावना है कि हम ऐसे व्यक्तियों को नागरिक बना लें और यदि पांच वर्ष बाद यह पता लगे कि उसका आचरण ठीक नहीं है, और उसे ो वर्ष से अधिक का कारावास दण्ड दिया जा चुका है, तो निश्चय ही यह एक ऐसी परिस्थिति है जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यद्यपि वह पंजीयन अथवा देशीयकरण के ारा भारत का नागरिक बन चुका है तथापि वह अभी भी एक अवांछनीय व्यक्ति है। अतः जहां तक नागरिकता में प्रविष्ट किये गये नये व्यक्तियों का सम्बन्ध है, सरकार को अवश्य कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होना चाहिये। हम को हमेशा यह समझना चाहिये कि यह वह व्यक्ति हैं जिनको इस नागरिकता विधेयक के अन्तर्गत नागरिकता के अधिकार दिये गये हैं, और इसलिये कम से कम पहले पांच वर्षों में ऐसे व्यक्तियों पर हमारा अधिक नियन्त्रण रहना चाहिये और यदि यह पता लगे कि वह आवांछनीय व्यक्ति हैं तो सरकार के पास उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कुछ न कुछ शक्ति अवश्य रहनी चाहिये।

श्री कामत : 'घोर नैतिक पतन' शब्दों को क्यों न सम्मिलित कर लिया जाये ?

श्री दातार : 'नैतिक पतन' भी एक ऐसा शब्द है जिसके निर्वचन की आवश्यकता है। अन्ततोगत्वा किसी न किसी न्यायाधीश अथवा जांच समिति को इस शब्द का निर्वचन करना ही होगा। इस शब्द का विधि में प्रयोग नहीं किया जाता है यद्यपि कुछ अनुशासनिक तथा अन्य कार्यवाहियों में इसका प्रयोग होता है।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : इसका प्रयोग तो होता है, किन्तु यह कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है।

श्री दातार : यह बहुत अच्छा शब्द तो नहीं है किन्तु इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। एक व्यक्ति कह सकता है कि अमुक बात 'नतिक पतन'

श्री दातार]

है और दूसरा कह सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये, हमने ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जो सामान्यतः विधेयक की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है।

पंडित ठाकर दास भार्गव (गुड़गांव) : हमने इसका प्रयोग समवाय अधिनियम में प्रयोग किया है।

श्री बंसी लाल : क्या मैं जान सकता हूं कि "जो व्यक्ति कम से कम १० वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो" शब्दावलि में विधि-जीवी सदस्य भी आजायेंगे ?

श्री दातार : नहीं। वह इसमें नहीं आयेंगे। यह कहा गया है कि "जो न्यायिक पद पर रहा हो" यह नहीं कहा गया है कि "जो न्यायिक पद के लिये पात्र हो।"

श्री बंसीलाल : व्यावहारिक रूप से विधि-जीवी सदस्य न्यायिक पदधारी ही होते हैं।

श्री दातार : वकीलों और अधिवक्ताओं के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुये मैं कहूंगा कि वह व्यक्ति ही सभापति बनाया जाना चाहिये जिसको वास्तविक न्यायिक अनुभव हो।

श्री साधन गुप्त : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि वह वंचित किये जाने के कारणों की न्यासंगितता को इसलिये नहीं बताना चाहते हैं कि इससे भारत की सुरक्षा को भय हो सकता है। किन्तु जब मैं उनकी ओर देखता हूं तो मुझे एक कारण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखाई देता है जिसका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो। पहला आधार यह है कि उसने झूठ बोल कर अपने को पंजीबद्ध करा लिया हो इसमें भारत की सुरक्षा के विरुद्ध कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरा आधार यह है कि उक्त नागरिक ने अपने किसी कार्य अथवा भाषण द्वारा भारत के संविधान के प्रति अश्रद्धा अथवा अनिष्ठा प्रकट की है। तीसरा आधार यह है कि वह शत्रु के साथ अवैध व्यापार करता हो। केवल यही आधार भारत की सुरक्षा से कुछ सम्बन्ध रख सकता है। चौथा आधार यह है कि उसे किसी विदेश में दोषी सिद्ध ठहराया गया हो। इसका भी भारत की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है। पांचवा आधार यह है कि वह साधारणतया कई वर्षों तक लगातार देश के बाहर रहता रहा हो। इसका भी भारत की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। अतः मैं इस बात को स्पष्टतया जानता हूं कि इन आधारों में भारत की सुरक्षा का प्रश्न कहां आता है ?

श्री दातार : इस संबंध में मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान 'अश्रद्धा" और 'अनिष्ठा" शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां कहा गया है अपने किसी 'कम अथवा वाणी" द्वारा, यहां किस कर्म विशेष की ओर संकेत किया गया है ? इन कार्यों से कई ऐसी परिस्थितियों का बोध होता है जिनका जनता को बताया जाना ठीक न हो। क्योंकि अश्रद्धा तथा अनिष्ठा के अनेक मामले हो सकते हैं। भाषण बाहर कहीं भी दिये गये हो सकते हैं। किन्तु उन भाषणों के विषयों को जनता को बताना संभव है भारत की सुरक्षा के हित में न हो। दूसरे, माननीय सदस्य ने स्वयं ही उपखंड (ग) की ओर, जो शत्रु के साथ 'अवैध व्यापार अथवा पत्र-व्यवहार करने' के विषय में है, संकेत कर दिया है। अब यह पत्र-व्यवहार ऐसा हो सकता है कि उसे जनता को बताना सर्वथा भारत के हित के विरुद्ध हो। मैंने केवल कुछ परिस्थितियों का संकेत दिया हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि सभी मामलों में सुरक्षा का प्रश्न उठेगा, किन्तु संभावना यह है कि कुछ अवस्थाओं में यह प्रश्न उठेगा। अतः इस विषय में जांच समिति की उपपत्तियों के प्रकाशित किये जाने के लिये आग्रह करना गलत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इन खंडों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री साधन गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या (ख) और (ग) के अतिरिक्त अन्य उपपत्तियों को जनता को बताने के लिये मंत्री महोदय सहमत हैं ?

श्री दातर : इसके संबंध में मैं सरकार को किसी प्रकार से वचनबद्ध नहीं करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ८ पर संशोधन संख्या ६३, ८९, और ९० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय अब खंड ९ से संबन्धित संशोधन लिये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड ९ पर संशोधन संख्या ४, १५, १६, ९१, १४४ और १४५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ११७ के लिये माननीय सदस्य आग्रह नहीं कर रहे हैं । प्रश्न यह है

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड १० के संशोधनों को लेते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड १० पर संशोधन संख्या ७, ३०, ५, ६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २६, २७, २८, २९, ३१, ६६, ६७, ९२, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, ११८, और १२० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १० पर सभी संशोधन अस्वीकृत हो गये हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ८ को जो एक नये खंड १० (क) के जोड़े जाने के संबंध में है, लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

खंड ५—पंजीयन द्वारा नागरिकता ।

श्री दातर : अब खंड ३ को मतदान के लिये रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह खंड ५ के परिणाम पर निर्भर है । जब तक खंड ५ समाप्त नहीं हो जाता है तब तक के लिये इसे रोक लिया गया है । श्री चटर्जी ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : खंड ५ का, जो पंजीयन द्वारा नागरिकता के संबंध में है, पाकिस्तान से आने वाले लाखों व्यक्तियों पर, विशेषकर पूर्वी बंगाल से आने वाले व्यक्तियों पर, बड़ा प्रभाव पड़ता है । मैं और श्री ठाकुर दास भार्गव कल रात गृहमंत्री से मिले थ और इससे संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में बातचीत की थी ताकि इन २० लाख व्यक्तियों को पंजीयन के आवेदन पत्रों पर व्यर्थ का व्यय न करना पड़े । किन्तु गृह मंत्री ने आवेदन पत्र न लेने की कठिनाइयां बताईं । इनका बहुत ही गहरा प्रभाव पडता था । फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह यथा संभव यह ध्यान रखेंगे कि निर्धन शरणार्थियों को कठिनाई न हो । बंगाल के

[श्री एन० सी० चटर्जी]

विषय में उन्होंने कहा है कि वह अधिकारियों को वहीं नियुक्त करेंगे जहां पर कि विस्थापित व्यक्ति हैं ताकि उनके पंजीयन में कोई बिलम्ब न हो और विस्थापितों को अधिक व्यय भी न करना पड़े। उन्होंने सभी प्रकार के व्ययों के समाप्त कर दिये जाने का आश्वासन दिया है। माननीय उपमंत्री ने भी कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई मुद्रांक, कोई शपथ पत्र अथवा कोई शुल्क आदि नहीं लगेगा। नियमों के विषय में माननीय मंत्री ने कहा कि हम जो कोई भी सुझाव रखेंगे वह उस पर विचार करेंगे और सरकार भी विषय में शीघ्रता किये जाने के लिये कार्यपालिका आदेश जारी करेगी। बंगाल में नौ जिला अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जो मौके पर जाकर सारा कार्य करेंगे।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने हमारे सुझाव को मान लिया है और अब मैं एक सुझाव और रखता हूं, आशा है उपमंत्री इसे भी स्वीकार करेंगे। खंड ५(१)(ख) में लिखा है कि :

> "भारतीय उद्भव के व्यक्ति जो साधारणतया भारत के निवासी हैं और आवेदनपत्र देने से ठीक पूर्व एक वर्ष से रह रहे हों।"

हमने माननीय मंत्री को बताया कि संविधान में भी कम अवधि का उपबन्ध है अतः इस एक वर्ष की अवधि पर जोर नहीं दिया जाना चाहिये। अभी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। प्रति मास ४०,००० से अधिक भारत आते हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि इस अवधि को घटा कर ६ महीने कर दिया जाये। इस विषय पर मंत्री महोदय ने भी अपनी सहमति प्रकट कर दी है।

हमने नियम बनाने की शक्ति के संबंध में भी एक और सुझाव रखा था। खंड ५ के अधीन प्रतिबन्धों की शर्तें लगाने के लिये शक्ति भी ले ली जानी चाहिये। उप-मंत्री महोदय ने बताया है कि खंड १८ (२)(क) के अन्तर्गत वह शक्ति पहले ही है। अतः इस विषय में अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। हम आशा करते हैं कि निर्धन व्यक्तियों के लिये जिला और उप-जिला अधिकारी नियुक्त कर दिये जायेंगे ताकि उन को पंजीयन के लिये ५० लाख अथवा एक करोड़ रुपया व्यय न करने पड़ें।

श्री बातार : मैं एक वर्ष की अवधि को घटा कर ६ महीने की अवधि किये जाने का संशोधन स्वीकार करता हूं। यह खंड ५(१)(क) का संशोधन है। श्री बर्मन का एक संशोधन पहले से ही है। यह संशोधन संख्या ५१ है, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बर्मन का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है:

पृष्ठ ३ पंक्ति २८ में शब्द "one year" ["एक वर्ष"] के स्थान पर शब्द "six months" ["छः महीने"] रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड पर और कौन से संशोधन हैं ?

श्री साधन गुप्त : मैं संशोधन संख्या ४९, ५०, ५३, ५५, ५६, ५८ और ५९ प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायणदास (दरभंगा—मध्य) **:** मैं संशोधन संख्या ८५ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : मैं संशोधन संख्या १५० और १५१ प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् श्री साधन गुप्त ने अपने संशोधन संख्या ४९, ५०, ५३, ५५, ५६, ५८ और ५९ प्रस्तुत किये।

श्री श्रीनारायण दास ने अपने संशोधन संख्या ८५, श्री मूलचन्द दुबे ने अपने संशोधन संख्या १५० और १५१ और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अपने संशोधन संख्या ५२, ८७ और ८८ प्रस्तुत किये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन संख्या ५२, ८७ और ८८ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के समक्ष हैं । अब इस खंड और संशोधनों पर चर्चा होगी ।

श्री दातार : हमारे पास एक घंटे का समय है; समय-सीमा निश्चित कर दी जाये ।

श्री कामत : आपने स्वयं अध्यक्षपद से घोषणा की थी कि इस खंड के संशोधनों पर दो घंटे चर्चा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल समय निर्धारित है और माननीय सदस्य द्वारा मुझे यह बताया जाना आवश्यक नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि प्रायः ३ बजे समग्र चर्चा समाप्त हो जानी चाहिये । तृतीय वाचन के लिये पहले से ही एक घंटा रक्षित कर दिया गया है । चर्चा १२ बजकर १२ मिनट पर प्रारम्भ हुई थी और संशोधनों पर चर्चा के लिये १ घंटा और ४८ मिनट दिये गये थे । अतएव २ बजे मैं मुख बन्द रखूंगा ।

श्री कामत : ऐसा बताया गया था कि दो घंटे दिये जायेंगे. . . .

उपध्यक्ष महोदय : मुझे इस तरह से व्यग्र नहीं किया जा सकता ।

श्री कामत : मुझे खेद है कि आप "व्यग्र" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बराबर कह रहा हूं कि अधिक समय देने के लिये मैं सहमत नहीं हो सकता ।

श्री कामत : ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं । यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और सभा समय की वृद्धि के लिये सहमति दे सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा सुझाव है कि संशोधनों और खंडों पर चर्चा २ बजे तक किये जाने के बजाय २।। बजे तक हो और तृतीय वाचन के लिये आधे घंटे का समय दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव । हम इस पर सहमत हो सकते हैं और तृतीय वाचन के लिये आधा घंटा दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि माननीय सदस्य तृतीय वाचन को छोड़ देने के लिये तैयार हैं तो भी मुझे कोई आपित्त नही है । कुल समय निश्चित किया जा चुका है और यदि माननीय सदस्य प्रत्येक प्रक्रम के लिये समय मांगते हैं तो मेरे लिये यह बहुत ही असुविधाजनक होता है । खंडों पर हो रही चर्चा २।। बजे समाप्त होगी । माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें ।

श्री साधन गुप्त : इस खंड के लिये मैंने संशोधन प्रस्तावित किये हैं । प्रथम तो मैं पंजीयन को अनिवार्य बनाना चाहता हूं और यही मेरे संशोधन संख्या ५० का उद्देश्य है । जैसा कि इस खंड में कहा गया है उसके अनुसार यदि शरणार्थियों के लिये पंजीयन का उपबन्ध है तब ऐसी स्थिति में पंजीयन को एच्छिक बनाने का कोई अर्थ नहीं है । दूसरे इस कारण मैं चाहता हूं कि पंजीयन के संबंध में जो शर्तें और निबंध हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाये । तीसरे, मैं अपने संशोधन संख्या ५५ के द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों के व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूपमें पंजीयन करा लेने के विशेष अधिकारों को

[श्री साधन गुप्त]

चाहे उनके देशों से हमारे संबंध कैसे ही क्यों न हों, समाप्त कर देना चाहता हूं । इसलिये मैंने उप-खंड (ञ) के निकाल दिये जाने का प्रस्ताव रखा है । अन्त में मैं आपका ध्यान अपने संशोधन संख्या ५९ की ओर आकर्षित करूंगा जिसके द्वारा मैं इस खंड ४ के बाद उपखंड ४ (क) जोड़ना चाहता हूं ।

संयुक्त समिति द्वारा खंड ५ में जो परन्तुक जोड़ा गया है वह मुझे ज्ञात है । उस परन्तुक का सम्बन्ध कुछ ही मामलों से, जैसे नागरिकता अर्जन सम्बन्धी उपबन्धों से है । मैं चाहता हू कि नागरिकता अर्जित की जाने सम्बन्धी सुविधाओं का समावेश भी यहां किया जाये । उदाहरण के लिये कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं, जैसे श्वेत आस्ट्रलिया नीति, जिन में निस्सन्देह भारतीय नागरिकता के विरोध में कुछ भी नहीं है । किन्तु आस्ट्रेलिया में एक उपबन्ध के अनुसार श्वेत जातियों के व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाया जायेगा । नये खड ४ (क) म ऐसा ही उपबन्ध प्रस्तावित करने का मेरा इरादा है । मैं सदन से आग्रह करता हू कि ये संशोधन स्वीकार कर लिय जायें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संविधान के अनुच्छद ८ में ऐसे व्यक्तियों के लिये उपबन्ध है । मुझे उक्त पंक्तियां महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होतीं क्योंकि संविधान के अनुच्छद ८ में ऐसे व्यक्तियों के लिये उपबन्ध मौजूद है और यहां कोई उपबन्ध रखना आवश्यक नहीं है ।

मेरे अन्य दो संशोधन संख्या ८८ और ८९ हैं । उपखंड (१) (ञ) और परन्तुक को हटाने के लिये मैं संशोधन संख्या ८७ और एक नया खंड जोड़े जाने के लिये संशोधन संख्या ८९ प्रस्तावित करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि खंड ५ (क) किसी के स्थान पर रखा जा रहा है ? किसके स्थान पर ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता कि खंड ५ (१) (ख) को निकाल दिया जाये क्योंकि संविधान के अनच्छेद ८ में ऐसे व्यक्तियों के लिये उपबन्ध है । वह संशोधन संख्या ५२ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में इस के लिये उपबन्ध पहले ही से है और इसलिये इसे रखना आवश्यक नहीं है । किन्तु वह असंगत नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : असंगत नहीं है, उपबन्ध वहां मौज़ूद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रतिबन्ध नहीं लगाता है । अधिक से अधिक यह फालतू है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी, हां । यही मेरा निवेदन है ।

जैसा कि श्री साधन गुप्त ने बताया आस्ट्रेलिया में उनकी नीति श्वेत जाति के व्यक्तियों के आप्रवासन को ही अनुमति देने की है । वह किसी अन्य देश के व्यक्तियों का नागरिक के रूप में पंजीयन नहीं करेंगे । आपको परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा । उदाहरण के लिये पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत से वहां जाये तो वह वहां बस नहीं सकता है । यदि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति वहां जा कर वहां का नागरिक नहीं बन सकता है तो मेरा निवेदन है कि हमें भी ऐसे देशों के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता

नहीं प्रदान करनी चाहिये । जब तक सभी बातों में परिस्थितियां और सुविधायें एक सी न हों तब तक मैं उस उपबन्ध को नहीं चाहता । मान लीजिये कि कोई सिख या हिन्दू यहां से जाता है और वहां की परिस्थिति असह्य है तो इस आशय का उपबन्ध, कि उस देश के व्यक्ति यहां आ कर नागरिक बन सकते हैं, निरर्थक होगा ।

संशोधन संख्या ८८ के बारे में.....

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु उसका समावेश किस प्रकार किया जाये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उपखण्ड (ञ) का निर्देश उन पूर्ण आयु और क्षमता के व्यक्तियों से है, जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी देश के नागरिक हैं । जैसा कि मैंने बताया, यह खंड ५ के उपखंड (१) (ञ) और परन्तुक के स्थान पर रखे जाने के लिये है । चूंकि मैं उसे दो भागों में विभाजित करना चाहता था, एक भाग शरणार्थियों...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे कठिनाई प्रारूप के सम्बन्ध में है । नये खंड ५ (क) में दो भाग हैं : मुख्य खंड और परन्तुक । नये खंड ५ (ख) में दूसरा पैरा है । अब क्या उपखंड (१) (ञ) के स्थान पर, खंड ५ (क) पहले भाग और उसके साथ परन्तुक लिया जाना है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ५ (ख) है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खंड ५ (ख) उपखंड (ञ) के अतिरिक्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह (च) या (ञ) का एक भाग होना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह (च) या (ञ) में एक भिन्न भाग हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या (ञ) के बाद स्पष्टीकरण का रखा जाना आवश्यक है ? या वह स्पष्टीकरण के भी स्थान पर है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्पष्टीकरण सर्वथा भिन्न है । यदि संशोधन संख्या ८७ को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं इसे जोड़ना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसे स्वीकार किया गया तो ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : फिर भी उसे जोड़ा जायेगा और वह खंड का अंग बन जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह स्पष्टीकरण के भी स्थान पर है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्पष्टीकरण सर्वथा अलग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण को रखा जाना है ।

संशोधन संख्या ८८ को (ञ) के बाद जोड़ा जाना है । इसलिये नये खंड ५ (ख) के बजाय, संशोधन संख्या ८८ में लिखित पदों के अनुसार खंड ५ के उपखंड (१) में एक और अतिरिक्त नई प्रविष्टि (छ) जोड़ी जानी है ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : संशोधन संख्या ८८ के बारे में मेरा निवेदन यह है कि आसाम में हमें दुखद अनुभव हुआ था । पाकिस्तान से आये अप्रवासियों के निष्कासन के लिये हमें एक अधिनियम बनाना पड़ा था । आसाम या देश के किसी अन्य भाग में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है । ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा और अर्थ व्यवस्था

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को बनाये रखने के लिये सरकार को पंजीयन को स्वीकृति नहीं देनी चाहिये। मेरा विचार है कि पंजीयन करने से इन्कार कर दिया जाना चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को भारत में आने और इस देश की अर्थ व्यवस्था के लिये संकट उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं इसका विरोध करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के खंड १९ को निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी हम खंड १९ तक नहीं पहुंचे हैं। माननीय सदस्य को अवसर दिया जावेगा ।

श्री मूलचन्द दुबे : मेरे १५०वें और १५१वें संशोधन के जरिये मैं चाहता हूं कि शब्द "सामान्यतः निवासी" के स्थान पर शब्द "अधिवासित" रखा जाये और शब्द "ऐसे निवासी" के स्थान पर "अधिवासित" रखा जाये । सर्वोच्च न्यायालयों ने भी निवास और अधिवास को अलग-अलग माना है। एक व्यक्ति २०–३० साल तक किसी देश का निवासी रह चुका हो किन्तु इस के बाद भी वह उस देश का अधिवासी न हो। मेरा निवेदन है कि जब तक कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाने का विचार न रखता हो तब तक भारत में उसे इन दीर्घ निवास के कारण अपने आप को पंजीबद्ध न कराने दिया जाये।

पृष्ठ चार पर दिये गये स्पष्टीकरण की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं : इसका परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो यहां ६ माह रह ले, अपने आपको भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध कराने का अधिकारी हो जायेगा। हमारे पाकिस्तान से कैसे सम्बन्ध हैं इस बात को ध्यान में रखते हुय एसा करना उचित नहीं होगा। वह कुछ लोगों को भेदिये बनाकर भेज सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक हम ऐसे व्यक्ति के, भारतीय क्षेत्र को अपना निवास स्थान बना लेने की इच्छा के प्रति संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध करना उचित नहीं होगा। खंड २ के अनुसार "अविभाजित भारत" का अर्थ उस भारत से है जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में दिया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि वे सभी क्षेत्र जो इस समय पाकिस्थान के भाग हैं, अविभाजित भारत में होंगे और इस नाते पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जो यहां ६ मास रह ले, अपने आपको भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध करा सकता है। किसी न किसी कारण से माननीय मंत्री संविधान के अनुच्छेद ५ में दी गई अधिवास सम्बन्धी परिभाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । संविधान के अनुच्छेद ५ के अन्तर्गत केवल जन्म, उद्भव और यहां तक कि निवास भी पर्याप्त नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा कि चूंकि इस तरह का कोई उपबन्ध किसी भी देश के नागरिकता अधिनियम में नहीं है इसलिये हमने भी उसे छोड़ दिया है । क्या मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ में पारित किया गया था। वह जनवरी १९४९ में लागू हुआ था। १९५० में जब हमारा संविधान बना तब संविधान निर्माताओं के समक्ष उक्त अधिनियम रहा होगा किन्तु तो भी उन्होंने अनुच्छेद ५ में शब्द "अधिवास" के रखे जाने पर आग्रह किया । माननीय मंत्री इस संशोधन को क्यों स्वीकार नहीं करते यह मेरी समझ में नहीं आता। निष्ठा की शपथ तो है किन्तु वह तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि शपथ लेने वाले व्यक्ति का आचरण यह न

सिद्ध करे कि शपथ प्रामाणित है और इस कार्य के समस्त परिणामों पर विचार किये जाने के उपरांत ही शपथ ली गई है। इसलिये मेरा निवेदन है राष्ट्रहित में इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री दातार : दो-तीन बातें उठाई गई हैं। मेरे माननीय मित्र, श्री साधन गुप्त, ने सुझाव दिया है कि जहां तक राष्ट्र-मंडलीय देशों का सम्बन्ध है, हमें पजीयन की अनुमति नहीं देनी चाहिये। उनका कथन है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों के लिये ही नहीं वरन् एक सामान्य उपबन्ध होना चाहिये। यह विचार इस बात की जड़ पर आघात करता है कि राष्ट्रमंडलीय देश एक प्रकार की बन्धुता को बताते हैं और इसलिये उन को हम कुछ अधिकार देते हैं जैसे पंजीयन द्वारा प्राप्त अधिकार। वहां भी मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडलीय नागरिक है केवल इसी-लिये उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इसलिये इस संशोधन को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

दूसरे, वह चाहते हैं कि खंड ५ (ञ) के परन्तुक को हटा दिया जाये। यह परन्तुक, जहां तक कतिपय अन्य देशों के नागरिकता विषयक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न है, एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में रखा गया है। यहां यह अत्याधिक स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां तक ऐसे देशों का सम्बन्ध है, उनके नागरिकों को इस देश का नागरिक जिन शर्तों पर बनाया जा सकता है वे उन देशों में भारतीयों को प्राप्त अधिकारों पर निर्भर करेंगी। इस लिये आप देखेंगे कि संयुक्त समिति ने जो परन्तुक रखा है वह अत्यन्त उचित है और वह उन तीन सुरक्षात्मक उपायों में से एक है जिन्हें यह देखने के लिये रखा गया है कि जो देश राष्ट्रमंडल में भी भेदभाव करते हैं वे नागरिकता के प्रयोजन के लिये अभिस्वीकृत किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

अन्त में मेरे मित्र ने सुझाव दिया है कि हमें यहां अधिवास के प्रश्न का समावेश करना चाहिये। मैंने कल सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर दिया था और मैंने बताया था कि संविधान के अनुच्छेद ५ में भी यह उप-बन्ध किस तरह रखा गया है, क्योंकि संविधान बनाते समय वह बाध्य थे और क्योंकि इसमें उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना था जो भारत में पांच वर्ष से अधिक समय तक निवास कर चुके थे। इसलिये आप देखेंगे कि इस विशिष्ट मामले में अधिवास के प्रश्न का समावेश नहीं किया जा सकता।

श्री मूलचन्द दुबे : क्या मैं आपका ध्यान अनुच्छेद ५ के प्रारंभिक शब्दों की ओर आकर्षित कर सकता हूं?

श्री दातार : मैं उसे पढ़ चुका हूं!

मैं यह बता चुका हूं कि शब्द "अधिवास" का प्रयोग इस कारण करना पड़ा क्योंकि संविधान के लागू होने के समय से लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाना था। किंतु जहां तक नागरिकता के अधिकार का प्रश्न है यह एक सम्पूर्ण अधिनियम है और इसलिये ये यहां उस सिद्धांत को लाना बिल-कुल आवश्यक नहीं है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह विदेशी सरकारों का निर्देश न करें। वह व्यक्तियों के बारे में निर्देश कर सकते हैं किन्तु उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि विदेशी सरकारें यह भेदिये आदि भेज रही है। इससे विभिन्न देशों के मध्य अच्छे सम्बन्ध विच्छिन्न हो सकते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : किन्तु दुर्भाग्य-वश यह सत्य है।

श्री दातार : वह सत्य हो अथवा न हो किन्तु विदेशी सरकारों के बारे में हमें इस तरह के निर्देश नहीं करने चाहिये और

[श्री दातार]

इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी सभी बातें विशेषकर जब ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही हो, यथा सम्भव न की जायें ।

अंत में मेरे मित्र ने बतलाया कि जहां तक एक संशोधन का सम्बन्ध था वह अनुच्छेद ८ में आ जाता है । यह कुछ सीमा तक सच है कि यह उपबन्ध संविधान में है ।

यह सच है कि इसके बारे में निर्देश किया गया है और एक विशिष्ट सीमा तक उसके लिये संविधान के अनुच्छेद ८ में उपबन्ध भी है, किन्तु जहां तक नागरिकता के अधिकारों के दिये जाने का प्रश्न है, हमें संविधान की योजना को ध्यान में रखना चाहिये । वहां संविधान के निर्माताओं ने, भाग २ में जो कुछ किया था वह यह था कि संविधान के प्रारम्भ होने के समय से नागरिकता के अधिकारों के प्रस्थापन अथवा उन के दिये जाने के लिये उपबन्ध बनाये गये थे और अनुच्छेद ८ में अनुच्छेद ५ का भी निर्देश किया गया है जिसमें वाक्यांश "संविधान के लागू होने पर" प्रयुक्त किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यद्यपि इसका उपबन्ध कर दिया गया है फिर भी जहां तक नागरिकता विधेयक का सम्बन्ध है, यह सदा सर्वदा के लिये लागू होगा । इसलिये नागरिकता की स्वयं-पूर्ण विधि में उपबन्ध किया जाना ठीक ही है, यद्यपि यह कुछ सीमा तक अनुच्छेद ८ के उपबन्धों के समान है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि उन्होंने और पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने गृह-कार्य मंत्री तथा उपमंत्री के साथ विस्थापित व्यक्तियों के बारे में बातचीत की थी और उन्होंने पंजीयन के लिये छः महीने की अवधि की स्वीकार कर लिया था और जो प्रक्रिया अपनाई जायेगी उसके बारे में भी आश्वासन हुआ था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं समझता था कि माननीय उपमंत्री उसे दोहराने की कृपा करेंगे ।

श्री दातार : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने श्री एन० सी० चटर्जी और पण्डित ठाकुर दास भार्गव से जो कुछ कहा था मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि प्रक्रिया यथासंभव सरल होनी चाहिये । हमारी इच्छा है कि इन अभागे शरणार्थियों में से अधिक से अधिक व्यक्ति यथा शीघ्र भारत के नागरिक बन जायें और इसलिये पंजीयन के द्वारा इन लोगों को नागरिक बनाने के लिये जो भी कार्यवाहियां की जाती आवश्यक हैं वह की जायेंगी और माननीय मित्रों ने जो जो कठिनाइयां बताई हैं उनका ध्यान रखा जायेगा । पंजीयन करने के बारे में भी प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो उसी स्थान पर शपथ भी ले ली जायेगी ताकि उन को बार बार न आना पड़े । हम इन लोगों के पंजीयन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारी नियुक्त करेंगे । वह यथासंभव उसी स्थान पर पंजीयन कार्य को पूरा करेंगे।

श्री मूलचन्द दुबे : ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अधीन प्रत्येक भारतीय नागरिक राष्ट्रमण्डलीय ब्रिटिश नागरिक है । मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश नागरिक के नाते हमारे इंगलिस्तान में क्या अधिकार है ?

श्री दातार : यह खण्ड ११ में है, इसलिये जब उस खण्ड पर विचार किया जायेगा तो मैं इसकी व्याख्या करूंगा ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४९, ५०, ५३, ५५, ५६, ५८, ५९, ८५, १५०, १५१, ५२, ८७ और ८८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(जन्म द्वारा नागरिकता)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ३ के संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४४, १२, ४३ और २ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ११ से १९ तक और खंड १ तथा अनुसूचियां

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड ११ से १९ तक तथा खण्ड १ और पहली, दूसरी तथा तीसरी अनुसूचियों और अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक पर विचार किया जायेगा । जो सदस्य इन के सम्बन्ध में अपने संशोधन रखना चाहते हैं वे उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री कामत : मैं अपना संशोधन संख्या १४७ प्रस्तुत करता हूं ।

निम्न लिखित सदस्यों द्वारा भी निम्नलिखित खण्डों या अनुसूचियों पर निम्न संख्या वाले संशोधन रखे गये :

सदस्य-नाम	खंड या अनुसूची	संशोधन संख्या
१	२	३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)	१२	१५३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पहली अनुसूची	१५८
श्री एच० एन० मुकर्जी	पहली अनुसूची	३६
श्री कामत	१४	३३, ३४, ३५
श्री कामत	दूसरी अनुसूची	३७, ३८, ३९, ४०
श्री कामत	१९	७१
श्री कामत	पहली अनुसूची	७३, १५६
श्री कामत	१८	१०७, १०८, १५४
श्री साधन गुप्त	११	१२२, १२३, १२४
श्री साधन गुप्त	१२	१०५
श्री साधन गुप्त	१५	१२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२
श्री साधन गुप्त	१६	१३३
श्री साधन गुप्त	१८	१३४, १३५
श्री साधन गुप्त	पहली अनुसूची	१३६, १३८ १३९
श्री साधन गुप्त	दूसरी अनुसूची	१४२
श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर)	पहली अनुसूची	१५९
श्री के०के० बसु	तीसरी अनुसूची	१६१
श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरु)	पहली अनुसूची	१३७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१८	६९, ७०
पंडित ठाकुर दास भार्गव	दूसरी अनुसूची	१६०
श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	पहली अनुसूची	१४०, १५७
श्री एन० सी० चटर्जी	दूसरी अनुसूची	९

१	२	३
श्री एन० सी० चटर्जी	तीसरी अनुसूची	१०
श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व व ज़िला—बदायूं—पूर्व)	तीसरी अनुसूची	४१
श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर)	तीसरी अनुसूची	७५

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ १०, पहली अनुसूची के स्थान पर रखा जाये :

"THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 2(1)(b) and 5(1)(e)]

A. The following Commonwealth countries :—

1. United Kingdom.
2. Canada.
3. Commonwealth of Australia.
4. New Zealand.
5. Union of South Africa.
6. Pakistan.
7. Ceylon.
8. Federation of Rhodesia and Nyasaland.

B. The Republic of Ireland.

Explanation.—In this Schedule, "United Kingdom" means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and includes the Channel Islands, the Isle of Man and all Colonies; and "Commonwealth of Australia" includes the territories of Papua and the territory of Norfolk Island."

[पहली अनुसूची

देखिये धारा २ (१) (ख) और ५ (१) (ङ)]

(क) राष्ट्र मंडल के निम्नलिखित देश:—

१. यूनाइटेड किंगडम
२. कनाडा
३. आस्ट्रेलिया का समधिराज्य (कामनवेल्थ)
४. न्यूजीलैण्ड
५. दक्षिणी अफ़्रीका संघ
६. पाकिस्तान
७. श्रीलंका
८. रोडेशिया और न्यासलैंड संघ

(ख) आयरलैंड का गणराज्य

व्याख्या : इस अनुसूची में यूनाइटेड किंगडम का अर्थ है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राजतंत्र, और उसमें चैनल के द्वीप, आइल आफ मैन, और सभी उपनिवेश शामिल हैं, और "आस्ट्रेलिया के समधिराज्य" में पपुआ का राज्य क्षेत्र और नौरफोक द्वीप का राज्य क्षेत्र शामिल है।"]

हमने संशोधन में जो कुछ किया है वह यह है कि हमने प्रथम अनुसूचि में देशों का क्रम फिर से निश्चित करने का प्रयास किया है।

श्री कामत : ठीक तरह निश्चित नहीं किया गया है और श्वेत जातियों के पक्ष में।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम प्रारम्भ से ही खण्ड ११ के जोड़े जाने का विरोध करते आ रहे हैं, और प्रधान मंत्री के भाषण से भी इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा है और न ही इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है।

श्री दातार : मैं निवेदन करता हूं कि संशोधन सख्या ६८ को भी प्रस्तुत समझा जाये, क्योंकि खण्ड १६ में धारा १० के साथ धारा १७ का गलती से उल्लेख हो गया है।

मेरा प्रस्ताव है कि पृष्ठ ८, पंक्ति ११ में "Section 17 ["धारा १७"] के स्थान पर "Section 18" [" ारा १८"] रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। ये सब संशोधन अब सभा के सामने हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अभी तक यह बात हमारी समझ में नहीं आई है कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के नाते हमें कैसे अच्छी नागरिकता विधियां और अन्योन्यता की सुविधायें प्राप्त हुई हैं। प्रधान मंत्री विश्व नागरिकता के समर्थक हैं, किन्तु खण्ड ११ और प्रथम अनुसूची के शब्दों से हम देखते हैं कि राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता का विचार ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम से लिया गया है और अनुसूची को इतना संकीर्ण रखा गया है कि विश्व नागरिकता की ओर बढ़ने की बजाये, जिन देशों के साथ हमारा अच्छा और घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनके प्रति भी हम संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाते जा रहे हैं। अधिक देशों को इस परिधि में सम्मिलित करने के बारे में सरकार सशंक दिखाई देती है। ब्रह्मा के बारे में हम मान सकते हैं कि शायद ब्रह्मा इस भय से कि ब्रह्मा में बसने वाले बहुत से भारतीय ब्रह्मा की राष्ट्रीयता का दावा करेंगे, इस अन्योन्यता को मानने को तयार नहीं है। किन्तु हमें इन बातों से घबराकर उचित दिशा में बढ़ा अपना कदम रोक नहीं लेना चाहिये। कुछ समय पश्चात् पारस्परिकता की भावना अवश्य सफल होगी। परन्तु हम तो "श्वेत" नीति रखने वाले देशों के प्रति उदार होते जा रहे हैं। इसलिये मैं अनुभव करती हूं कि खण्ड ११ को न जोड़ कर, इसमें खण्ड १२ को जोड़ा जाना चाहिये और उसमें मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जावे कि उन अन्य देशों को भी, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार समय समय पर घोषणा करेगी, हमारी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया जायेगा। माननीय उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है।

हमारे अधिनियम में "राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता" की परिभाषा नहीं दी गई है। हमें मालूम नहीं है कि इस से हमें क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के अधिनियम में भी यह शब्द प्रयुक्त किया गया है किन्तु वहां इस के स्पष्ट तथा विशेष अर्थ है कि ब्रिटिश राष्ट्रजन और राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रीयता का एक ही अर्थ है। खण्ड ११ के द्वारा राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता रखने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो जायेगा, किन्तु खण्ड १२ के अन्तर्गत भारत का नागरिक होने के लिये पारस्परिकता सम्बन्धी कुछ शर्तें पूरी की जानी अपेक्षित होंगी कि उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता के समानाधिकार प्राप्त हों। ऐसा प्रतीत होता है कि १९४९ में हुये राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में कोई ऐसा समझौता हुआ होगा, किन्तु प्रधान मंत्री का तर्क मेरी मसझ में नहीं आता है। मैं नहीं समझ सकती कि इस राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता से बंध कर हम मलाया और अन्य उपनिवेशीय राज्य क्षेत्रों की कैसी साहयता कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ को, जिस प्रकार वह भारत पर लागू होता है, रद्द नहीं करते हैं किन्तु हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त ब्रिटिश संसद् द्वारा पहले पारित सब अधिनियमों को रद्द कर दिया था। भारत के गणतंत्र घोषित किये जाने से कुछ समय पूर्व भारत (आनुषंगिक उपबन्ध) अधिनियम, १९४९ द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि उस समय जो विधियां या उपबन्ध लागू थे वे भारत पर लागू होंगे। उस समय जो कुछ भी किया गया था वह राष्ट्रमण्डलीय और इंगलैण्ड के नेताओं के परामर्श से किया गया था। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ को देखे भारत (आनुषंगिक उपबन्ध) अधिनियम, १९४९ का कोई महत्व या सार नहीं है। परन्तु इसके लिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है बल्कि सरकार इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार की बात हो रही ह, इसलिय मैं कहती हू कि राष्ट्र-

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मण्डलीय नागरिकता का ब्रिटिश नागरिकता से अधिक और कोई अर्थ-नहीं है, जिसे स्वीकार करना हमारे लिय सम्मानीय नहीं है । इसलिय मैं आशा करती हूं कि यदि खण्ड ११ को निकाल दिया जाये और खण्ड १२ को रखते हुये मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो समस्त स्थिति ठीक रह सकती है ।

मैंने अनुसूची में संशोधन करने का प्रयत्न किया है, किन्तु मैं श्री दातार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का बिरोध करती हूं । उन्होंन श्वेत जातियों को पहले और कृष्ण जातियों को पीछे रखा है । उन्होंने संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है ।

हमें राष्ट्रमण्डलीय देशों के अतिरिक्त ब्रह्मा आदि देशों को भी शामिल करना चाहिये और हमें "ब्रिटिश साम्राज्य के उप-निवेश" शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि हमें उनको स्वतंत्रत देश के नाते वही सम्मान देना चाहिये जो हम स्वतंत्र देश के नाते अपने लिये चाहते हैं ।

श्री कामत : मैं ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ की उपधारा (८) की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) म यह उपबन्ध है कि सम्बद्ध देश की सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने पर सैक्रेट्री आफ स्टेट घोषणा करेगा और उसी तिथि से नागरिकता विधि उस देश पर लागू होगी ।

यह इस तर्क का, कि हम ब्रिटिश संसद् द्वारा "अधिनियमित विधेयकों से बन्धे हुये नहीं हैं, खण्डन करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को "नागरिकता" शब्द की परिभाषा के लिये खंड २ का निर्देश करना चाहिय । इसमें विधि पारित करके अन्य देश से इसे मानने की प्रार्थना करनी चाहिये, क्योंकि दोनों देशों को अधिकार है कि वह देखें कि दूसरे देश की विधि उन के देश की विधि के कहां तक अनुरूप है । उनको यह भी देखना है कि हमारी विधि कहां तक उनके अनुकूल है ।

श्री कामत : इस से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । जब तक वह इसे अनुमोदित नहीं करते, हमारी विधि प्रभावी नहीं होगी ।

२८ अक्टूबर, १९५२ को वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये पत्र संख्या एफ-२१६९/५१ में लिखा हुआ था " मुझे कहने का निदेश दिया गया है"-- किसी सचिव या उप सचिव ने यह लिखा है--" कि भारतीय नागरिकता ....."

उपाध्यक्ष महोदय : उप खण्ड (ग) को देखिये । हमारी पारित की हुई विधि को स्वीकार करने या न करने का उनको अधिकार है और उसी प्रकार उनकी किसी विधि को मानने या न मानने का हमें अधिकार है । किन्तु जहां तक मान्यता दिये जाने का प्रश्न है अपनी विधि के बारे में हमको और उनकी विधि के बारे में उनको प्रार्थना करनी होगी ।

श्री कामत : इस उपधारा का एक भाग हमारे उपबन्ध के समरूप नहीं है । ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ की धारा ३२ की उपधारा (८) यह कहती है कि यह उस तिथि को प्रभावी होगी जो कि आदेश में बताई गई होगी ; उस तिथि तक यह प्रभावी नहीं होगी । परन्तु हमारे विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ऐसा उपबन्ध बाद को किसी धारा में अवश्य होगा ।

श्री कामत : नहीं श्रीमान्, बिल्कुल नहीं है। मुझे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि इस समय भारतीय नागरिकता पर भारतीय संविधान लागू होता है। भारतीय नागरिकता विधि में अधिक व्यापक सिद्धान्त सम्मिलित करने की प्रस्थापना है। जब तक भारतीय नागरिकता विधि लागू नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रमण्डल के राज्य सचिव के पास जाने की भारत सरकार की कोई प्रस्थापना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक नागरिकता विधि है और वह भारतीयों पर लागू होती है। परन्तु हम उसे तब तक लागू नहीं करना चाहते जब तक कि यह विधि पारित नहीं हो जाती। संभवतः कुछ माननीय सदस्य यह कहेंगे जो कि प्रथम अनुसूची के देशों के सम्बन्ध में हमारे विधेयक और वहां के अधिनियम के शब्दों में कोई अन्तर न हो। वह एक अलग प्रश्न है। परन्तु जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, हमने बिल्कुल वही उपबन्ध लागू किये हैं जोकि उस अधिनियम में हैं।

श्री कामत : कल जब गृह-कार्य उपमंत्री महोदय स्वतन्त्रता अधिनियम की धारा ६ का वाचन कर रहे थे तो मैंने स्वातन्त्र्य अधिनियम की धारा १८ का निर्देश दिया था, परन्तु उन्होंने गलती से ब्रिटिश राष्ट्रीता अधिनियम की धारा १८ समझ ली थी। अतः मैं उसका आज स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा ३२ (८) की भांति हमने खण्ड १२ में यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार एक आदेश के द्वारा पारस्परिकता के आधार पर उपबन्ध बना सकती है।

अब मैं स्वतन्त्रता अधिनियम की धारा १८ को लेता हूं। सरकार इस धारा १८ को धारा ६ से कैसे मिलाना चाहती है? उपमंत्री इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करें और संतुष्ट करने का प्रयत्न करें।

प्रथम अनुसूची के सम्बन्ध में, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने एक पहलु की ओर संकेत किया था कि गोरी जातियों को सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, मैं देखता हूं कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ का निर्देश दे कर एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया गया है जो कि दासता-वृत्ति का ही प्रतिरूप है अथवा वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) की एक प्रति है।

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जहां तक सूची का सम्बन्ध है, उसमें नामों को इस क्रम से रखा गया है जिस क्रम से उन्होंने अधिराज्य (डोमिनियन) का दर्जा प्राप्त किया था।

श्री कामत : जैसा कि हम चाहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका का नाम सब से नीचे रखा गया था, परन्तु अब इस संशोधन के द्वारा इसे ऊपर लाया जा रहा है। दक्षिणी अफ्रीका हमारे देश के सम्बन्ध में कितनी आपत्तिजनक बातें कहा करता है और उसे कोई नहीं रोकता। परन्तु हम हैं कि उसे इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इस राष्ट्रमण्डल का लाभ ही क्या हुआ। हम इतने दयालु बनते हैं कि फिर भी अपने विधान में खण्ड ११ रख रहे हैं। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ की धारा १ की उपधारा (२) के अनुसार तो राष्ट्रमण्डल के नागरिक का अर्थ ब्रिटिश प्रजा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। कल प्रधान मंत्री ने इस बात को बड़े बल पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया था कि राष्ट्रमण्डल में रहना हमारे लिये कितना हितकर है। परन्तु मैं पूछता हूं कि अभी तक राष्ट्रमण्डल के किस देश ने किस देश की सहायता की है।

मैंने अन्य खण्डों के लिये भी कई संशोधन प्रस्तुत किये थे। नियम-निर्माण अधिकार के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि १४ दिनों के स्थान पर १३ दिन रखे जायें और "during the session in which

[श्री कामत]

they are so laid" ["उस सत्र के दौरान में जिसमें वे प्रस्तुत किये जायें"] शब्दों को हटा दिया जाये और उनके स्थान पर "therein" ["उसमें"] शब्द रख दिया जाय ।

फिर खण्ड १३ और १४ के सम्बन्ध में मैंने यह उपबन्ध किये जाने के लिये कहा था कि खण्ड ५ (१) (ग) में वर्णित भारत में रहने वाले भारतीय उद्भव के किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति के समय लिखित रूप से कारण बताये जाने चाहियें, वे संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा ही अस्वीकृत नहीं किये जाने चाहिये ।

प्रथम अनुसूची के लिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार मैं ख वर्ग के देशों को क वर्ग के देशों से ऊपर लाना चाहता हूं । इसके अतिरिक्त मैंने इस वर्ग में कई और देश भी मिलायें हैं, और आयरलैण्ड को क वर्ग में सब से ऊपर रखा है ।

द्वितीय अनुसूची के सम्बन्ध में अपने संशोधन के द्वारा केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि निष्ठा की शपथ का रूप वैसा हो जैसा कि संविधान में है । संविधान में मंत्रियों आदि की शपथ के लिये जो रूप है वही यहां पर भी अपनाया जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं उपमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें खंड ११ रखने का वास्तविक प्रयोजन क्या है ? इसमें जो 'राष्ट्रमण्डल नागरिक' शब्द आया है इसका अर्थ क्या है ? इस विधेयक में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है । पाकिस्तान ने इस प्रकार का अधिनियम बनाया है और उस नागरिकता अधिनियम की धारा २ में इस शब्द का अर्थ यह निकाला है कि वही व्यक्ति राष्ट्रमण्डल का नागरिक होगा जो कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ के अधीन आयेगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी इस शब्द का यही अर्थ लेते हैं ? यदि नहीं तो फिर इस खण्ड ११ का लाभ ही क्या है । इसे हटा देने में कोई हानि न होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ११ स्वयं ही एक परिभाषा देने वाला खण्ड है । प्रथम अनुसूची में दिये गये किसी भी राष्ट्रमण्डल के देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रमण्डल का नागरिक होगा । अतः खण्ड ११ राष्ट्रमण्डल के नागरिकों की परिभाषा देता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इसमें राष्ट्रमण्डल के नागरिक को परिभाषित नहीं किया गया है. इसमें केवल थोड़ा सा निर्देश ही है । खण्ड ११ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देने में कोई हानि न होगी । खण्ड १२ स्वयं अपने आप में पूर्ण है । अतः यदि आप खण्ड ११ छोड़ भी दें तो भी खण्ड १२ अपने आप में पूर्ण है, और सारा कार्य सिद्ध करता है ।

यदि प्रधान मंत्री इस बात से सहमत हैं और सभी सरकारी सदस्य यह चाहते हैं हैं कि हमें राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना चाहिये तो मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा, कि कम से कम दक्षिणी अफ्रीका को इसमें से निकाल दो । दक्षिणी अफ्रीका हमारे भारत का घोर विरोधी है, अतः जहां तक हमारे नागरिकता-विधान का सम्बन्ध है, इसका दक्षिणी अफ़्रीका से कोई नाता नहीं होना चाहिये । यदि हमारे प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि हम तो विश्व नागरिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वह फिर अन्य देशों को भी प्रथम अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर लेते ? आपमें कुछ साहस होना चाहिये । जैसे पाकिस्तान ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ को अपना लिया, है, वैसे ही आप भी इसे अपनाने में संकोच क्यों करते हैं ? प्रधान मंत्री का यह कथन है कि यह अधिनियम भारत-स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त बना था । परन्तु मैंने लॉर्ड साईमण्ड की पुस्तक में पढ़ा है कि

इस के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही राष्ट्रमण्डल के देशों में एक सामान्य करार हो चुका था। अतः इसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। आप को इसके बारे में स्पष्टवादी होना चाहिये, और इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार के भय का अनुभव नहीं करना चाहिये।

अब ज़रा द्वितीय अनुसूची की ओर देखिये जो कि निष्ठा की शपथ निर्धारित करती है। इस में जो यह लिखा हुआ है कि "मैं भारत की विधियों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा" इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विना भी शेष शपथ पर्याप्त होगी।

तृतीय अनुसूची में निवास-गृह, चरित्र, भाषा आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। परन्तु इसमें से एक बात को छोड़ दिया गया है वह यह है कि वह सरकार को इस बात का आश्वासन दे कि वह सरकार पर भार बने बिना कोई व्यवसाय प्रारम्भ कर सकता है। यह बात उस में अवश्य रखी जाये, अन्यथा भारत में बेकारी और बढ़ जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब भी सभा-पटल पर कोई नियम रखे जायें तो उन्हें संशोधित करने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु आप का यह कथन है कि संशोधन इसी सत्र में प्रस्तुत कर दिये जायें। इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता। और फिर आपने जो १४ दिन दिये हैं, इनके स्थान पर तीस दिन होने चाहियें।

फिर निष्ठा की शपथ में ये शब्द रखे गये हैं "भारत के संविधान के प्रति निष्ठा"। मेरा संशोधन यह है कि "संविधान" के स्थान पर "राज्य" शब्द रखा जाये। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७ (च) में भी हमने "राज्य" शब्द का प्रयोग किया है। संविधान तो समय समय पर परिवर्तित होता है, अतः इसके प्रति निष्ठा का कोई तात्पर्य ही नहीं। अतः "संविधान" के स्थान पर 'राज्य' शब्द रखा जाये।

इस प्रकार से "मैं भारत की विधियों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा" इन शब्दों का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति को देश की विधियों का पालन करना ही होता है, अतः ये शब्द यहां पर निरर्थक हैं। शपथ तो अत्यन्त सरल होनी चाहिये। अतः इतने शब्द ही पर्याप्त हैं कि "भारत राज्य के प्रति विश्वास तथा निष्ठा और भारत राज्य के प्रति अपने सभी आभारों को पूर्ण करूंगा।"

मैं खण्ड ११ तथा १२ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा नम्र निवेदन है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं तथा खण्ड ११ से हमको क्या हानि होती है। इसके अतिरिक्त मेरा तो यह विचार है कि राष्ट्रमंडल के सभी नागरिकों को राष्ट्रमंडल के सभी देशों में पंजीयन का अधिकार होना चाहिये तथा राष्ट्रमंडल का नागरिक कहलाना चाहिये। हम ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं अपितु राष्ट्रमंडल के नागरिक हैं और ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित विधियां हम पर लागू नहीं होती हैं। इसलिये मेरे विचार से खण्ड ११ तथा १२ बिल्कुल उचित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२२, १२३ और १२४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं राष्ट्रमंडलीय नागरिकता संबंधी खंड ११ को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने।"

सभा में मतविभाजन हुआ। "हां" वाले १२८; "न" वाले २६।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०५ और १५३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड १४ पर संशोधन संख्या ३३, ३४ और ३५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड १५ पर संशोधन संख्या १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१ और १३२ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १६ पर सरकारी संशोधन संख्या ६८ है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८, पंक्ति ११,

"section 17" ["धारा १७"] के स्थान पर "section 18" ["धारा १८"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १३३ संख्या ६८ जैसा ही होने से अवरुद्ध हो गया ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३४, १३५, १०७, १०८, १५४, ६९ और ७० मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहली अनुसूची पर सरकारी संशोधन संख्या १५५ है ।

प्रश्न यह है :

"THE FIRST SCHEDULE

[*See* sections 2 (1) (b) and 5 (1) (e)]

A. The following Commonwealth countries:—

1. United Kingdom.
2. Canada.
3. Commonwealth of Australia
4. New Zealand.
5. Union of South Africa.
6. Pakistan.
7. Ceylon.
8. Federation of Rhodesia and Nyasaland

B The Republic

Shri Kamath: Asia and Africa-east. It is according to the Bandung spirit ?

Mr. Deputy-Speaker: It is the order in which they were accepted

"B. The Republic of Ireland.

Explanation.—In this Schedule "United Kingdom" means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and includes the Channel islands, the Isle of Man and all Colonies, and "Commonwealth of Australia" includes the territories of Papua and the territory of Norfolk Island".

"पहली अनुसूची

[देखिये धारा २ (१) (ख) और ५ (१) (ङ) ।]

क. राष्ट्रमंडल के निम्नलिखित देश :—

१. यूनाइटेड किंगडम
२. कैनाडा
३. आस्ट्रेलिया का समधिराज्य (कामनवेल्थ)
४. न्यूजीलैंड
५. दक्षिणी अफ्रीका संघ
६. पाकिस्तान
७. श्रीलंका
८. रोडशिया और न्यासालैंड संघ

ख. आयरलैंड का गणराज्य

व्याख्या : इस अनुसूची में यूनाइटेड किंगडम का अर्थ है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राजतंत्र, और उसमें चैनेल के द्वीप, आइल आफ मैन, और सभी उपनिवेश शामिल हैं, और "आस्ट्रेलिया के समधिराज्य" में पपुआ का राज क्षेत्र और नौरफौक द्वीप का राज्य क्षेत्र शामिल है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३९, १५६ **और** १५९ **मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७३, १३७, १३८, १४०, ३६, १५७ **और** १५८ **भी मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए । संशोधन संख्या** १३६ **संख्या** ७३ **जैसा ही होने के कारण अवरुद्ध हो गया ।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधयेक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३७, ३८, ३९, ४०, ९, १४२ **और** १६० **मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधयेक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दूसरी अनुसची विधेयक में जोड दी गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा तृतीय अनुसूची पर संशोधन संख्या १०, ७५, ४१ और १६१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड दी गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियम सूत्र और नाम विधयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गय ।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं इस विधेयक का इस समय इसलिये विरोध करना चाहता हूं क्योंकि सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि खण्ड १९ के द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रीयता और अन्यदेशीय जन संस्थिति अधिनियम [ब्रिटिश नैशनैलिटी एण्ड स्टेटस् आफ एलियन्स एक्टस्] १९१४ से १९४३ का, जहां तक उनके भारत पर लागू होने का संबंध है, निरसन क्यों किया जा रहा है ।

सत्य यह है कि १९४८ में ब्रिटिश राष्ट्रीयता और अन्य देशीय जन संस्थिति अधिनियम [ब्रिटिश नेशनैलिटी एण्ड स्टेटस् आफ एलियन्स एक्टस्] १९१३ से १९४३ को निरसित कर दिये गये थे परन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध था वे अपवादस्वरूप निरसित नहीं किये गये थे, क्योंकि इस अधिनियम की धारा ३४ में यह बताया गया है कि नागरिकता के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की विधि ही ब्रिटिश नागरिक पर लागू रहेगी । इस प्रकार अभी तक हम ब्रिटिश नागरिक ही थे । इसलिये १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता एक्ट का निरसन आवश्यक है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का कथन है कि हम राष्ट्रमंडल के नागरिक हैं तब हमको ब्रिटिश प्रजाजन भी कह सकते हैं । परन्तु मेरा कथन है कि हम उनको भारतीय नागरिक क्यों न मानलें । मेरा निवेदन है कि सरकार को यह मान लेना चाहिय था कि हमारी स्थिति उनसे कुछ नीची है । सत्य बात को नहीं माना गया, क्या इधर उधर की बहुत सी बातें कहीं गईं कि १९४७ में हमारी स्थिति इस प्रकार की थीं तथा इसलिये अब हम इसका निरसन कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि यदि इनको १९४७ स पहले पारित किया गया था तो इन आठ वर्षों के पश्चात् अब हमारा ध्यान इस ओर किस प्रकार पहुंचा । इसलिये मेरा विचार है कि यह विधेयक कुछ वचनों पर आधारित है जो हमने दिये हैं और उसी के कारण दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्री लका आदि, देशों को हम राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रस्तुत कर रहे हैं । और इसलिय मैं इसका विरोध करता हू ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बीमा (संशोधन) विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) मैं प्रस्ताव करता हूं...

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है कि जब वह व्यक्ति जिसके नाम से कोई प्रस्ताव हो सभा में उपस्थित हो तो क्या वह अपने स्थान पर अन्य सदस्य को उस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम २ में दिया है कि "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य, राज्य मंत्री, उपमंत्री या सभा सचिव से है, तथा "विधेयक का भारसाधक सदस्य" का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुनः स्थापित किया है और किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से है ।

श्री एम० सी० शाह भी एक मंत्री हैं ।

श्री के० के० बसु : मेरा औपचारिक प्रश्न यह है कि जब वह मंत्री, जिसके नाम से प्रस्ताव है सभा में उपस्थित है तब वह दूसरे मंत्री को उसे प्रस्तुत करने का अधिकार किस प्रकार दे सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम में यह नहीं कहा गया है कि भारसाधक सदस्य का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुनःस्थापित किया है तथा उसकी अनुपस्थिति में, अन्य कोई मंत्री । इसलिये उपस्थित अथवा अनुपस्थिति का यहां कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर रखे जाने के लिये है जो कि उस समय जारी किया गया था जब कि संसद् की बैठक नहीं हो रही थी । हम सभा पटल पर विवरण रख चुके हैं जिसमें हमने अध्यादेश जारी करने के कारण बताये हैं ।

जैसा कि सभा को ज्ञात है बीमा समवायों के साथ, अन्य संयुक्त-पूंजी समवायो की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि इन समवायों में बीमाधारियों (पालिसी होल्डरों) की पूंजी होती है, जिनका प्रबन्ध में बहुत कम हाथ रहता है तथा इसलिय इन समवायों पर और अधिक नियंत्रण लगाये गये हैं । इस नियंत्रण तथा नियंत्रण के लिया कार्यवाहियों को बीमा अधिनियम में रखा गया है । परन्तु बीमा अधिनियम क उपबन्ध भी बीमाधारियों (पालिसी होल्डरों) की पूंजी की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं पाये गये । तथा जैसा ही बीमा अधिनियम की कमियां मालूम हुईं वैसे ही इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था ।

कुछ दिन पूर्व एक अपकरण के मामल में हमें ज्ञात हुआ है कि बीमा अधिनियम के उपबन्ध पर्याप्त अथवा प्रभावी नहीं है । बीमा अधिनियम की धारा १०६, जो कि अपकरण के सम्बन्ध में है, बड़ी ही सीमित पाई गई । धारा १०६ लागू होन के लिये यह आवश्यक है कि बीमा अधिनियम के किसी न किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ हो तथा इस उल्लंघन के परिणामस्वरूप जीवन बीमा निधि का ह्रास हुआ हो । यदि ये दोनों बातें हों तभी बीमा कराने वाली समवाय के निर्देशकों तथा अन्य पदाधिकारियों को इस धारा के अधीन हानि पूरी करने को विवश किया जा सकता है । परन्तु हानि और भी कई प्रकार से की जा सकती है । जैसे हानि बीमा अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन न करके किसी पांडिक अधिनियम के अधीन की गई हो अथवा हानि ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुई हो जो बीमा कराने वाले से किसी प्रकार भी सम्बन्धित न हो । धारा १०६ में इस प्रकार के मामल नहीं आते ।

[श्री एम० सी० शाह]

परन्तु बीमाधारियों [पालिसी होल्डरों] का हित इसी में है कि जो उनकी निधियों को जानबूझ कर हानि पहुंचाता है उस व्यक्ति को हानि पूर्ण करने का उत्तरदायी भी होना चाहिये ।

बीमा अधिनियम में एक बात और असंतोषजनक है । अपकरण होने के बाद धारा १०६ के अन्तर्गत न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है । जब डिग्री ले ली जाय तब डिग्री को पूरा करके हानि को प्राप्त करने के लिये भी कोई तरीका होना चाहिये । क्योंकि डिग्री ले लेने से पूर्व ही यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेच देता है अथवा अन्य किसी व्यक्ति को दे देता है तो डिग्री लेने से उद्देश्य पूर्ति नहीं होती है । इस प्रकार धारा का उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है । इसलिये यह आवश्यक है कि दिवालिये व्यक्ति की अथवा उस व्यक्ति की, जो कि हानि पूर्ति के लिये उत्तरदायी है, सम्पत्ति न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री को पूरा करने के लिये प्राप्य हो सके । यह तभी हो सकता है जब इस प्रकार की सभी सम्पत्ति को कार्यवाही चालू होने से पूर्व ही कुर्क कर लिया जाय ।

इसी कारण धारा १०६ को बढ़ाया जा रहा है जिससे इसमें अपकरण के सभी मामले आ जायें तथा न्यायालय को सम्पत्ति कुर्क करने के अधिकार प्राप्त हो जायें । क्योंकि अधिकार बहुत अधिक हैं इसलिये ऐसा प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन, क्षेत्राधिकार केवल उस न्यायालय को ही दिया जाये ।

यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि बीमा समवाय में ज्यों ही कोई अपकरण हो, उसको उसी समय पकड़ना संभव नहीं है तथा अपकरण के कितने ही कार्य किये जा सकते हैं जिनकी जानकारी देर से हो सकेगी । जैसे धारा ५२ क के अधीन एक प्रशासक [एडमिनिस्ट्रेटर] की नियुक्ति होने के पर्याप्त कारण हैं परन्तु प्रशासक को समवाय की हानियों में अपकरण के मामले ढूंढ निकालने में समय लगेगा । उस की नियुक्ति होने पर अपचारी व्यक्ति यह विचार करेंगे कि उनका खेल खत्म हो गया है तथा उनके बुरे कार्यों के लिये उन्हें दंड दिया जायेगा । इसलिये इससे बचने के लिये वे प्रशासक के द्वारा मामलों की जांच की जाने से पूर्व ही अपनी सम्पत्ति को बेच सकते हैं अथवा दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं । अपचारी व्यक्तियों को अपने बुरे कामों के परिणामों से बचने न देने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशासक को कुछ अधिकार होने चाहियें जिनके द्वारा वह उन व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति दूसरे व्यक्तियों को तब तक देने से रोक सके जब तक मामला न्यायालय के सुपुर्द न कर दिया जाये । इसलिये ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रशासक के द्वारा जारी निषेधआदेश तीन मास तक के मान्य लिये होंगे ।

दूसरे शब्दों में इस अवधि में न्यायालय में मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकेगा । जिन सम्पत्तियों के लिये वह आदेश दे सकता है वे सम्पत्ति वही होंगी जिनको धारा १०६ के अधीन न्यायालय कुर्क कर सकता है । प्रशासक द्वारा मामला प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् न्यायालय यह निर्णय करेगा कि निषेधात्मक आदेश जारी रहने चाहिये अथवा नहीं ।

सभा को जानकारी होगी कि यह विधेयक बीमा (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ की स्थानपूर्ति के लिये ही है जो कि राष्ट्रपति ने १ नवम्बर, १९५५ को जारी किया था । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इस अध्यादेश के कारण एक विवरण में बताये गये थे जो कि सभा पटल पर रख दिया गया था । जिन विशेष परिस्थितियों के कारण यह अध्यादेश जारी किया गया था उनको संभवतया सभा जानती ही है । एक मामला इस प्रकार का था जिसमें बीमाधारियों [पालिसी होल्डरों] का धन बीमा समवाय के कोष से गायब था तथा इसीलिये यह विचार किया गया कि बीमा-

धारियों [पालिसी होल्डरों] के हित की रक्षा के लिये यह अतिरिक्त अधिकार अत्यधिक आवश्यक हैं। यह भी सोचा गया कि ये अतिरिक्त उपबन्ध, बीमा समवाय में शीघ्रातिशीघ्र जोड़ दिये जाने चाहिये जिससे कि मामले की अत्यावश्यकता पूरी हो सके तथा इसीलिये यह अध्यादेश जारी किया गया था। जैसा कि सभा को ज्ञात है, अध्यादेश जारी करने के पश्चात् ही हम अपचारी व्यक्ति से बीमा समवाय को हुई हानि को वसूल कर सके। अध्यादेश दिये गये अधिकार बीमाधारियों [पालिसी होल्डरों] के हित की रक्षा के लिये तथा अपचारी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावोत्पादक रूप में कार्यवाही करने के लिये आवश्यक हैं।, इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री फिरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायेबरेली—पूर्व) : हमारे देश में बहुत बीमा समवाय हैं तथा उन्हीं में से एक भारत बीमा समवाय है। भारत बीमा समवाय के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व, मैं सभा को उस व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ बताऊंगा। १९४९ में रामकृष्ण डालमियां अमरीका गये थे। उन्होंने संवाददाताओं को कई बयान दिये।

"मैगजीन डाइजेस्ट" नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का कुछ सारांश मैं आप को सुनाता हूं। उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार प्रारम्भ किया :—

"सेठ डालमिया कहते हैं :—

'मैं एक ज्योतिषी के पास गया। उसने मुझे बताया कि दो महीने के भीतर मेरे पास ३०,००० डालर हो जायेंगे। पहले तो मैं हंसा। फिर प्रतिदिन सवेरे मैं गंगा में स्नान करते समय ईश्वर का नाम जपने लगा। और एक दिन इंग्लैंड से मेरे पास एक तार आया कि मैं चांदी खरीद लूं।'

"चांदी खरीदने के लिये रुपये की समस्या शीघ्र ही हल हो गयी और सेठ डालमिया ने ज्योतिषी से ३०,००० डालर उधार लिए।"

पत्रिका में लिखा है :

"चांदी के इस सट्टे के पश्चात्, जवाहरात, कपास, अलसी का तेल, चीनी इत्यादि की सट्टेबाजी शुरू हुई। सेठ डालमिया ने दस गुना रुपया कमाया. . . . . ."

श्री बी० जी देशपांडे (गुना) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमान्। सदन के सामने जो मामला है उससे इन बातों का सम्बन्ध नहीं है। केवल सुसंगत बातें कही जानी चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के सामने मुख्य बात प्रशासक की शक्ति के सम्बन्ध में है। यदि सरकार अथवा या कोई अन्य प्राधिकारी जो प्रशासक नियुक्त करे, यह आवश्यक समझे कि प्रथम निरोधक कार्यवाही के रूप में कार्य प्रबन्ध संभाल लिया जाना चाहिये। तो प्रशासक को आदेश जारी करने का प्राधिकार प्राप्त होगा कि सम्पत्ति का हस्तानांतरण न किया जाए। तीन महीने के भीतर वह पक्ष न्यायालय में जाकर आदेश को रद्द करवा सकता है। यह बताने के लिए कि यह विशेष अधिकार कितने आवश्यक हैं सट्टेबाजों की चर्चा की गई है। इसलिए इतिहास बताया जा रहा है। तीसरे पक्ष ने जो रुपया आकस्मिक मृत्यु आदि की स्थिति में, अपने जीवन की सुरक्षा आदि के लिए दिया है उस रुपये को किस प्रकार सट्टे में लगाया जाता है और इसलिए प्रशासक को विशेष शक्ति प्रदान करना किस प्रकार आवश्यक है, मेरे विचार में माननीय सदस्य इसी कारण इन बातों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री फीरोज गांधी : सेठ डालमिया ने पन्द्रह वर्ष हुए उद्योग की ओर रुख किया । 'डालमिया जैन' के बटवारे के बाद अगस्त या सितम्बर १९४९ में हुई एक भेंट की मैं चर्चा करता हूं । इस भेंट के अवसर पर एक अमरीकी संवाददाता स्त्री भी वहीं उपस्थित थी । सेठ डालमिया क उद्योगों की सूची से वह इतनी प्रभावित हुई कि इस सम्बन्ध में कुछ और जानने की जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हुई । उसने पूछा "इन कम्पनियों में आपकी क्या स्थिति है ?" उत्तर मिला "कोई नहीं ।"

प्र० : क्या आप इन कम्पनियों के संचालकों के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं ?

उ० : नहीं ।

प्र० : आपका इन कम्पनियों से क्या सम्बन्ध है ?

उ० : मैं इन सब का स्वामी हूं ।

बस, मैं सभा को इस व्यक्ति के बारे में यह बताना चाहता था कि यह व्यक्ति जो बीमा कम्पनियों, बैंकों, सीमैन्ट कम्पनियों और न जाने किन किन कम्पनियों का स्वामी है, वह कैसा व्यक्ति है । अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन बीमा कम्पनियों का रुपया और जिन कम्पनियों में इस निधि को लगाया जाता है उसका दुरुपयोग कैसे होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि प्रशासक को और अधिक विस्तृत अधिकार दिए जाने चाहियें ।

श्री फीरोज गांधी : मैं बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दे रहा हूं और जितना शीघ्र यह हो उतना ही अच्छा होगा ।

सन् १९४६ में में 'डालमिया जैन' ने बम्बई में हाथ पांव फैलाने शुरू किए उन्होंने अक्तूबर १९४६ में साढ़े तीन करोड़ रुपये की भारी रकम से बम्बई में 'सपूरजी बरूचा मिल्ज' और 'माधोजी धर्म से मैनुफैक्चरिंग कम्पनी' अथवा मिल्ज को खरीदा । 'डालमिया जैन' की कार्यवाही का ढंग बहुत ही ठोस प्रकार का है । इस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लो उस कम्पनी पर अपना अधिकार कर लो आधी दर्जन झूठी कम्पनियों पर अपना अधिकार जमा लो । उनका प्रिय ढंग यह था कि कई कम्पनियों के हिसाब किताब को आपस में मिलाकर गड़बड़ कर दो । अक्तूबर १९४६ में इन दोनों मिलों पर उन्होंने अपना अधिकार किया । अक्तूबर १९४६ में इस दल के पंजे में 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' आई । इसे 'सपूरजी बरुचा' और 'माधोजी धर्म से मिल्ज' ने खरीदा था । यह कहां तक विधिवत् था या नहीं यह वित्त मंत्री बता सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या 'बैनट कोलमन कम्पनी' एक बीमा कम्पनी है ?

श्री फीरोज गांधी : 'बैनट कोलमंन कम्पनी' का बीमा कम्पनियों से बहुत ही गहरा सम्बन्ध था । अब दोनों मिलों ने 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के अंश खरीदने आरम्भ किए । लेकिन यह अंश मूल 'बैनट कोलमैन' के हाथों में नहीं थे । १९४६ में किसी समय 'डालमिया जैन' ने ३८०५३ पूर्वाधिकार अंशों में से ३२००० और ७७५० साधारण अंशों मे से ४८०० अर्जित किए थे । अक्तूबर १९४६ तक ये अंश जो दयाल डालमिया, श्री यंस प्रसाद जैन और शान्ति प्रसाद जैन के नामों में हस्तान्तिरित कर दिए गए थे । यह कार्यवाही लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के खर्च पर की गई । और अंशों पर इन तीनों व्यक्तियों का अधिकार था । रुपया कहां से आया, यह मुझे मालूम नहीं है । ये अंश, जिन्हें इन तीन व्यक्तियों ने खरीदा था और जो इनके अधिकार में थे, मिल कम्पनियों को दिए जाने लगे । अक्तूबर से दिसम्बर १९४६ तक इन मिलों ने 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के १६,३५० पूर्वाधिकार अंशों की पहली किस्त खरीदी । ३१ मार्च, १९४७ को

५२,९२,००० रुपये की कीमत पर 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के ९५०० पूर्वाधिकार अंशों को खरीदा । ये दोनों कम्पनियां 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' की मालिक बन गईं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये सब भारत बीमा कम्पनी के रुपये से शुरू हुई थीं ?

श्री फीरोज़ गांधी : जी हां, यह सभी आपस म सम्बन्धित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के सम्बन्ध म सदन क्या नीति अपनाए उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं माननीय सदस्य को कितना भी समय देने के लिए तैयार हूं । बीमा कम्पनियों के संरक्षक कम्पनियों के हितों की अवहेलना और दुरुपयोग करते हैं । यदि माननीय सदस्य ने यह कहा होता कि 'भारत बीमा कम्पनी' ने बम्बई कम्पनी अथवा 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' या किसी और व्यक्ति के नाम पर रुपया लगाया और रुपए के जाया होने का भय है तो ये सब बात असंगत होंगी । वह जब भी किसी दूसरी घटना की चर्चा करते हैं तो उन्हें यह अवश्य बताना चाहिये कि उस बात से 'भारत बीमा कम्पनी' का सम्बन्ध किस प्रकार है ।

श्री फीरोज़ गांधी : एक और बात समाप्त करने के बाद मैं यह बताऊंगा कि' भारत बीमा कम्पनी' इन बातों से कैसे सम्बन्धित है । जैसा कि मैं ने आप को बताया था, ३१ मार्च, १९४७ को 'सपूर जी बरूचा मिल' के पास ५२,९२,००० रुपये के ९५०० पूर्वाधिकार अंश थे और इसी दिन ३७,६७,५०० रुपए की लागत से ६८५० पूर्वाधिकार अंश 'माधोजी धर्मसे मिल' के पास 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के थे । 'बैनट कोलमैन' का स्वामित्व इन दोनों टैक्सटाइल मिलों के साथ में था । उनके व्यापार का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है इसलिए इस कम्पनी मे रुपया लगाना कहां तक विधि वत् था, यह मैं नहीं जानता ।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविष्टि की चर्चा करता हूं । इसका सम्बन्ध भी अंश खरीदने से है और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दूसरे विभिन्न बैंकों और कम्पनियों को 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' की सहायता के लिए उसके अंशों को खरीदने के लिए लाया गया ।

२ मई, १९४७ को 'ग्वालियर बैंक' से ८४,००,००० रुपये की राशि निकाली गई । ग्वालियर और बम्बई एक दूसरे से दूरी पर स्थित हैं । परन्तु उसी दिन मिलों द्वारा 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' को १५,००० और पूर्वाधिकार अंश खरीदने के लिए ८४,००,००० रुपये या इससे कुछ अधिक रकम दी गई और वे इस कम्पनी की मालिक हो गईं । श्री देशमुख जानते हैं कि कुछ वर्ष पश्चात् 'ग्वालियर बैंक' परिसमापित हो गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : बैंक से केवल रुपया निकाला गया था; क्या बैंक का परिसमापन अदायगी न करने के कारण हुआ ? क्या यह बैंक 'भारत बीमा कम्पनी' का साहूकार भी था ?

श्री फीरोज़ गांधी : मैं उन कम्पनियों की चर्चा कर रहा हूं जिनका 'भारत बीमा कम्पनी' 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' और 'डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी' स सीधा व्यवहार था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि इस से 'बैनट कोलमैन' से कैसे सम्बन्ध है ।

श्री फीरोज़ गांधी : मैं आपको बताता हूं कि उसका सम्बन्ध कैसे है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : 'बैनट कोलमैन' और 'भारत बीमा कम्पनी' में कुछ सम्बन्ध रहा है । मुझे मालूम नहीं कि क्या माननीय सदस्य यह सोच रहे हैं कि सदन इस पर न्यायिक दृष्टि से विचार करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भवत: माननीय सदस्य वर्तमान विषय से इन सौदों का सम्बन्ध नहीं जोड़ सकेंगे ।

श्री फीरोज़ गांधी : मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि मैं किसी भी कम्पनी अथवा व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत बीमा कम्पनी से सम्बन्ध नहीं रहा होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में वह उस पृष्ठभूमि को बताना चाहते हैं जिसके कारण इस प्रकार का विधान आवश्यक हो जाता है ।

श्री फीरोज गांधी : मेरे विचार में आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन माननीय सदस्य को सुनने का इच्छुक ह । मैं उन्हें नहीं रोकूंगा ।

श्री फीरोज़ गांधी : इन दोनों मिलों के पास 'बैनट कोलमैन' के १,७४,००,००० रुपये के अंश थे । अब इन दोनों कम्पनियों के लेखा परीक्षक चिन्तित हो रहे थे और जो कुछ हो रहा था उसे व पसन्द नहीं करत थे । लेखा-परीक्षक थे फारगूसन और बिल्लीमोरिया । उन्होंने इस सौदे के स्वरूप को देखते हुए सन्तुलन पत्र की कुछ विशेष मदों की पुष्टि करने से इन्कार कर दिया । उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा कि कम्पनी ने समय समय पर प्रतिवेदन के वर्ष में इन कम्पनियों को पेशगी रकम दी है । इन कम्पनियों और इस कम्पनी के कुछ संचालक दोनों में हैं । कुछ संचालक 'भारत बीमा कम्पनी' के हैं, कुछ 'बैनट कोलमैन' में हैं और कुछ किन के हैं मैं कह नहीं सकता । बहुत सी कम्पनियों क संचालक एक हो थे । लेखा परीक्षकों ने १०,३२,६१६ रुपये की प्रथम मद की पुष्टि करने से इन्कार किया । यह रकम 'डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी आफ इन्डिया' को पेशगी दी गई थी । ३१ मार्च १९४७ को कम्पनी ने 'डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी' का २३,५३,००० रुपया देना था । इसके पश्चात् यह पेशगी रकम दी गई और 'डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी' ने कम्पनी से उधार लिया । ३० नवम्बर, १९४७ को उधार की रकम १,५३,५६,७९९ रुपये थी । यह थी पहली मद ।

दूसरी मद ९,००,००० रुपय की पशगी रकम की थी । यह रुपया 'धर्मस मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड' को दिया गया था । इस सम्बन्ध में २८ फरवरी, १९४७ को किताब में कम्पनी द्वारा 'डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी' से ९,००,००० रुपये की वसूली दिखाई गई है । यह रकम भारत बक लिमिटेड में जमा करवाई गई परन्तु उसी दिन इतनी ही रकम भारत बक लिमीटड स निकल-वाई गई और कम्पनी द्वारा 'माधवजी धर्मसे मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमीटेड' को दी गई, १४ मार्च, १९४७ को इसके बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया अपनायी गई जिसक परिणाम स्वरुप 'माधवजी धर्मसे मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमीटेड' को ९,००,००० रुपये की पेशगी रकम निकाल दी गई । कितनी सुन्दर प्रक्रिया थी ।

तीसरी मद इस प्रकार है । कम्पनी ने भारत बैंक लिमीटेड से ५२,००,००० रुपये की राशि ली । इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों ने संकेत किया कि २७ दिसम्बर, १९४६ को 'भारत बैंक लिमीटेड' से ५२,००,००० की रकम नकद उधार ली गई । उसी दिन यह रकम 'डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी लिमिटेड' की किताबों में हस्तान्तरित की गई । ३ जनवरी, १९४७ को डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मारकिटिंग कम्पनी लिमिटेड' ने इतनी ही रकम हस्तान्तरित की और नकद उधार की रकम का भुगतान हो गया । कुछ महीने पश्चात् दोनों लेखा परीक्षकों न त्यागपत्र दे दिया और कम्पनी से अलग हो गए ।

अब, श्रीमान्, हम इस सारे लेन देन के एक दिलचस्प पहलू की ओर आते हैं। लगभग दो या ढाई वर्ष हुए 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' ने 'भारत बीमा कम्पनी' के साथ कुछ लेन देन किया था। 'डालमिया जैन्ज' की कुछ कम्पनियों में कुछ रुपया लगाने पर बीमा नियंत्रक ने 'भारत बीमा कम्पनी' पर आपत्ति की थी। सम्भवतः इसी आपत्ति के कारण कम्पनी को रुपया वापस लेने के लिए कहा गया। उन्होंने यह चालाकी की कि दिल्ली और बम्बई में अपनी कुछ इमारतें बेच दीं। यह सभी इमारतें 'भारत बीमा कम्पनी' को बहुत ऊंची कीमत पर बेची गईं। इसीलिए सरकार ने इसपर आपत्ति की थी। आज इसी सौदेबाजी के कारण 'भारत बीमा कम्पनी' को अभी भी 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' से १,००,००,००० रुपये शेष लेने हैं।

इसीलिए मैं वित्त मंत्री को यह संकेत देना चाहता हूं कि आन्तरिक कार्य संचालन में क्या हो रहा है, हम नहीं जानते हैं लेकिन भारत बीमा कम्पनी भी 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के स्वामियों और प्रबन्धकों के कामों के फलस्वरूप खतरे में है। जो लेखा 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के न्याय-निर्णेता के सामने प्रस्तुत किया गया उसके सम्बन्ध में न्याय निर्णेता ने अपने निर्णय में कहा है "विवाद की अगली मद एक विशेष पक्ष को कमीशन के रूप में अदायगी है।" 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' ने एसी कम्पनियों के नामों की एक सूची दी थी जिन्हें विज्ञापन कमीशन दिया गया था। परन्तु एक मद के विषय में, जो लाखों रुपये की थी, पक्ष का नाम नहीं दिया गया था। पिछले वर्षों की तुलना में यह एजेन्सी कमीशन कहीं अधिक था। संघ का यह निर्णय था कि यह रकम डालमिया द्वारा नियंत्रित एक संस्था को दी गई है। डालमिया के ही नियंत्रण हित 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' में है। सुनवाई के समय कम्पनी ने न तो इस आरोप को स्वीकार किया न ही इसका खंडन किया बल्कि मुख्य प्रबन्धक श्री जयचन्द्र जैन ने कहा कि यह जानकारी बताना कम्पनी के हितों के विरुद्ध होगा और यह रकम सकल लाभ में जमा करने की बात न्यायालय से कही। न्याय-निर्णेता ने कहा है "कम्पनी ने जब हमारी दूसरी दर्जन कम्पनियों के नाम बताए हैं तब इस पक्ष का नाम बताने और इस पक्ष को अदायगी की रसीदें बताने से इन्कार करने की बात समझ में नहीं आती।"

मैं ने आपको बता दिया है कि 'भारत बीमा कम्पनी' को अभी 'बैनट कोलमैन ऐण्ड कम्पनी' से एक करोड़ रुपये लेने हैं। मैं सरकार से पूछता हूं कि यह रकम एक ही बार में क्यों नहीं वसूल की गई यह सूद की इतनी कम दर पर क्यों दी गई? 'भारत बीमा कम्पनी' का इस एक करोड़ रुपये पर अधिकार है। इसे ऊंची दर पर किसी काम में लगाया जा सकता है। सरकार इस एक करोड़ रुपये को क्यों शीघ्र ही नहीं ले लेती। मैं 'बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी' के मामलों की छानबीन करने का सुझाव दूंगा। प्रैस आयोग के अधिकार में जो दस्तावेज हैं, वित्त मंत्री उन्हें मंगवा सकते हैं। श्री रामकृष्ण डालमिया और मुख्य प्रबन्धक श्री जयचन्द्र जैन ने जो गवाही दी है उसे देखा जाए।

ऐसी अनेकों कम्पनियां हैं जिनसे डालमिया जैन सम्बन्धित हैं। इनमें से कुछ ने 'भारत बीमा कम्पनी' के रुपये से लाभ उठाया है। डालमिया जैन दल (ग्रुप) कितना विशाल है इसका अनुमान कम्पनियों की सूची से स्पष्ट है। बहुत से समावाय विशेष प्रयोजन से बनाये गये थे और वह विशेष प्रयोजन कुछ समवाये की समाप्त करने का था। यदि एक समय समाप्त हो जाता है तो वह दूसरे में मिल जाता है। इस प्रयोजन के लिए भी बहुत से समवाय बनाये गये थे। १९४६ में 'डालमिया जैन' ने एक विमान सेवा समवाय स्थापित किया जिसका नाम 'डालमिया जैन एयरवेज" था। फिर "डालमिया जैन एवियेशन" नामक एक अन्य समवाय भी स्थापित किया गया। 'भारत बीमा कम्पनी' इन समवायों का मुख्य अंशधारी

[श्री फीरोज़ गांधी]

थी। ये समवाय विमान सेवा आरम्भ करने के प्रयोजन से आरम्भ किये गये थे, परन्तु उन्होंने इस कार्य की बजाये उत्सर्जन कार्य आरम्भ कर दिया। यह काम उन्होंने अपने ही दूसरे समवाय 'एलन बरीज' के साथ मिलकर आरम्भ किया था और अपनी पुस्तकों में इसे संयुक्त उपक्रम का नाम दिया। 'एलन बरीज' में 'भारत बीमा कम्पनी' के ३०,००० पूर्वाधिकार अंश थे जबकि 'डालमिया जैन एयरवेज' की प्रदत्त पूंजी ३$^1/_2$ करोड़ रुपये थी। यह संयुक्त उपक्रम बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। 'एलन बरीज कम्पनी लिमिटेड' के अध्यक्ष [चेयरमैन] श्री राम कृष्ण डालमिया ने अपने भाषण में कहा था, जो १३–३–१९४७ को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था, कि "अतिरेक गाड़ियों के ५० प्रतिशत स्टाक के विक्रय होने तक आपका कुल विनियोजित धन वापस आ जायेगा। आपके समवाय को जो लाभ होगा उसमें से आपके साथी 'डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड' अपना भाग लेंगे और मैं आशा करता हूं कि वे अपने अंशधारियों को इससे पहिले कि कोई अन्य 'एयरवेज कम्पनी' अपने अंशधारियों को लाभांश देने का विचार कर सके, लाभांश दे सकेंगे।" परन्तु एक दिन 'डालमिया जैन एयरवेज' ने, जो ३ १/२ करोड़ की प्रदत्त पूंजी से आरम्भ हुआ था, अचानक 'एलन बरीज' को ३,१०,४७,३४५ रुपये दे दिये और स्वयं परिसमापित हो गया तथा परिणामस्वरूप अंशधारियों का नाश हो गया। उन्हें यह रुपया कभी वापिस न मिला। अब मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 'डालमिया जैन एयरवेज' तथा 'एलन बरीज के निदेशक कौन थे? वे समय समय पर बदलते रहे। यह सारी क्रिया, भारतीय समवाय अधिनियम की धारा ८६ (क) का पूर्ण उल्लंघन करना था। विधि के अनुसार वे ऐसा नहीं कर सकते थे। 'भारत बीमा कम्पनी' 'एलन बरीज' की साथी थी। मेरा ख्याल है कि मैं वित्त मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि 'एलन बरीज़' के समस्त लाभों का क्या हुआ? मैंने 'डालमिया जैन्स', के कार्यों के सम्बन्ध में बड़ी खोज की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जो भी धन व्यय हुआ वह इस उत्सर्जन कार्य से प्राप्त हुआ था।

मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रविष्टि सरकार के पास है। ५ करोड़ और ८६ लाख रुपयों में ५० लाख रुपये अतिरिक्त भागों के थे। दूसरी ओर 'एलन बरी' के खातों में एक प्रविष्टि है जो मेरा ख्याल है आपके पास है। इस प्रविष्टि में कहा गया है कि २०,००० टन पुर्जे तोल से बेचे गये और एक हजार टन पुर्जों का मूल्य ९४ लाख रुपये मिला। अब सरकार गणना कर सकती है कि २०,००० टन पुर्जों का कितना मूल्य मिला होगा।

एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि 'एलन बरीज़' के मालिक कौन हैं। यह सब पड़ताल करने में मुझे एक न्यास का पता लगा है जिसका नाम 'योगीराज न्यास' है। यह न्यास ७ मार्च १९४९ में पंजीबद्ध हुआ था। सेठ रामकृष्ण डालमिया इसके प्रवर्तक थे और उन्होंने उसे दस हजार रुपये प्रदान में दिये। अर्थात इसकी कुल सम्पत्ति १०,००० रुपये थी। जहां तक इस न्यास के उद्देश्य का प्रश्न है, इसका उद्देश्य था, नाना प्रकार से मानव कल्याणकारी कार्य आदि करना और ज्योतिष की प्राचीन विद्या का विकास करना। अब प्रश्न यह उठता है कि उपरोक्त उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं यह बताऊंगा कि १०,००० रुपये से लाखों रुपये कैसे पैदा हो सकते हैं। न्यासी कौन है? प्रथम न्यासी सेठ रामकृष्ण डालमिया हैं। दूसरे व तीसरे के नाम बताना लोकहित में नहीं है। चौथे न्यासी का नाम है श्री शीतल प्रसाद जैन। यद्यपि मैंने दूसरे व तीसरे न्यासी का नाम नहीं

बताया है, परन्तु मैं 'योगीराज न्यास' में उनका स्थान बता देना चाहता हूं। वे दोनों न्यास के प्रवर्तक, सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह बतायें कि इस व्यापार संस्था के कामों में 'भारत बीमा कम्पनी' का धन कैसे प्रयोग किया गया।

श्री फीरोज़ गांधी : यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे संदेह है कि 'एलन वरोज़' तथा 'डालमिया जैन' के संयुक्त उपक्रम से कई करोड़ रुपये गायब हो गये हैं। 'भारत बीमा कम्पनी' 'एलन बरीज़' का एक अंशधारी थी। वास्तव में, आप जानते हैं कि यह अन्तः पाशन बहुत ही भयानक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस समवाय की कितनी आस्तियां हैं ? हम यह सुन चुके हैं कि एक प्रकार की संस्था या समवाय द्वारा, 'एलन बरी', बेनेट कोलमेन', समाचार पत्र आदि द्वारा इसका अन्तःपाशन किया गया। यह सब बहुत दिलचस्प है, परन्तु वह यह दिखायें कि इस १०,००० रुपये का क्या सम्बन्ध है। मैं पहिले सम्बन्ध जानना चाहता हूं, और माननीय सदस्य आगे बढ़ने से पहिले यह बतायें कि कितना धन विनियोजित हुआ है। अन्यथा इस छोटे से मामले पर मैं सभा का समय लेने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री फीरोज़ गांधी : यदि आप सम्बन्ध जानना चाहते हैं तो मैं पहिले यही बताता हूं। मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही अद्-भुत बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक 'योगीराज न्यास' था। दो दिन बाद एक और नये न्यास का पंजीयन हुआ जिसका नाम 'भृगुराज न्यास' है। ये दोनों आदि से अन्त तक एक से ही हैं, और इनके न्यासी भी केवल एक न्यासी के अतिरिक्त वही व्यक्ति है अर्थात् एस० पी० जैन के स्थान पर प्रेम नाथ मेहता हैं। निजी समवाय में दो अंशधारियों की आवश्यकता होती है और यह कहा जाता है कि इन दोनों न्यासों में से प्रत्येक ने 'एलन बरीज़' के ८ लाख रुपये के सामान्य अंश ले लिये थे। 'एलन बरीज़' में 'भारत बीमा कम्पनी' का धन लगा हुआ था, और 'एलन बरीज़' का नियंत्रण इन दो न्यासों के हाथ में आ गया। यह बताना मेरा नहीं अपितु सरकार का काम है कि यह ८ लाख रुपये की कंथित राशि कहां से आई।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि ये न्यास अंशधारी बन गये ?

श्री फीरोज़ गांधी : ये दो न्यास स्वामी व नियन्त्रक बन गये। इन दोनों न्यासों ने 'एलन बरी एण्ड कम्पनी लि०' के लगभग सारे साधारण अंश मोल ले लिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इससे आरम्भ करना चाहिये फिर विस्तृत बातों का उल्लेख करना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं जानता कि बातों का पता लगाने में हमें इससे कितनी सहायता मिलेगी। परन्तु स्पष्ट बात यह है कि सम्भव है कि हम इन सौदों के द्वारा भारत बीमा समवाय की कुछ सम्पत्ति का पता लगा सकें। द्वितीय, सम्भव है कि हम यह पता लगा सकें कि उस सम्पति का क्या हुआ और क्या उस सम्पत्ति का कोई अपकरण या दुर्विनियोग हुआ है। यह निश्चित बात है कि जब हम सम्पत्ति का पता लगाते हैं, तब हम यह जानना चाहते हैं कि वह किसके अधिकार में है और फिर केवल उन सम्पतियों का ही जानना जो पहिले श्री डालमिया के नाम में थीं

[श्री सी० डी० देशमुख]

आवश्यक नहीं है, अपितु अन्य व्यापार संस्थाओं, न्यासों तथा अन्य इससे सम्बद्ध संस्थाओं की सम्पत्तियां जानना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा सम्बन्ध सम्पति से है वह चाहे प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त की हुई हो या "बेनामी' हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूर्णतया सहमत हूं । यदि मुझे केवल यह ज्ञात होता कि इन दोनों छोटे न्यासों में से प्रत्येक के पास २ लाख रुपये थे, तो मैं माननीय सदस्य को इस के बारे में बोलने की अनुमति दे देता । मैं केवल यह जानना चाहता था कि वास्तविक सम्बन्ध क्या है ।

श्री फीरोज गांधी : मैं यह नहीं बता सकता कि प्रत्येक न्यास में ये ८ लाख रुपये कहां से आये । इस बारे में मुझे पता नहीं है । एलन बरीज़ का मैं पहिले उल्लेख कर चुका हूं । वे न्यासों की सम्पत्ति थी ।

'डालमिया जेन एयरवेज जसकी प्रदत्त पूंजी ३।। करोड़ रुपये है पूर्णतः परिसमापित हो गई है । 'डालमिया जैन एविएशन' भी परिसमापित हो गई है । मैं नहीं कह सकता कि समवाय अधिनियम के अनुच्छेद १५३ के अन्तर्गत इसका नया नाम रख दिया गया है या कुछ और किया गया है । 'डालमिया जैन एयरवेज' परिसमापन के बाद 'डालमिया जैन एविएशन' में मिला दी गई और ये दोनों कम्पनियां—जिनमें से एक की पूंजी १ करोड़ रुपये और दूसरी की ३।। करोड़ रुपये थी—मिला कर एक नई कम्पनी—एशिया उद्योग—के रूप में स्थापित की गई और इसका पंजीयन गुड़गांव में हुआ ।

मुझे पता चला है कि सरकार के पास 'एलन बैरीज़ कम्पनी' को कितनी ही अन्वीक्षा सूचियां [ट्रायल बैलेंस] हैं । 'डालमिया जैन एयरवेज़' के खाते में १.३५ करोड़ रुपये की राशि 'एलन बैरीज़ कम्पनी' द्वारा देय दिखाई गई है । परन्तु यह राशि यकायक 'डालमिया सीमेंट एंड पेपर मार्केटिंग कम्पनी' को हस्तांतरित कर दी गई । मैं यह नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, परन्तु यदि इसकी जांच की जाये तो बहुत सी नई बातों के पता चलने की सम्भावना है । तो स्पष्टतया यह एक गलत प्रविष्टि है । यदि सरकार इसकी जांच करे तो अवश्य ही बहुत सी और बातें पता लग सकती हैं ।

अब मैं उस अन्तिम समवाय की चर्चा करूंगा जिस में भारत बीमा कम्पनी का स्वत्व था । इसका नाम है 'लाहोर इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड' । इस कम्पनी की प्रदत्त पूंजी ५० लाख रुपये थी । 'भारत बीमा कम्पनी' के उसमें अंश थे । पंजाब (विभाजन से पहले का पंजाब) सरकार इस कम्पनी को फिर से लाइसेंस नहीं देना चाहती थी । इसके बदले में वह १ करोड़ रुपये नकद देने को तैयार थी । तो पंजाब सरकार ने उसे १ करोड़ रुपये दे दिये । ३० जून, १९४४ को अंशधारियों ने एक असाधारण सामान्य बठक में एक संकल्प पारित किया जिसमें और बातों के अलावा यह कहा गया कि विधि के उपबन्धों और विहित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी का कारबार बंद करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये । सकल्प में यह भी कहा गया था कि उक्त कम्पनी के अन्य कम्पनियों में जो अंश आदि हों वे निदेशकों द्वारा सर्वोत्तम रीति से बेच दिये जायें ।

जब यह संकल्प पारित किया गया था तो कम्पनी के अध्यक्ष राय बहादुर सोहन लाल थे । उन्होंने इस संकल्प के अनुसार कार्यवाही की । परिणामस्वरूप कुछ अंश बेच दिये गये और लगभग ७० लाख रुपये कम्पनी के निधि में जमा कर दिये गये । बिजली देने का काम बंद हो चुका था ।

२ सितम्बर, १९४६ को पंजाब सरकार ने कम्पनी का कार्य संभाल लिया और कम्पनी को १ करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। जनवरी १९४७ तक भारत बीमा कम्पनी के पास लगभग ४०–५० प्रतिशत अंश थे। निदेशक सीतल प्रसाद जैन और कुछ अन्य व्यक्ति थे।

जनवरी १९४६ तक भारत बीमा कम्पनी के पास ४० से ५० प्रतिशत अंश थे। कहा जाता है कि इन सभी निर्देशकों, राय-बहादुर सोहन लाल इत्यादि के अंश भारत बीमा कम्पनी के पसे से खरीदे गये थे। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं।

श्री त्यागी : इसका क्या सबूत है?

श्री फीरोज गांधी : मैं तो एक गैर सरकारी सदस्य हूं उसका सबूत देना मेरे लिये किस प्रकार सम्भव है?

उपाध्यक्ष महोदय : भारत बीमा पनी के लेखों से वह बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है।

श्री फीरोज गांधी : अब कौन निर्देशक हैं यह भी एक बहुत महत्वपूण बात है क्योंकि मैं बराबर यही कहता रहा हूं कि डालमिया और जैन में वास्तव में कोई विभाजन या बटवारा नहीं हुआ है। उन में केवल एक प्रकार का समझौता हो गया है कि हमने इतना इकट्ठा किया है, जिसमें इतना आप ले ल और इतना हम ले लें। अब निर्देशक कौन हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजीयक को दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार १ मई १९५१ को निम्न व्यक्ति निर्देशक थे और उस में उन अन्य संस्थाओं के नाम भी दिये गये हैं जिनके निर्देशक भी वे थे। एक श्री एस० पी० जैन हैं; यहां भी मैं चक्कर में हूं क्योंकि एस० पी० जन तीन हैं। मैं नहीं कह सकता कि यहां निर्देशक कौन है। किन्तु मुझे एक धुंधला सा संदेह है कि यह शीतल प्रसाद जैन हैं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन में उनके हस्ताक्षर हैं। ये अनेक कम्पनियों के निर्देशक थे और बैनेट कोलमेन लिमिटेड के तथा जैनों की कंपनियों के भी निर्देशक थे। दूसरे व्यक्ति नजीबाबाद के श्री राम सहाय जैन और तीसरे व्यक्ति श्री वीरेन्द्र सिंह छोरडिया थे। ये भी अनेक कम्पनियों और मिलों के निर्देशक थे। एक और निर्देशक थे जिनका नाम श्री आर० शर्मा था। मेरा आशय यह है कि जहां कहीं आप देखें, प्रत्येक चीज में आप इन लोगों को पयेंगे। यह तो केवल एक तरह का बाहरी रूप है जो सरकार को किसी चीज के बारे में विश्वास दिलाने के लिये रखा जा रहा है। मैं नहीं जाजता कि क्या कारण है किन्तु यह तथ्य है।

अब विभाजन का प्रश्न है। मैंने बताया है कि ये सभी निर्देशक जैनों की संस्थाओं में और साथ ही साथ डालमिया की संस्थाओं में भी निर्देशक हैं। इन जैनों की कोई अपनी बीमा कंपनियां नहीं हैं। मेरे ख्याल से केवल एक है जिसे भारत आग और सामान्य बीमा कम्पनी कहा जाता है। किन्तु वह एक सामान्य बीमा कम्पनी है, और वह भी लुप्त हो गई है।

मेरा समाचार पत्रों से कुछ सम्बन्ध रहता हैसे और मैं जानता हूं कि प्रकाशक कभी कभी कैसे पकड़ में आ जाते हैं। बम्बई के टाइम्स आफ इंडिया द्वारा जो कुछ दिनों पूर्व डालमिया के स्वामित्व और उनके नियंत्रण के अधीन था, किन्तु अब शान्ति प्रसाद जैन के अधीन है, प्रकाशित "भारत म कौन क्या है" [हू इज़ हू इन इंडिया] पुस्तक में श्री शान्ति प्रसाद जैन का परिचय देते हुये उन्हें डालमिया जैन उद्योग समह का प्रबन्ध–निदशक कहा गया है। मेरा कहना यह है कि वह १९५० क: उनका अपना प्रकाशन था। यदि शान्ति प्रसाद जैन का डालमिया समुदाय से कोई सम्बन्ध होता तो ऐसी चीज इस पुस्तक में कदापि प्रकाशित न हुई होती।

[श्री फीरोज गांधी]

जै इसी प्रकार आग साहू श्रीयांस प्रसाद न हैं जो "साहू-जन उद्योग समूह के नियंत्रक अधिकारी हैं"। मैं और बाकी पढ़ कर नहीं बताना चाहता। मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूं कि एक जगत साहू श्रीयांस प्रसाद जन हैं, जो साहू-जैन उद्योग समह के नियन्त्रक अधिकारी हैं, तो दूसरे स्थान पर शान्ति प्रसाद जैन हैं जो डालमिया जैन उद्योग समूह के प्रबन्ध-निर्देशक हैं। अतः मेरे विचार से डालमिया और शान्ति प्रसाद के बीच कोई वास्तविक विभाजन नहीं हुआ है। टाइम्स आफ इंडिया जिस प्रकार शोर मचाता रहा है वह पर्याप्त साक्ष्य है। जिस दिन सरकार ने आध्यादेश जारी किया, उस दिन श्री एस० पी० जैन ने एक गलती यह की कि उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिस में उन्होंने यह कहा कि प्रकाशक का आदेश केवल बैनेट कोलमन कम्पनी के ७५ हजार रुपये के अंश के लिये है। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये अंश जुलाई, १९५५ में खरीदे हैं, न कि अक्टूबर में जब कि यह सब प्रकट हो चुका था। मेरे विचार से वे ७५ हजार रुपये प्रत्यक्ष मूल्य के साधारण अंश हैं। उसका अर्थ ७५०० अंश है, क्योंकि अधिमान अंशों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। यदि यह सौदा जुलाई में हुआ था, तब श्री एस० पी० जैन को इस सब के बारे में जानकारी जरूर थी। अन्यथा वह जुलाई में क्यों हुआ, यह मैं नहीं समझ सकता। श्री एस० पी० जैन ही उसका उत्तर दे सकते हैं। इस डालमिया-जैन मामले में जिस ओर भी मैंने देखने का प्रयत्न किया, चाहे वह भारत बीमा या भारत बैंक हो, साधारणतया ये संस्थायें समाप्त हो जानी हैं। समाचार पत्रों में एक दिन यह प्रकाशित हो गया कि भारत बैंक बैठ गया, दूसरे दिन और कोई कंपनी के ठप हो जाने का समाचार छप गया। इसका परिणाम यह होता है कि जनता हतोत्साह हो जाती है। डालमिया-जैन की बराबर यही चाल रहती थी कि जिन लोगों ने अपना धन विनियोजित किया है, उनमें इस प्रकार उत्साहहीनता पैदा की जाय और उनके अंश खरीद लिये जाय। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि भारत बैंक की प्रदत्त पूंजी २ करोड़ रुपये थी और उसके ठप होने की आशंका नहीं थी। केवल उसका प्रबन्ध ठीक नहीं था। किन्तु जब रक्षित बैंक ने उसके कुप्रबन्ध का प्रतिवदन दिया तो सरकार ने कुछ नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि भारत बैंक भारत निधि नामक कम्पनी में बदल गया और भारत निधि के पास अब भी दो करोड़ रुपये की पूंजी है। १ करोड़ ८० लाख रुपया सरकार को दिया गया है। उस में से कितना भारत निधि से अया है यह तो वित्त मंत्री ही बता सकते हैं। मुझे बताया गया है कि वे करीब ६० लाख रुपये या ऐसे ही कुछ हैं। श्री एस० पी०जैन ने अंशधारियों के २ रु० ८ आने मूल्य के अंश ४ आने और ६ आने में खरीदे हैं और वो भारत निधि के नियंत्रक अधिकारी बन गये ह। इसी प्रकार डालमिया जैन एअरवेज के १० रुपये मूल्य के अंश २ रुपये और २॥ रुपये में खरीदे गये हैं। मैं वित्त मंत्रीऔर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं। मुझे आशंका है कि सरकार जिस तरह आगे बढ़ रही है उस में हमे लाभ न होगा। मै नहीं समझता कि विधि की साधारण प्रक्रिया का अनुसरण कर हम कहीं पहुंच सकेंगे। यह डालमिया-जैन समुदाय भारत के प्रत्येक भाग फैला हुआ है। फिर एक जांच यहां हुई है, एक जांच वहां हुई है और इस तरह छिटपुट जांचें हुई है अतः विधि की साधारण प्रक्रिया से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। सभी तथ्य हमारे सामने हैं और मैंनेजो भी कुछ सभा के समक्ष कहा है उस में से अधिकतर तथ्य सरकार के पास भी हैं। वास्तव में वे तथ्य मने अनेक सरकारी प्रकाशनों से प्राप्त किये हैं। मेरा सुझाव यह है कि वर्ष १९४५–४६ से अथवा जब से

प्रारम्भ हुए हों तब से आज तक के सम्पूर्ण डालमिया-जैन मामलों की जांच करने की पूरी न्यायिक शक्तियों से युक्त एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये। यह सरकार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार से कहीं अधिक यह इस सभा की जिम्मेदारी है कि डालमिया जैन एअरवेज, लाहौर इलैक्ट्रिक कम्पनी और भारत बैंक के अंशधारियों का सम्पूर्ण धन वापस दिलाया जाये, जो तीनों का कुल मिला कर लगभग ८ करोड़ रुपये होता है। मैं कहता हूं कि यह सारी धन राशि वापस दी जानी चाहिये : यदि इस के लिये संविधान बदलना पड़े तो संविधान बदलिये। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि सभा का कोई सदस्य इस के विरुद्ध न होगा। आप इस सम्बन्ध में शीघ्रता करें क्योंकि जिन कुछ लोगों के पास साक्ष्य हैं वे मरते जा रहे हैं। मैं ने भी इस समस्या पर विचार किया है। हम जिधर भी देखें उधर वकील ह जो मुसीबत में डाल देते हैं जैसे कि उन्होंने श्री डालमिया को मुसीबत में डाल दिया है। परिवर्तन के लिये, महान्यायवादी के पास जाने के बजाय आप हमारे पास आयें, यही हमारा कहना है। हम सरकार को और वित्त मंत्री को विश्वास दिलाते हैं कि सारी सभा उन के साथ है चाहे वह कुछ भी करें किन्तु वह अवश्य कुछ करें।

हुजूर वाला, अपने अर्थ मंत्री से मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ थोड़े से सुझाव मैंने रखे हैं आप उन को कर डालें। जहा तक हमारा सवाल है हम सब आप के पीछे हैं। आखीर में आप से एक बात और कहना चाहता हूं :

"अयंते हस्तो भगवान्, अयंते भगवत्तर :।"

आप के हाथ भगवान हैं, आप के हाथ भगवान से भी ज्यादा ताकतवर हैं।

श्री के० के० बसु : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अनेक प्रलेखों का निर्देश किया है और उनमें से दो प्रलेख, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया पंजीकृत प्रलेख ह और महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से वे सभा पटल पर रखे जाने चाहिय क्योंकि उसमें इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिये गय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्य ने उनका निर्देश किया है व अवश्य ही उन प्रलेखों को वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री को दिखायेंगे और यदि उन्हें इन प्रलेखों में कुछ संगति दिखायी पड़ी, तो वे निश्चय ही उन्हें सभा पटल पर रखने के लिये माननीय सदस्य से कहेंगे। जब तक कि कुछ विशिष्ट भाग न पढ़े जांय तब तक मैं उनसे यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वे उन प्रलेखों को सभा पटल पर रखें। उन्हें वे भाग पढ़ने या उन्हें सभा पटल पर रखने से रोका नहीं गया है। वह कोई प्रकाशित पुस्तक या प्रलेख नहीं है। अतः प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री इस पर विचार कर अपना निर्णय दें। उसके पूर्व मुझे उनसे कुछ कहना समयपूर्व है।

श्री के० के० बसु : ये दोनों प्रलेख पंजीकृत प्रलेख हैं। दूसरी बात यह कि यह आपको अथवा अध्यक्ष महोदय को,और न कि प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री को निश्चय करना है कि ये प्रलेख सभा पटल पर रखे या न रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्वतः उन नामों को नहीं बताया और कहा कि अन्य विषय वित्त मंत्री के विचाराधीन हैं। उन्होंने सभा के समक्ष केवल इतना ही कहा था कि एक प्रकार का कल्याण-कारी समाज या न्यास जिसमें १० हजार रुपया विनियोजित किया गया था, बनाया गया था जिसकी सभी शक्तियां संस्थापक के हाथ में थी और उसे अपनी किसी औरत के किसी लड़के का नामनिर्देशन करने का अधिकार था। उस न्यास ने किसी अन्य संस्था में कई लाख रुपये विनियोजित किये थे। यह कहां से आ सकता था ? हमारे पास वे प्रलेख

[उपाध्यक्ष महोदय]

नहीं हैं । हम नहीं बता सकते कि वह कहां से आया और माननीय सदस्य ने भी नहीं बताया कि वह धन भारत बीमा कम्पनी या और किसी कंपनी से आया । अतः मैं माननीय सदस्य से सभा पटल पर प्रलेख रखने के लिये किस प्रकार आग्रह कर सकता हूं ? यदि वे चाहें तो रख सकते हैं । किन्तु जो बातें सभा के सामने कही गयी हैं उनके आधार पर मैं उनसे उन्हें सभा पटल पर रखने के लिये नहीं कह सकता ।

श्री के० के० बसु : यहां हम एक विधि अधिनियम कर रहे हैं । जैसा कि आपने पहले कहा, हम न केवल, इन सौदों से प्रत्यक्ष संबंधित व्यक्तियों को, वरन् अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों को भी पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिये क्या सरकार को और अधिक शक्तियां तो जानी चाहिये । इसलिये ये प्रलेख नितान्त आवश्यक हैं और हम जानना चाहते हैं कि तथाकथित बेनामीदार या न्यास किस प्रकार बनाये जाते हैं, जिससे कि साधारण विधि के उपबन्धों से बच निकलना संभव होता है । हम उन उपबन्धों को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं और किसी शरारत के लिये जगह नहीं रखना चाहते । अतः मेरा सुझाव है कि जब तक कि वे सरकारी नीति के विरुद्ध न हो, वे सभा पटल पर रखे जायं ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मुझे अधिकार प्रश्न के विषय में एक कठिनाई यह है कि जब कभी कोई मंत्री कोई बात कहते हैं तो क्या वह संपूर्ण मंत्रिमंडल की ओर से कही जाती है । मेरे माननीय मित्र श्री ए० सी० गुहा ने कहा कि चूंकि यह सार्वजनिक जानकारी की बात है फिर आप उसे क्यों नहीं बताते ? माननीय सदस्य ने कहा कि सार्वजनिक हित की बात नहीं है । यदि सरी ओर के माननीय सदस्य यह आग्रह करें कि वह बतायी जानी चाहिये तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद् के रूप में हमारा क्या स्थान है ? संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक आवाज है या अलग अलग ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई विचारणीय विषय नहीं है । जहां तक इस विषय का संबंध है, माननीय सदस्य ने कहा है कि यह विधेयक अच्छा नहीं है और न्यायिक शक्तियों वाला एक बड़ा आयोग नियुक्त किया जाना चहिये । माननीय सदस्य को और सभा को माननीय वित्त मंत्री के बारे में पूरा विश्वास है । अतः उनके हाथों में यह मामला बहुत सुरक्षित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : पहले जब कभी सदस्यगण कोई उद्धरण देते थे तब सभापति महोदय मूल प्रलेख को सभा पटल पर रखने के लिये प्रायः कहा करते थे । अब इस निर्णय द्वारा क्या यह समझा जाय कि अब भविष्य में प्रलेख सभा पटल पर रखना या न रखना सदस्य के स्वविवेक पर छोड़ दिया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर विचार करूंगा ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व) : जिन दो नियास-विलेखों (डीड्स) में से माननीय सदस्य ने उदधृत किया है वे तो पंजीकृत लेख्य हैं जो कोई भी जन साधारण रख सकता है । अग्र सभा पटल पर उन के रखे जाने पर आग्रह नहीं होना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कुछ किताबों म से, जो प्रकाशित हो चुकी हैं, उद्धरण दिए गए थे । फिर भी उनके सभा पटल पर रखे जाने के लिए कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीया महिला सदस्या ने प्रथा और प्रक्रिया का प्रश्न उठाया है । कल भी इस विधेयक पर विचार होगा । यदि मैं समझूंगा तो मैं उन लेख्यों या उनके आवश्यक भागों को सभा-पटल पर रखे जाने पर जोर दूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित ५ घंटे में से अब केवल ढाई घंटे ही शेष हैं और बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बहुत काफी है अतः या तो समय बढ़ा दिया जाय या हम देर तक बैठें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का भाषण बहुत ब्यौरेवार तथा दिलचस्प था अतः मैं समझता था कि अन्य माननीय सदस्य उनके लिए अपना समय छोड़ देंगे । चूंकि अभी तक कोई संशोधन नहीं आये थे अतः मैं समझता था कि केवल एक या दो माननीय सदस्य ही बोलेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि संशोधन कल पेश किये जा सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय के पास यह बातें पहुंचा दूंगा और वह कार्य-मंत्रणा समिति के परामर्श से समय बढ़ा सकते हैं ।

अब हम कम को आगे बढ़ायेंगे । प्रत्येक माननीय सदस्य १५ या २० मिनट ले सकते हैं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : यह विशेष विधेयक एक समवाय की एक घटना के कारण पेश किया गया है । मैं श्री फीरोज गांधी की इस बात से सहमत हूं कि एक बार चोरों से सम्पत्ति वापस पा लेना संभव है, पर इन समवायों द्वारा चुराई गयी राशि का वापस पाना असंभव है ।

यद्यपि यह विधेयक भारत बीमा कम्पनी के मामलों के कारण पेश किया गया है पर भारत की अन्य बीमा कम्पनियों की हालत भी ऐसी ही है । एक बड़ी बीमा कम्पनी के एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे बताया कि भारत की सभी बीमा कम्पनियों में भ्रष्टाचार है ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

मुझे कई बीमा कम्पनियों के बारे में पता है कि उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों का सारा खर्च बीमा कम्पनी के धन अर्थात जनता के धन से चलता है । एक बीमा कम्पनी के एक पदाधिकारी को जो अब मंत्री हो गये हैं, बीमा कम्पनी से अब भी निवृत्ति वेतन तथा मानदेय के रूप में ८०० रुपये प्रतिमास मिलता है ।

इसके अलावा बीमा कम्पनियों का धन सट्टे में भी लगाया जाता है । यदि सट्टे में लाभ होता है तो कम्पनी के बड़े बड़े पदाधिकारी उसके हिस्से अपने नाम खरीद कर सारा लाभ हड़प लेते हैं पर अगर सट्टे में हानि होती है तो अंशों का भार कम्पनी पर डाल दिया जाता है ताकि उनको कुछ हानि न हो और सारा भार कम्पनी पर पड़े । बाहर से देखने में जीवन बीमा का व्यापार बड़ा आकर्षक है और इससे साधारणतः बीमा कराने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, पर उनके धन का इस प्रकार इस्तेमाल किया जाना ठीक नहीं है । उसी बीमा कम्पनी ने जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं चाय की एक कम्पनी में बीमा कम्पनी का धन लगाया और लाभ होने पर सभी अंश अपने नाम में खरीद कर सभी लाभ ले लिया । अतः इस विधेयक के उपबन्ध ऐसे होने चाहिए कि कम्पनियों का भ्रष्टाचार ही न रुक जाये बल्कि बीमा कम्पनियों के धन का अनुचित लाभ भी उनके पदाधिकारियों को न उठाने दिया जाय । पर एक समचार पत्र में एक खबर थी कि सेठ डालमिया से १,८०,००,०००

[श्री साधन गुप्त]

रुपया ले लिये गये हैं। क्या उनको ऐसा कुछ लालच दिया गया था कि इस प्रकार वे अपराध के दण्ड से मुक्त कर दिये जायेंगे।

श्री एम० सी० शाह : अध्यादेश में कहा गया था कि उनके तथा उनके बेनामदारों के अधिकार में जो सम्पत्ति है उस पर कब्जा कर लिया जायेगा। अतः उन्होंने स्वयं इच्छा से और बिना किसी शर्त के यह रकम अदा की है।

श्री साधन गुप्त : पर इससे कुछ शक पैदा होता है। अगर कोई यह बात जान ले कि २ करोड़ रुपये देने के बाद भी वह अपराध के दायित्व से मुक्त नहीं हो पायेगा, तो वह रुपये नहीं देगा।

श्री एम० सी० शाह : पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही जारी रखी जायेगी।

श्री साधन गुप्त : दण्ड संबंधी दायित्व से मुक्त होने के बहुत से उपाय होते हैं और जब तक उन्हें किसी न किसी पक्ष की ओर से ऐसा आश्वासन न मिलता कि वे दण्ड संबंधी दायित्व से मुक्त कर दिये जायेंगे वे इतनी रकम कभी भी न देते। हम नहीं चाहते कि अन्त में सरकार द्वारा यह कहा जाय कि दण्ड संबंधी दायित्व का कोई मामला नहीं मिला इसलिए जांच हटा दी गयी।:

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि केवल भारत बीमा कम्पनी पर ही नहीं बल्कि सभी बीमा कम्पनियों के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाय।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : श्री फीरोज गांधी के लम्बे चौड़े भाषण की मैं प्रशंसा करता हुं। इस सभा में डालमिया वाले इस मामले की प्रकार के कई मामले आ चुके हैं और हमने देखा है कि किसी भी मामले में यहां तक कि बिड़ला हाउस के रहस्य के बारे में भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार सरकार ने एक कुख्यात व्यक्ति को पकड़े लिया है।

१९३७ में उस समय के वित्त मंत्री श्री एन० सरकार ने कहा था भारत में केवल ७ या ८ व्यक्ति बीमा के कारबार को जानते हैं। पर आज १९५५ में हमारे बहुत से माननीय सदस्य बीमा के कारबार के बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं।

बीमा और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में इस सभा में कुछ समय पूर्व एक सुझाव रखा गया था और सरकार भी इस प्रश्न पर विचार कर रही है। मेरा मत है कि इनका राष्ट्रीयकरण तुरन्त होना चाहिये। इसका कारण स्पष्ट है कि आज हमारा जीवन पूर्णतः धन पर ही निर्भर है। जिसके पास धन है वह उद्योग, व्यापार और सम्पूर्ण देश की अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकता है। आज औद्योगिक पूंजीवाद के स्थान पर वित्तीय पूंजीवाद का बोलबाला है। अतः हमें विचार करना है कि क्या हमें धन पर नियंत्रण कर के देश की अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण करना है या नहीं।

बीमा कम्पनियां और बैंक दोनों ही देश की आर्थिक व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने में पूर्ण प्रकार समर्थ हो सकती हैं। डालमिया और बिड़ला दोनों आज सरकार की नीति को बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैंक और बीमा कम्पनियां अर्थात् धन है। कुछ दिनों पूर्व यह समाचार पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई थी कि सरकार बीमा कम्पनियों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। पर इस काम में जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ होगा कि हम पूंजीपतियों को धांधलीबाजी करने का अवसर देते हैं। अतः सरकार को इनके राष्ट्रीयकरण के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

नयी पंच वर्षीय योजना के लिए हमें ७५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, अतः यदि सरकार इन बैंकों और बीमा कम्पनियों को गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथों से अपने हाथ में ले ले तो उसको इन सभी परियोजनाओं के लिए धन मिल सकता है । इस विधेयक के संबंध में हमें आशा थी कि यह राष्ट्रीयकरण के संबंध में होगा पर हमें बहुत निराशा हुई । यह विधेयक केवल कुछ सीमा तक ही संतोषजनक है । हम एक अधिक महत्वपूर्ण विधेयक की आशा करते हैं । पर सरकार इस संबंध में कुछ ढीली है । उसके पास इस काम के लिए काफी साहस नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि श्री फीरोज़ गांधी के सुझाव के अनुसार केवल डालमिया ही नहीं बल्कि बिड़ला, टाटा तथा अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी एक जांच समिति नियुक्त की जाय ताकि संसद् को पता लग सके कि बाहर क्या हो रहा है ।

मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह बीमा कम्पनियों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए फिर से विचार करें ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं इसलिए नहीं कि यह धन के मामलों से सम्बन्धित है बल्कि इसलिए कि यह एक सामाजिक विधान है जो समाजविरोधी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए पेश किया गया है ।

श्री फ़िरोज गांधी के भाषण को सुन कर मालूम हुआ कि हमारे देश की बीमा कम्पनियों और बैंकों में कितना भयंकर रोग लगा हुआ है । इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए, पर प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक से इस मामले को सुधारा जा सकेगा । यह विधेयक वैसा ही है जैसे हाथी को मारने के लिए खिलौने वाली बन्दूक ।

इस भंडाफोड़ के कारण बीमा कराने वाले अंशधारियों के विश्वास को बहुत धक्का लगा है । उधर हम, बीमा के क्षेत्र को बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं । तरह तरह के बीमे की बात कर रहे हैं । पर श्री गांधी द्वारा बताई गयी बातों के कारण बीमे पर से लोगों का विश्वास हट गया है ।

श्री गांधी ने एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने का सुझाव पेश किया है । पर इस से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा और प्रतिवेदनों की क्या हालत होती है इसे हम लोग भलीभांति जानते हैं । अतः मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि सरकार को बीमा के काम को अपने हाथों में ले लेना चाहिए ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अभी और बोलना चाहते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : जी हां ।

सभापति महोदय : तो वह कल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, में और आगे संशोधन करने वाले और भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार ७ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६६५५-५७

(१) पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा, सरकारों को प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमोदित, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम करार के अन्तर्नियमों और व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४४१, दिनांक ९ नवम्बर, १९५५, जो खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३३१०, दिनांक २८ अक्तूबर, १९५४ को रद्द करती है, की एक प्रति

(३) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ पर हुई चर्चा के दौरान ५ मई, १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अणुसरण में, खाद्य और कृषि मंत्रालय के आदेश संख्या एफ २९/११/५५-एस-वी, दिनांक १२ अक्तूबर, १९५५ की एक प्रति

(४) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८, की धारा ४३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या १९।५५, दिनांक १७ नवम्बर, १९५५ की एक प्रति

नियम समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया ६६५७

स्तम्भ

पहिला प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन— उप-स्थापित

इकतालीसवां प्रतिवेदन उप-स्थापित किया गया ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन— उपस्थापित ६६५७

उनतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पारित ६६६०-६७१०

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, नागरिकता विधेयक पर, खंडवार विचार समाप्त हुआ । खंड ३, ८ से १०, १२ से १५ और १७ से १९ तथा अनुसूचियां २ और ३ स्वीकृत हुईं। खंड ११ पर लोक-सभा में मतविभाजन हुआ । 'हां' वाले १२८ तथा 'ना' वाले २६ थे । खंड स्वीकृत हुआ । खंड ५ और १६ और अनुसूची १ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए । खंड १ स्वीकृत हुआ और विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

विधेयक पर विचार ६७११-४४

बीमा (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई । चर्चा असमाप्त रही ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उप-स्थापित ६७४४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन पुरःस्थापित किया गया।